राजस्थान विधान सभा

१३ वीं बैठक, दिनांक—२७ अप्रेल, १९५३

सदन का कार्य ८ बजकर २१ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

(अध्यक्ष, श्री नरोत्तमलाल जोशी, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १०१६

श्री नारायणलाल—क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(१) सीकर जिले में कितने हरिजनों को सरकारी नौकरियां दी गई ?

(२) अगर दी गई, तो कहां कहां दी गई ?

(३) अगर नहीं दी गई, तो इसका क्या कारण है ?

(४) क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) सीकर जिले में ५ हरिजनों की राजस्व विभाग में नियुक्ति हुई है ।

(२) यह ५ व्यक्ति भंगियों के स्थानों पर ही नियुक्त हुए हैं। वह निम्नलिखित कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं :—

(१) कलेक्टरेट सीकर में ।	१
(२) दूसरा एस. डी. ओ., फतहपुर ।	१
(३) तीसरा एस. डी. ओ., नीम का थाना ।	१
(४) चौथा तहसील नीम का थाना ।	१
(५) पांचवां तहसील दांता रामगढ़ ।	१

प्रश्न संख्या १०१७

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मचन्द ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.2

प्रश्न संख्या १०१८

श्री प्रभुदयाल—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) थाना तारानगर की बिल्डिंग के बारे में सरकार के पास कोई सूचना है ? अगर हां, तो क्या ?

(२) क्या वह जगह थाना रखने के काबिल है ?

(३) क्या यह सही है कि जितने भी बड़े ऑफिसरों ने थाने को चेक किया उस वक्त रिमार्क लगाया है कि बिल्डिंग बिल्कुल थाने के काबिल नहीं है ?

(४) क्या यह सही है कि बराबर ४-५ साल से शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ?

श्री नृसिंह कछवाहा (उप मंत्री, गृह विभाग)—(१) जी हां, थाने की बिल्डिंग अच्छी नहीं है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां ।

(४) इस ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री प्रभुदयाल—कब तक ध्यान दिया जायगा ?

श्री नृसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री जसवन्तसिंह—"ध्यान देने" का क्या मतलब है ? इसको कब तक पूरा करने की कार्यवाही होगी ?

श्री नृसिंह कछवाहा—जल्दी ही ।

श्री जसवन्तसिंह—जल्दी के क्या मायने है ?

श्री नृसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—"जल्दी" के मायने "जल्दी" ।

श्री जसवन्तसिंह—यह आपकी डिक्शनेरी में है या जनरल डिक्शनरी में देखा जाय ?

श्री नृसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—"जल्दी" के मायने "शीघ्र ही" ।

श्री जसवन्तसिंह—अंग्रेजी में क्या मायने होंगे ।

श्री नृसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—Very soon,

प्रश्न संख्या १०१९

श्री तेजपाल—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान से बाहर अथवा राजस्थान में ही एक जिले से दूसरे जिले को रूई माफ़ी अथवा रवन्ना द्वारा आ जा सकती है ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—राजस्थान के एक जिले से दूसरे जिले में रूई की आवक-जावक की रोक नहीं है ; अबलत्ता राजस्थान के बाहर रूई टैक्सटाइल कमिश्नर की आज्ञा से जाई जा सकती है । बाहर जाने पर निर्यात कर वसूल होता है ।

श्री तेजपाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो रूई भरतपुर से गई है वह राजस्थान के अन्दर गई है या बाहर गई है ?

श्री भोलानाथ—सन् ५१-५२ में कुल २१६५८६ मन रूई का निकास हुआ है । आप इस रूई का जिक्र करते हैं या कौनसी रूई का जिक्र करते हैं ?

श्री तेजपाल—भरतपुर से बद्रीप्रसाद आड़तिया के मार्फत जो रूई गई है में उसका जिक्र करता हूं ।

श्री भोलानाथ—इस प्रश्न में बद्रीप्रसाद का कहीं जिक्र नहीं है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या रूई पर टैक्स एक ही किस्म का होता है ?

श्री भोलानाथ—बाहर निकासी पर एक ही किस्म का टैक्स है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या आपको मालूम है कि जो खुली रूई बिकती है उस पर साढ़े तीन रुपया मन टैक्स लिया जाता है और बैल्स पर ३ रुपया मन टैक्स लिया जाता है ।

श्री भोलानाथ—दोनों किस्मों पर एक ही तरह का टैक्स हुआ । खुली रूई है तो उस हिसाब से और बैल्स है तो बैल्स की रेट्स के मुताबिक टैक्स लिया जाता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—खुली रूई किसान ले जाते हैं ; क्या इसलिये खुली रूई पर ज्यादा टैक्स लिया जाता है ?

श्री भोलानाथ—नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री तेजपाल—में कुछ और सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि मुझे मन्त्रीजी के उत्तर से सन्तोष नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—पूछिये ।

श्री तेजपाल–रूई की निकासी के बारे में अभी जो मन्त्रीजी ने उत्तर दिया वह स्पष्ट नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रूई भरतपुर से बाहर गई है वह कहां गई है ?

श्री भोलानाथ—आप अपना सवाल पढ़ें। उसमें लिखा गया है कि "क्या राजस्थान से बाहर अथवा राजस्थान में ही एक जिले से दूसरे जिले को रूई माफी अथवा रवन्ना द्वारा आ-जा सकती है" और इसका जवाब दिया गया है। इस सवाल में भरतपुर का कहीं जिक्र नहीं है।

श्री तेजपाल—तो क्या रूई राजस्थान से बाहर नहीं जा सकती है ?

श्री भोलानाथ—आम तौर से रूई राजस्थान से बाहर नहीं जाती जब तक कि टैक्सटाइल कमिश्नर की इजाजत नहीं ले ली जावे।

श्री तेजपाल—तो क्या राजस्थान से रूई बाहर नहीं गई ?

श्री भोलानाथ—आप कौनसी रूई का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री तेजपाल—जिस रूई के लिये मैंने सवाल किया है ?

श्री अध्यक्ष—आप जब तक बैठेंगे नहीं तब तक सवाल का जवाब नहीं दिया जायगा।

श्री भोलानाथ—आपने अपने सवाल में भरतपुर, अलवर आदि का कोई जिक्र नहीं किया है; बल्कि आपने जनरल प्रश्न किया है कि "क्या राजस्थान से बाहर अथवा राजस्थान में ही एक जिले से दूसरे जिले को रूई माफी अथवा रवन्ना द्वारा आ-जा सकती है" और उसका जवाब मैंने दिया है। अगर किसी खास जिले के बारे में जानना चाहें तो खुलासा प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री तेजपाल—राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में रूई भेजी जा सकती है या नहीं ?

श्री भोलानाथ—राजस्थान में रूई बिना टैक्स के एक जिले से दूसरे जिले में आ जा सकती है परन्तु बाहर के लिये टैक्स लिया जाता है।

प्रश्न संख्या १०२०

श्री तेजपाल–क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(अ) क्या यह सच है कि अलवर, भरतपुर, धोलपुर और कोटा के कस्टम विभाग के नाकेदार और मोहर्रिर को वही वेतन दिया जा रहा है जो पहिले मिलता था ?

(ब) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(स) क्या जयपुर, जोधपुर आदि के नाकेदारों और मोहर्रिरों को पुराना ही वेतन मिल रहा है अथवा नये ग्रेड का ?

(ड) यदि नया, तो एक ही विभाग में एक ही पोस्ट के वेतन में यह अन्तर क्यों ?

Page No.5

श्री भोलानाथ—नाकेदारों और मोहर्रिरों का अन्तिम चुनाव होने तक के लिये एकीकरण विभाग ने १६-८-५२ को यह स्वीकार किया था कि उन स्थानों के लिये स्वीकृत न्यूनतम वेतन दरें नाकेदार और मोहर्रिरों को दी जा सकती है तथा इस बात से कार्यालयों के प्रधानों को भी अवगत करा दिया गया था। संबंधित कोषाध्यक्षगणों ने इस आज्ञा के अनुसार बिल पास कर दिये लेकिन अलवर, भरतपुर, धोलपुर और कोटा के कोषाध्यक्षों ने ऑडिट के सम्बन्ध में एक आपत्ति उठाई। एकाउन्टेन्ट जनरल को इस विषय में कहा गया और उन्होंने यह सूचित किया है कि अन्तिम चुनाव की सूचियां नाकेदारों और मोहर्रिरों को अपना वेतन संशोधित वेतन दरों से लेने को समर्थ बनाने के लिये प्रकाशित कर दी जानी चाहिये। इस मामले पर अभी भी पत्र-व्यवहार चल रहा है तथापि नाकेदारों और मोहर्रिरों का चुनाव परिणाम १२-३-५३ को प्रकाशित कर दिया गया है और प्रत्येक व्यक्ति जिसका चुनाव हो गया है १-४-५३ से संशोधित वेतन दरें पायेगा।

प्रश्न संख्या १०२१

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) जोधपुर में पावटा मिडिल स्कूल में कुल कितने अध्यापकों का केडर है?

(ख) मौजूदा कितने अध्यापक काम कर रहे हैं?

(ग) जो ज्यादा हैं उनकी तनख्वाह किस किस स्कूल के हैड के नाम से उनको मिलती है?

श्री भोलानाथ—पावटा मिडिल स्कूल में ११ अध्यापकों का केडर है और १३ अध्यापक काम कर रहे हैं।

इन दो बेशी अध्यापकों में से एक को दरबार हाई स्कूल जालोर से और दूसरे को दरबार मिडिल स्कूल बीजवा से डेप्यूट किया गया है क्योंकि पावटा मिडिल स्कूल में विद्यार्थी संख्या अधिक होने के कारण वहां इनकी आवश्यकता थी।

श्री संतोषसिंह—ये मास्टर दूसरी स्कूलों से लिये गये हैं और उनको वेतन दूसरी स्कूलों से मिलता है तो क्यों नहीं इनको पावटा स्कूल के नाम पर ही रखा जाता?

श्री भोलानाथ—छात्र-संख्या बढ़ने के कारण फिलहाल इसका प्रोवीजन कर दिया गया है क्योंकि पहले के बजट में इसके लिये गुजांयश नहीं थी। आयन्दा इसके लिये इन्तजाम कर दिया जायगा।

श्री खेतसिंह—जो छात्र संख्या काफी है तो क्यों नहीं यह स्कूल मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बना दी जाती?

श्री भोलानाथ—आपका यह सवाल बिलकुल भिन्न है। यहां तो अध्यापकों का ही सवाल है।

प्रश्न संख्या १०२२

श्री सुगनचन्द जैन—क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जागीर से आने वाले कर्मचारियों का फिक्सेशन हो चुका है?

[श्री सुगनचंद जैन]

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को, जो फिक्सेशन के कारण रकम मिलने वाली है वह उनको प्राप्त हो चुकी है या नहीं ?

(ग) नहीं, तो क्यों नहीं और अब तक नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–(क) हां, उनका फिक्सेशन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) यह कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न संख्या १०२३

(श्री कंवरलाल जेलिया की अनुपस्थिति के कारण श्री भगवान सहाय ने प्रश्न पूछा)—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में भ्रष्टाचार निवारण (एन्टीकरप्शन) विभाग द्वारा, विभाग की स्थापना से अब तक किस किस डिवीजन में कितने कितने राज्य कर्मचारी पकड़े गये व कितने अदालत में पेश किये गये ?

(ख) कितने छूट गये तथा कितनों को सजा मिली ?

(ग) क्या इनमें गजटेड ऑफीसर भी हैं ?

(घ) यदि हां, तो कहां कहां के व कितने ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप-मंत्री, गृह विभाग)—(अ) राजस्थान में भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के निर्माण से दिनांक १२-४-५३ तक कुल ३७ केस दर्ज रजिस्टर हुए जिनमें ३९ राज्य कर्मचारी रंगे हाथों भ्रष्टाचार विभाग द्वारा पकड़े गये। इन अभियोगों में से २३ का चालान किया गया जिनमें दो अभियुक्त दन्डित हुए, ५ अभियुक्त न्यायालय द्वारा छोड़े गये, एक अभियोग रेलवे पुलिस अजमेर में परिवर्तित कर दिया गया तथा २ अभियोगों में राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच हो रही है जिनका अभी नतीजा नहीं आया है, १६ अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं और ११ अभियोगों के विषय में अभी पुलिस में अनुसंधान हो रही है।

(ब) डिवीजनवार ब्योरा यह है:—

	जयपुर	बीकानेर	जोधपुर	उदयपुर	कोटा
१. संख्या मुकदमा	२२	..	२	५	८
२. संख्या राज्य कर्मचारी गिरफ्तार किये गये	२३	..	२	६	८
३. संख्या मुकदमात जो न्यायालय भेज दिये गये	१६		१	१	५
४. न्यायालय द्वारा दण्डित	२				
५. न्यायालय द्वारा रिहा	५				

[श्री नरसिंह कछवाहा]

जयपुर	बीकानेर	जोधपुर	उदयपुर	कोटा
६. परिवर्तित रेलवे पुलिस, अजमेर ..	१			
७. विभागीय कार्यवाही के लिये ..	२			
न्यायालय में विचाराधीन	६	१	१	५
८. अनुसंधान चल रहा है	३	१	४	३

(स) कोई गजटेड ऑफिसर रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या गजेटेड ऑफीसर्स को पकड़ने की कोशिश की जा रही है या नहीं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मालूम होने पर की जायगी ।

श्री हिम्मत सिंह—क्या अभी तक इस बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम हुआ ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ऐसा कोई केस सामने नहीं आया ।

एक सदस्य—चोरियें इस साल ज्यादा हुई या पिछले साल ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह चोरियों का सवाल नहीं है ।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ)—क्या सरकार विश्वास के साथ कहती है कि राजस्थान में रिश्वत नहीं ली जाती है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जो रिश्वत लेते हैं उनको सजा मिलती है। जो रिश्वत लेते हैं उनको पकड़ा जाता है और पकड़े गये भी है ।

श्री भैरूसिंह—अभी आपने कहा कि गजेटेड आफिसर्स नहीं पकड़े गये हैं, यह कैसी बात है।

श्री नरसिंह कछवाहा—उनके खिलाफ शिकायत नहीं होंगी तो नहीं पकड़े गये ।

श्री भैरूसिंह—मेरा मतलब यह है कि क्या सरकार विश्वास के साथ कह सकती है कि राजस्थान में रिश्वत नहीं ली जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार जो बात कहती है वह विश्वास के साथ कहती है ।

श्री भैरूसिंह—क्या इससे यह माना जाय कि राजस्थान में अफसर रिश्वत नहीं लेते हैं ?

Page No.8

श्री जसवन्तसिंह—अभी उप मन्त्री जवाब दे रहे थे पर मुख्य मन्त्रीजी बीच में ही जवाब देने लगे। क्या उप मन्त्रीजी जवाब देने योग्य नहीं हैं इसलिये मुख्य मन्त्रीजी उनकी सहायता करने लगे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—उप मन्त्रीजी जवाब देने योग्य हैं और मुख्य मन्त्री सहायता देने योग्य।

श्री तेजमल बापना— क्या कोई शिकायत किसी भी गजटेड ओफिसर के खिलाफ आई है या नहीं ?

श्री नरसिंह कछवाहा— आप किस पीरियड की बात कर रहे हैं ?

श्री तेजमल बापना— जिस पीरियड से प्रश्न पूछा गया है।

श्री कानसिंह—जो शिकायत अफसरों द्वारा रिश्वत लेने की आती है, उसकी सुनवाई सरकार इसलिये नहीं करती क्योंकि सरकार अफसरों को सहयोग देना चाहती है, क्या यह सच है ?

श्री हिम्मतसिंह—भ्रष्टाचार निवारक डिपार्टमेन्ट ने कितना भ्रष्टाचार किया ? क्या इसकी भी जांच की गई।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १०२४

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) कोटा डिविजन में गत अप्रेल सन् ५२ से २८ फ़रवरी सन् ५३ तक किस किस जिले में कितनी कितनी चोरियां हुई और कितने चोर पकडे गये तथा कितनो पर मुकदमा चलाया गया व कितने सजायाब हुए।

(२) कोटा डिविजन में चोरियों में १ अप्रेल सन ५२ से २८ फ़रवरी सन् ५३ तक कितनी तादाद का माल गया व कितनी तादाद का माल बरामद हुआ।

श्री नरसिंह कछवाहा—सूची टेबिल पर रख दी गई है।

(कृपया नीचे देखिये)

श्री जसवन्तसिंह—कॉपी टेबिल पर नहीं रखी गई है।

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मंत्री गृह विभाग)—तो अब रख दी जायगी।

श्री जसवन्तसिंह—अब तो रख दी जायगी पर रखी क्यों नहीं गई ?

श्री अध्यक्ष—आप पढ़कर सुना दीजिये ।

श्री नरसिंह कछवाहा—मैं पढ़कर सुना देता हूं :

	Kotah Distt.	Jhalawar Distt.	Bundi Distt.	Total
1. No. of cases ..	346	439	246	1031
2. No. of persons arrested	185	220	69	474
3. No. of persons challaned	163	142	69	374
4. No. of persons convicted ..	56	40	51	147
5. No. of persons pending trial	107	102	18	227
6. Amount of stolen property ..	Rs. 2,76,185-0-5	1,34,263-11-6	81386,-1-6	4,91,834-13-5
7. Amount of property recovered ..	Rs. 28,520-7-3	21,026-6-6	9,638-14-9	59,185-12-6

श्री जसवन्तसिंह—इस स्टेटमेन्ट के आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले जो रियासतें थीं उनके मुकाबले में स्थिति अच्छी हुई है या खराब ?

श्री अध्यक्ष—This is a separate Question.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—मंत्री महोदय ने डिस्ट्रिक्टवार आंकड़े बताये हैं, हालांकि प्रश्न कुल कोटा डिविजन के लिए पूछा गया था । ग्रान्ड टोटल लगाना मंत्री महोदय का काम है या हमारा ?

श्री अध्यक्ष—Districts make a Division.

श्री नरसिंह कछवाहा—मैं कुल जोड़ बता देता हूं :

1. No. of cases. 1,031
2. No. of persons arrested 474.
3. No. of persons challaned 374.
4. No. of persons convicted 147.
5. No. of persons pending trial 227
6. Amount of stolen property Rs. 4,91,834-13-5.
7. Amount of recovered property Rs. 59,185-12-6.

श्री जसवन्तसिंह—पहले के मुकाबले में स्थिति कैसी है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—गत अप्रेल सन् १९५२ से २८ फरवरी सन् १९५३ तक के फीगर्स पूछे गये थे वह बताये गये हैं । आपका प्रश्न इससे दूसरा है उसके लिये नोटिस चाहिये ।

Page No.10

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—करीब ५ लाख चोरी गये माल में से सिर्फ ५६ हजार का माल बरामद हुआ है। क्या यह बरामदगी संतोष जनक है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर !

श्री कानसिंह—जो माल बरामद हुआ है उसमें से मालिकों को कितना माल वापिस दे दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—Order ! This is a separate question.

श्री जसवंतसिंह—But this is a legitimate question.

श्री अध्यक्ष—But we should not waste time of the House.

प्रश्न संख्या १०२५

श्री जगतसिंह झाला—क्या मंत्री, पी. डबल्यू. डी. यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(अ) चित्तौड़ जिले की किन किन तहसीलों में सन् १६५१-५२ में नई सड़कें बनाई गई, या पुरानी की मरम्मत करवाई गई हैं।

(आ) क्या इस जिले की मुख्य मुख्य सड़कों को पंचवर्षीय योजना में रक्खा है ?

(इ) अगर हां, तो किस किस को ?

(ई) यह कार्य कब तक शुरू किया जावेगा ?

श्री भोलानाथ—(अ) सन् १६५१-५२ के वर्ष में चित्तौड जिले में कोई नई सडक नहीं बनाई गई, किन्तु चित्तौड, निम्हेडा, छोटी सादडी, कपासिन, रास्मी, भैंसरोरगढ़, डोंगला, बेगन, और करेरी की सब-तहसीलों की करीब सब पुरानी सडकों की १,३१,५६३) रु० के लागत की मरम्मत कराई गई।

(इ) हां, निम्नलिखित सड़कों को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है।

(ई) यह कार्य केन्द्रीय सरकार से मंजूरी होने पर शुरू किये जावेंगे।

प्रश्न संख्या १०२६

श्री कस्तूरचन्द—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या डिस्ट्रिक्ट भीलवाडा में त्रिवेणी खुर्रा के निर्माण में सरकार द्वारा ४५०००) रु० खर्च करने पर भी वह काम पूरा नहीं हो पाया है और अब वह काम दो साल से अधूरा पड़ा है ?

Page No.11

[श्री कस्तूरचन्द]

(२) क्या सरकार ने इस साल इस काम को पूरा करने के लिए कोई रकम मंजूर की है ?

(३) यदि की है, तो कितनी ?

(४) क्या इस साल यह खुर्रा पूरा बन जायगा ?

(५) क्या सरकार को यह भी पता है कि खुर्रा नहीं बनने से बने हुए अधूरे खुर्रों में बरसात से कितना नुकसान हुवा है ?

श्री भोलानाथ--१. हां । अब तक का खर्चा ४५,१०० रुपया के करीब है और इसके लिए नवीन रूप से एस्टीमेट तथा डिजाइन्स बनाये गए हैं ।

२. हां ।

३. ६२,५६०)रु० बजट में रखे गए हैं ।

४. इस साल में बनने की आशा है । अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट है कि गत वर्षा में कुछ पत्थर गिर गये थे ।

श्री कस्तूरचन्द--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो ४५०००) रुपये इस खुर्रे पर खर्च किये गये हैं; उससे कोई फायदा हुआ है गत साल ४५०००) रुपया इस खुर्रे पर खर्च करके जो काम कराया गया वह चातुर्मास में खत्म हो गया है । इस साल भी बन जायगा और उसी तरह खत्म हो जायगा तो इसके लिये सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री भोलानाथ--न्यू एस्टीमेट (नये आंकड़े) और डिजाइन तैयार किये गये हैं ।

श्री कस्तूरचन्द--गत वर्ष जो ४५०००) रुपया खर्च किया गया उसका तो नुकसान हुआ; पर इस साल जो रकम मंजूर की गई है क्या उससे पूरा पूरा बनने की आशा है ?

श्री भोलानाथ--हां, अवश्य ।

श्री कस्तूरचन्द--आपके उत्तर से प्रकट होता है कि ४५०००) रुपये से करवाया हुआ काम पूरा का पूरा नष्ट नहीं हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है । तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह पूरा का पूरा नष्ट हो गया है ?

श्री भोलानाथ--पूरा का पूरा तो नुकसान नहीं हुआ है । हां, थोडा नुकसान हुआ है ।

श्री कस्तूरचन्द--मैं निश्चत रूप से कहता हूं कि वह पूरा का पूरा नष्ट हो गया है ; बिल्कुल ४५०००) रुपये खत्म हो गये हैं ।

Page No.12

श्री भोलानाथ--यह आप सूचना दे रहे हैं । मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने सदन को दे दी।

श्री भैरूसिंह--सरकार के ध्यान में कितना नुकसान हुआ ?

श्री भोलानाथ--ऐसा कोई एस्टीमेट तैयार नहीं किया गया है।

श्री कस्तूरचन्द--मंजूर किये हुए रुपयों से काम पूरा नहीं हुआ तो क्या और भी रुपया दिया जायगा ?

श्रीभोलानाथ--हां, अवश्य । पूरा काम कराना है ।

प्रश्न संख्या १०२७

राव श्री दलीपसिंह--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(१) बाठेडा (तहसील बल्लभनगर) गांव के प्रधानाध्यापक ने विद्यार्थियों द्वारा गांव की होली को फिकवा दिया ?

(२) क्या यह सच है कि पुलिस की दस्तंदाजी होने से स्थिति बिगड़ते बिगड़ते बची ?

(३) सरकार ने हैडमास्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री भोलानाथ--(१) व (२)-इस विषय में इस विभाग में ऐसी कोई शिकायत अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या १०२८

(श्री मोहब्बत सिंह की अनुपस्थिति में श्री जवान सिंह ने यह प्रश्न पूछा)

Will the Chief Minister be pleased to state whether minimun salaries fixed for R. A. S. Officers are paid to those non-R. A. S. Officers who are working on integrated posts of R. A. S. ?

If not, why ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--The minimum salaries fixed for R. A. S. Officers are not paid to non-R. A. S. Officers holding R. A. S. posts. Such officers are entitled to their unit scales of pay.

श्री अध्यक्ष--Next.

प्रश्न संख्या १०२६

श्री धर्मपाल--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) राजस्थान में शारदा एक्ट पर अमल हो रहा है ?

Page No.13

[श्री धर्मपाल]

(ख) यदि नहीं तो क्या इस महत्वपूर्ण कानून को सरकार अमल में लाने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

(ग) क्या यह सच है कि बीकानेर-जोधपुर में इसी साल हजारों की संख्या में ३-३ व ४-४ वर्ष के अबोध बालकों की शादियां हुई हैं ?

(घ) क्या कृपापूर्वक इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि छोटे बच्चों की सब से अधिक शादी की प्रथा राजस्थान की किन किन जातियों में पाई जाती है ?

(ङ) क्या ऐसी जातियों में फैली हुई इस भयंकर रूढी को खत्म करने के लिये सरकार कोई कानूनी या समाज सुधार के तरीकों को अपनाने का कोई इरादा रखती है ?

श्री नरसिंह कछवाहा--(उप-मंत्री, गृह विभाग) (क) चाइल्ड मेरेजेज रेस्ट्रिक्शन एक्ट (शार्दा एक्ट) राजस्थान में लागू है, मगर इसमें पुलिस हस्तक्षेप करने योग्य नहीं हैं ।

(ख) कुछ एसी शादियों की सूचना सरकार को मिली है, किन्तु यह विदित नहीं कि उनकी संख्या क्या है ।

(ग) सरकार के पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

(ङ) चाइल्ड मेरेजेज रेस्ट्रिक्शन एक्ट पहले ही से राजस्थान में लागू है किन्तु इस रूढ़ि का अंत करने के लिये समाज-सुधारकों का निरंतर प्रयत्न ही सफल हो सकता है ।

एक सदस्य--जब कि सरकार के ध्यान में है कि इस कानून का अमल नहीं हो रहा है तो भी वह कोई कार्यवाही नहीं करती ?

श्री नरसिंह कछवाहा--इसका उत्तर "ङ" में आ चुका है ।

श्री जसवन्तसिंह--क्या उत्तर आ गया है ?

श्री नरसिंह कछवाहा--कि यह समाज सुधारकों का काम है ।

श्री जसवन्तसिंह--क्या कानून तो सरकार बनाये और उसको अमल में लाने का काम समाज सुधारक करें ?

श्री नरसिंह कछवाहा--ये पुलिस-कोग्नीजेबल केसेज नहीं हैं ।

श्री जसवन्तसिंह--क्या हर शख्स को इस प्रकार का कानून तोडने की इजाजत दी जा सकती है ।

श्री नरसिंह कछवाहा—किसी खास जगह से ऐसा होने की सरकार के पास सूचना नहीं आई।

श्री जसवन्तसिंह—पुष्कर्णों के खानदान में सैंकडों की तादाद में शादियें होती हैं, क्या सरकार के ध्यान में है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—क्या आपने कभी इस प्रकार की सूचना दी है ?

श्री जसवन्तसिंह—जब कानून तोड़ा जाता है तो यह सरकार का फर्ज होता है कि उसके लिये सजा दे।

एक सदस्य—यह कानून किन किन कौमों पर लागू है? माली आदि जिन कोमों में नाता होता है उन पर भी यह लागू है।

श्री नरसिंह कछवाहा—जी हां, यह सब पर लागू है, यह राजपूतों पर भी लागू है।

श्री धर्मपाल (कां०)—क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत सी जातियों में ऐसी शादियें होती हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मुझे इस बात की सूचना नहीं।

प्रश्न संख्या १०३०

श्री केसरीसिंह राव—क्या गृह मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि मांडलगढ़ के आस पास चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वहां दिन दहाड़े चोरियां होती हैं ?

(२) क्या वहां रात को पुलिस का कोई गश्त ऑफिसर घूमता है ? यदि हां, तो फिर भी चोरियां क्यों होती हैं ?

(३) क्या सरकार इनका उचित प्रबन्ध करने के लिये पुलिस को सख्त आदेश देगी ?

(४) क्या यह सत्य है कि मांडलगढ़ में दो स्त्रियों के साथ बलात्कार हुये जिससे एक अस्पताल में ही मर गई ?

(५) किला मांडलगढ़ में चोरों द्वारा नोटिस लगाये जाते हैं और धूम-धाम से चोरियां होती ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप-मंत्री गृह विभाग)—(१) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मांडलगढ़ के आसपास पुलिस ठीक ढंग से कार्य नहीं करती है।

Page No.15

[श्री नरसिंह कछवाहा]

(२) एक हैड कान्सटेबिल और आठ कांस्टेबिल गश्त के लिये तैनात हैं, फिर भी चोरियां इसलिये हो सकती हैं कि वे हर समय हर स्थान पर उपस्थित नहीं रह सकते ।

(३) सरकार ने ऐसे आदेश पहले ही दे रखे हैं ।

(४) एक डकैती के सिलसिले में एक लड़की के साथ मांडलगढ़ में बलात्कार हुआ और वह अब अस्पताल में स्वस्थ है ।

(५) ऐसी कोई सूचना सरकार के ध्यान में नहीं है ।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**--जब सरकार के ध्यान में यह नहीं था तो फिर सरकार ने वहां स्पेशल स्टाफ क्यों रखा ? एक हैड कांस्टेबिल और दूसरे कांस्टेबिल ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**--सावधानी के लिये ।

श्री **जसवन्तसिंह**--हम हमेशा यह बात सरकार की तरफ से सुनते हैं कि हमको सूचना नहीं, सूचना नहीं । आखिर सरकार को किस बात की सूचना है : यह तो सरकार बतलाने की कृपा करे ? जब कानून टूटते हैं तो उसकी भी सरकार को सूचना नहीं मिलती ।

श्री **नरसिंह कछवाहा**--जिस बात की सरकार को सूचना मिलती है उसका इन्तजाम कर दिया जाता है ।

श्री **शंभूसिंह**--जब वहां पर पुलिस का प्रबन्ध है, फिर भी चोरियों की संख्या कैसे बढती जा रही है ? क्या इसका कारण क्रिमिनल ट्राइब्स पर से प्रतिबंध हटना है ।

श्री **नरसिंह कछवाहा**--हो सकता है ।

श्री **शंभूसिंह**--क्या सरकार क्रिमिनल ट्राइब्स पर प्रतिबन्ध लगाएगी ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**--यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिये कोई शिकायत हो तो इसका प्रबन्ध हो सकता है, जाति के लिये प्रतिबन्ध नहीं हो सकता ।

श्री **अध्यक्ष**--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०३१

श्री **भोलानाथ**--यह प्रश्न भूल से छूट गया है इसलिये इसका जवाब कल दे दिया जाएगा ।

श्री **अध्यक्ष**--Because it is Dalda Ghee.

(विराम)

Next.

प्रश्न संख्या १०३२

श्री मोतीचंद खजान्चो--क्या गृह (ट्रान्सपोर्ट) मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) राजस्थान सरकार को विभिन्न रियासतों के विलिनिकरण के साथ कितने कितने वायुयान मिले ?

(ख) उपरोक्त वायुयानों के कल पुर्जे तथा अन्य सामग्री सम्बन्धी स्टोर्स की सूची उस वक्त बनाली गई थी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि ना, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि उपरोक्त स्टोरों में से कितनी सामग्री को अनाधिकृत रूप से बेचा गया ?

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(ङ) यदि ना, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराने को तैयार है ?

श्री भोलानाथ--(क) सूची टेबिल पर रखदी गई है ।

(ख) जी हां । जयपुर और भरतपुर से जो कल पुर्जे व अन्य स्टोर्स मिले थे उनकी सूची मेज पर रखदी गई है । कोटा, अलवर और बीकानेर के स्टोर्स की सूची मंगवाई गई है, प्राप्त होने पर मेज पर रखदी जावेगी ।

(ग) जहां तक सरकार को विदित है अनाधिकृत रूप से सामान नहीं बेचा गया है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची लम्बी होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

श्री मोतीचन्द खजान्ची--क्या कोई सामान नहीं बेचा गया ?

श्री भोलानाथ--नहीं ।

श्री मोतीचन्द खजान्चो-- क्या आप यह जानकारी के आधार पर कह रहे हैं ?

श्री भोलानाथ--हां ।

श्री मोतीचन्द खजान्ची--क्या सरकार के पास इस किस्म की कोई शिकायत है कि अनाधिकृत रूप से सामान बेचा गया ?

श्री भोलानाथ--नहीं है ।

श्री मोतीचन्द खजान्ची--क्या ऐसी आम अफवाह है कि सामान अनाधिकृत रूप से बेचा गया ?

श्री भोलानाथ—कोई अफवाह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०३३

रावश्री केशरीसिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(अ) मांडलगढ़ में हाई स्कूल भवन के निर्माण में सरकार ने कितना रुपया मदद के तौर पर दिया ।

(आ) क्या इस बात का कारण बतलावेंगी कि अभी तक सरकार का आश्वासन मिलने पर भी उक्त भवन के निर्माण के लिये रुपया नहीं दिया गया ?

(इ) कब तक उम्मीद करें कि मांडलगढ़ में भवन निर्माण हो कर पढ़ाई शुरू हो जावेगी ?

श्री भोलानाथ—(क) अभी तक रुपया नहीं दिया गया ।

(ख) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया । ऐसी सहायता सरकार की आर्थिक दशा को दृष्टिकोण में रखते हुए तथा उपयुक्त धन प्राप्त होने पर ही दी जा सकती है ।

(ग) निश्चय रूप से तो नहीं कहा जा सकता किन्तु इस विषय पर अन्य ऐसे मामलों के साथ इस वर्ष विचार किया जावेगा ।

राव श्री केशरीसिंह—क्या पंचवर्षीय योजना में भी इसमें कुछ मदद दी जावेगी ?

श्री भोलानाथ—यह तो हाई स्कूल के भवन निर्माण का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०३४

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिस नवयुवक की मारोठ में संदेहप्रद स्तिथि में मृत्यु हुई उस विषय में अबतक पुलिस ने क्या कार्यवाही की और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और किन किन का चालान किया गया ?

(ख) क्या इस विषय में जिन पुलिस कर्मचारियों व पुलिस अधिकारियों का हाथ होने का संदेह था उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उपमंत्री गृह विभाग)—मारोठ में मुरारीलाल ओझा सुपुत्र श्री हंसराज ओझा की संदेहप्रद स्तिथि में मृत्यु हुई । जाब्ता फौजदारी की १७४ धारा के अंतर्गत सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस

Page No.18

[श्री नरसिंह कछवाहा]
ने जांच की और जांच में पाया गया कि नवयुवक ने आत्महत्या की है। डी. आई. जी., जोधपुर ने जांच की और यही परिणाम निकला। क्योंकि यह मुकदमा आत्महत्या का था अतएव किसी की गिरफ्तारी का या चालान करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री **भैरूंसिंह (दांतारामगढ़)**—क्या यह सही है कि उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया गया ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—हां, यह सही है।

श्री **भैरूंसिंह**—क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डाक्टर ने यह लिखा है कि पानी में पडने से पहिले मृत्यु हो चुकी थी ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—नहीं।

श्री **भैरूंसिंह**—मैं समझता हूं कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी नहीं है।

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या उसने कूए में गिरकर आत्महत्या की थी ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—हां।

श्री **किशनलाल शाह**—उसके कूए में गिरने और आत्महत्या का कोई कारण सरकार को मालूम हुआ ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—हो सकता है कि उसके खिलाफ बहुत सारे फौजदारी के केसेज थे, उनके भय के मारे वह कूए में गिर पडा और आत्महत्या करली।

श्री **किशनलाल शाह**—क्या सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ जो जो केसेज थे उनको बतलाने की कोशिश करेगी ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—यह अलग प्रश्न है।

श्री **किशनलाल शाह**—जब एक व्यक्ति के मौत का प्रश्न है तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमे जो चल रहे थे उनको बतलाना बहुत लाजिमी है।

श्री **नरसिंह कछवाहा**—उसके खिलाफ तीन-चार क्रिमिनल केसेज चल रहे थे जिनमें से एक ४५७, ३८० आई. पी. सी तथा ४५७ आई. पी. सी.। इसके अलावा और भी केसेज थे।

श्री **किशनलाल शाह**—इसके अलावा भी कोई केसेज थे क्या ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—यह तो जानकारी के लिये बताया गया है कि उसके खिलाफ केसेज थे।

श्री **किशनलाल शाह**—I want to know the number of cases and the names of the complainants ?

श्री न सिं. कछवा ।—I have already replied.

श्री किशनलाल शाह–Is it a fact that on the previous night of his death he was called by the Police.

श्री नरसिंह कछवाहा—Yes, he was called and released too.

श्री किशनलाल शाह—(अश्रव्य)

श्री नरसिंह कछवाहा—इसके लिये अलग प्रश्न किया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

No, the question is about a thing. The mover of the question wants to know what action has the Police taken regarding the arrest of persons for the death of a person, whether a case was registered and so on. What were the cases against him and what were the reasons, i.e., facts of these cases, it is a different question. I am afraid I cannot allow.

श्री भैरूसिंह–क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पुलिस का सब-इन्सपेक्टर भी जब इसकी जांच कर सकता है तो वहां पर एस. पी. को जांच के लिये भेजने का क्या कारण था ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह नहीं बताया जा सकता ।

श्री किशनसिंह शाह–क्या यह सही है कि पुलिस ने जिस दिन उसको बुलाया था होली का दिन था ।

श्री नरसिंह कछवाहा(उप-मंत्री)—नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ)—क्या वह पुलिस के छोड़ने के एक घण्टे बाद ही मर गया ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप-मंत्री)—नहीं ।

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ)—आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी लाश एक घण्टे बाद नहीं मिली ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप-मंत्री)— वह तीन–चार दिन से गायब रहा था ।

श्री किशनलाल शाह—कानून के हिसाब से ऐसे मामले मजिस्ट्रेट के सामने जाने चाहिये । क्या यह मामला मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया था ?

श्री नरसिंह कछवाहा(उप-मंत्री)—रखा गया था ।

श्री भैरूसिंह(दांता रामगढ़)–ऐसे मामलों की जांच सब-इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस हो किया करते हैं तो फिर एस. पी. से जांच क्यों करवाई गई ?

Page No.20

श्री नरसिंह कछवाहा (उप-मंत्री)—डी. एस. पी. ने जांच की थी।

श्री किशनलाल शाह—उनकी डेथ का शोर हुआ तब क्या there was uproar in the town ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उपमंत्री)—ऐसी बात नहीं हुई।

श्री किशनलाल शाह—मैं......................

श्री अध्यक्ष—आर्डर ! आर्डर !! श्री छीतरसिंह।

प्रश्न संख्या १०३५

श्री अध्यक्ष—श्री छतरसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १०३६ (१८६। पी डब्ल्यू. डी एम.)

श्री हंसराज जाटिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बारी टाउन, धोलपुर यूनिट में क्या बिजली लग चुकी है ?

(२) यदि हां, तो फिर क्या कारण है कि स्ट्रीट लाइट नहीं मिलती है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(१) हां।

(२) स्ट्रीट लाइट लगाने का सम्बन्ध म्युनिसिपेलिटी से है और जब बारी टाउन म्युनिसिपेलिटी इसका प्रारम्भिक एक वार्षिक व्यय सहन करने का उत्तरदायित्व अपने उपर ले लेगी तथा उन स्थानों पर जहां कि वे बिजली लगाना चाहते हैं उनका निश्चय कर लेगी तब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट इस सम्बन्ध में आगे की आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा।

एक सदस्य—क्या वहां की जनता टेक्स देती है ?

श्री भोलानाथ—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री):—इलेक्ट्रिक डिपापार्टमेन्ट कोई टेक्स नहीं लगाता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या १०३७ (१६१। पी. डब्ल्यू. एम.)

श्री तेजराजसिंह—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा से डीगोद, बरोड होती हुई इटावा रोड जो ३८ माइल कच्ची है कब तक पक्की हो जायगी ?

Page No.21

[श्री तेजराजसिंह]

(२) क्या यह सही है कि यह सडक केन्द्रीय सरकार की सहायता से ५३-५४ के साल में पक्की की जाने वाली सड़कों की स्कीम में शामिल है ?

(३) क्या सरकार को यह मालूम है कि यह क्षेत्र कोटा का व्हीट प्रोड्यूसिंग सेन्टर है और क्षेत्र में पक्की सड़क का अभाव होने से काश्तकारों का कितना अहित होता है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजानिक निर्माण मंत्री)

(१) निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(२) प्रस्ताव अवश्य किया गया है।

(३) हां।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०३८ (१३६ । इ. एम)

राव श्री केसरीसिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(अ) बिजोलिया की स्कूल के हैड मास्टर के तबादले के हुक्म कितनी बार जारी करने के बाद रद्द किए गए ?

(आ) क्या यह सही है कि छात्रों ने उनके व्यवहार से असंतुष्ट होकर हड़ताल की थी ?

(इ) उनके विरुद्ध नागरिकों के कितने तार व पत्र सरकार के पास आये हैं ?

(ई) क्या सरकार को विदित है कि गत वर्ष बिजोलिया स्कूल के कितने छात्र ८ वीं कक्षा म थ और उनमें से कितने पास हुए ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)--(अ) बिजोलिया स्कूल के हैडमास्टर के तबादले की कोई आज्ञा जारी नहीं की इसलिये आज्ञा रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(आ) कुछ बाहर के लोगों ने बहका कर स्ट्राइक करवाई थी परन्तु सही हाल समझाने पर छात्रों ने स्ट्राइक स्वयं तोड दी।

(इ) नागरिकों की ओर से प्रधानाध्यापक के विरूद्ध भी पत्र आये हैं तथा अनुकूल भी पत्र आये हैं।

(ई) गतवर्ष बिजोलिया स्कूल में कक्षा ८ में १२ छात्र थे जिनमें केवल एक छात्र पास हुआ।

श्री हिम्मतसिंह--'आ' का उत्तर ठीक प्रकार से नहीं दिया गया है। प्रश्न यह है कि मास्टर साहब का व्यवहार अच्छा था या नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)--प्रश्न यह नहीं था। मैंने यह जवाब दिया था कि मास्टर साहब के व्यवहार से ऊब कर हडताल नहीं की है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०३६ (१७६। इ. सी. एम.)

(श्री हरिकृष्ण व्यास की अनुपस्थिति में उनके प्रश्न श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ) द्वारा प्रस्तुत किए गए)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Home be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that about six months back a forged payment of Rs. 15,000/- was made in the Bank of Jaipur Ltd., H. O.?

(b) Is it a fact that no report was lodged with the police at that time ?

(c) Is it a fact that the report was lodged at City Kotwali in the last week of February 1953 ?

If so, has the Bank given reasonable explanation for the extraordinary delay?

(d) Is it a fact that some bank employees were taken under Police custody and were kept there for a week or so ?

(e) Is it a fact that the D. S. P. City usually non-interested in such cases intervened in the investigation of this particular case ?

(f) Were the Bank employees beaten and mishandled while they were under Police custody ?

(g) What were the findings of the Police enquiry and what has been done in this case ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप-मंत्री गृह विभाग)—

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) Yes, one Shri M. L. Metha a clerk of the Bank was taken into police custody and he was remanded for 8 days .

(e) No.

(f) No.

(g) Due to lack of evidence the case has been reported untraced.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—इस मामले की जांच किस ओहदे के ऑफिसर ने की है ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप-मंत्री):—डी. एस पी. ने की है।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ):—क्या सरकार को डी. एस. पी. की जांच से संतोष है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर! नेक्स्ट !!

प्रश्न संख्या १०४० (१७८ । डा. सा. एम.)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Home be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that S. Is. Police Badri Prasad and Durga Prasad of Dausa were suspended on account of taking a bribe of Rs. 300/- from a Mina ?

(b) Is it a fact that a few days after that, the above Mina was arrested under orders of D. S. P. Dausa ?

(c) Is it a fact that the Mina was prevented from giving his statement in the above corruption case ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उपमंत्री, गृह विभाग)--

(a) Yes.

(b) No.

(c) No.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या १०४१ (१६३ । पी. डबल्यू. एम.)

श्री प्रभुदयाल—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि बीकानेर पॉवर हाउस में एक सब-एसिस्टेन्ट इन्जीनियर के खिलाफ कोई चरित्र भ्रष्ट का केस चला था ?

(ख) क्या यह सही है कि पहिले उन्होंने ऐसे वाके किये थे ? यदि हां, तो क्या सजा दी गई ?

(ग) क्या ऐसी सूरतों में वह नोकरी करने के हकदार हैं । यदि नहीं ; तो क्यों अभी तक सर्विस में हैं ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—ऐसी कोई सूचना इस विभाग में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०४२ (१४६ । पी. डबल्यू. एम.)

श्री हंसराज जटिया—क्या यातायात मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:— जिन लोगो ने ट्रक्स व मोटर बस धोलपुर से बाडी, बसेडी, सरमथरा, राजा खेडा व सपेउ सड़कों पर चलाने के लिए लाइसेन्स लिए हैं उनको नई मोटरों का लाइसेन्स दिया गया है या पुरानी मोटरों का ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—धोलपुर से बाडी, बसेडी, सरमथरा, राजाखेडा व सपेउ सड़कों पर बस सर्विस चलाने के लिए सन् १६४८ व उससे पुराने मोडलों की मोटर के परमिट दिए गए हैं

[श्री भोलानाथ]

ट्रकों के विषय में खास तरह से किसी सड़क के लिए परमिट नहीं होते हैं। रीजन्स के लिए परमिट दिए जाते हैं। इन सड़कों पर ट्रक चलाने के लिए कोई विशेष परमिट नहीं दिए गए हैं

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट। श्री संतोषसिंह।

प्रश्न संख्या १०४३ (१४३१। **इ. एम.**)

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) ऐसे कौन कौन अध्यापक किस किस स्कूल में हैं जो काम एक स्कूल में करते हैं और उनको तनख्वाह दूसरी जगह की स्कूल के हैड के नाम से मिलती है ?

(२) इस तरह के अध्यापकों को जहां पर डयुटी है और वहां से उनको तनख्वाह मिलती है वहां न रख कर दूसरी स्कूलो में उनकों क्यों रखा जाता है ? इसमें सरकार का क्या प्रयोजन है ?

श्री **भोलानाथ** (शिक्षा मंत्री)—

(१) इस विषय में सूचना इकट्ठी करने में समय लगेगा।

(२) ऐसे स्कूल की आवश्यकता को दृष्टिकोण में रख कर ही किया जाता है। जिस स्कूल में विद्यार्थियों का नम्बर कम होजाता है वहां से टीचर हटा कर जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक बढ़ जाती है और जहां उनकी जरुरत होती है वे उन स्कूलों में लगा दिए जाते हैं।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०४४ (१६५। **पी. डबल्यू. एम.**)

श्री **हंसराज जटिया**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

जो सरकारी बागात धोलपुर यूनिट में ठेके पर नीलाम किए जाते हैं क्या उनमें ठेकेदारान के साथ यह शर्त की जाती है कि वह हरे व सूखे दोनों तरह के दरख्तों को काट सकते हैं ?

श्री **भोलानाथ** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—नहीं। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जाती है।

श्री **हंसराज**—क्या ऐसी कोई शर्त रखने का विचार है।

श्री **भोलानाथ** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—ठेके दिए जाते हैं तो यह शर्त होती है कि गीली लकडी वगैरह कटाने के लिए बागात के चौधरी को अधिकार है। वे सूखी लकडी पत्ते वगैरह भी नहीं लेजा सकते हैं।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०४५ (१६६ । पी. डबल्यू. एम.)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या मंत्री, बागायत विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि रामनिवास बाग, जयपुर, के मौजूदा ऑफिसर श्री बृजवासी के खिलाफ विभाग में कई गड़बड़ियें होने के कारण कुछ केसेज चल रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन केसेज की बाकायदा इन्क्वायरी करने के हेतु विभाग के मंत्री की स्वीकृति मांगी गई है ?

(३) यदि हां, तो उन कागजों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) क्या सरकार अब उनकी जांच करायगी ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):—

(१) हां, कुछ शिकायतें आई हैं ।

(२) कोई केस नहीं चल रहा है ।

(३) विभागीय जांच की कार्यवाही विचाराधीन है ।

(४) उपरोक्त उत्तर में जवाब आगया है ।

(५) अवश्य ।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—यह शिकायत कितने अर्से से विचाराधीन है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—शिकायतें तो रोजाना आती ही रहती हैं ।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि यह शिकायत बारह महीने से चल रही है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—"यह" के माने क्या ?

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—श्री बृजवासी के खिलाफ शिकायतें ।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—क्या शिकायतें हैं ?

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—यह शिकायत कई महीनों से चल रही है ।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—ऐसे बहुत से शिकायती-पत्र आते ही रहते हैं ।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—जिन शिकायतों के बारे में आपने जवाब दिया है ।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—'यह' से 'जिनमें' बदल दिया गया है। यह' और 'जिनमें' में तो काफी फर्क है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०४६ (१३३। इ. एम.)

श्री धर्मपाल— क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर सनातन धर्म हाईस्कूल को राजस्थान सरकार से कितनी एड मिलती है ?

(ख) क्या ऐसे स्कूलों में हरिजन छात्रों को पढ़ने का अधिकार है ?

(ग) यदि ऐसे स्कूलों में हरिजन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो क्या सरकार ऐसी स्कूलों के प्रति उत्तरदायी नहीं है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—

(क) गंगानगर सनातन धर्म हाई स्कूल को राजस्थान सरकार की ओर से ६,६७०) रुपये सालाना एड मिलती है।

(ख) हरिजन छात्रों को पढ़ने का अधिकार है।

(ग) हरिजन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता, इस विषय में जांच होने पर तथा यह साबित हो जाने पर ऐसे स्कूलों के प्रति उचित कार्यवाही की जा सकती है तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐड भी बन्द की जा सकती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सरकार के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत आई है कि वहां हरिजन बच्चों को स्थान नहीं दिया जाता है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री कस्तूरचन्द—किन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया था ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

एक सदस्य—क्या अब भी हरिजन बच्चों को प्रवेश मिल सकेगा ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—जरूर कराया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या अगर वे भर्ती नहीं करेंगे तो एड बन्द करदी जायगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट १०४७ । श्री एच. के व्यास—

(अनुपस्थित)

अल्प-काल सूचना प्रश्न

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, शोर्ट नोटिस क्वेश्चन । श्री मथुरा दास माथुर ।

श्री मथुरादास माथुर—Will the Revenue Minister be pleased to answer the following questions:—

(1) Is it a fact that due to famine conditions in the State starvation deaths have occured ?

(2) If so, how many ?

(3) Are people in the Famine striken area living upon hark breads ?

(4) Will the Minister kindly make a statement on the famine conditions in the State in view of discussions in the Parliament on 24 4-1953.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(१) नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) नहीं ।

(४) माननीय अध्यक्ष महोदय,—

इस प्रश्न द्वारा मुझे इस सम्बन्ध में अभी पिछली २४ तारीख को पार्लियामेन्ट के अन्दर जो बहस हुई, उसके सम्बन्ध में वक्तव्य देने को कहा गया है ।

अधिकतर माननीय सदस्य इस बहस से परिचित हैं और मैं इस ओर विस्तार में जाना नहीं चाहता लेकिन इस बहस के दौरान इस बात की ओर संकेत किया गया था कि राजस्थान में अकाल के कारण स्टार्वेशन डैथ्स यानी भूख के कारण मौतें हो रहीं हैं और लोग-बाग छिलके और घास की रोटियां खा रहे हैं तथा इस अकाल ग्रस्त इलाके में जो कुछ मदद दी गई है वह बहुत कम है एवं पूरी तौर से इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है । सबसे पहले मैं इन सवालों पर अपनी बात कहना चाहूंगा ।

जहाँ तक राजस्थान के अन्दर अनाज की उपलब्धि का प्रश्न है मैं समझता हूं कि सबको यह स्पष्ट विदित है कि राजस्थान के अन्दर अलग अलग हिस्सों में सब जगह इस समय अनाज उपलब्ध है । कहीं पर भी अनाज उपलब्ध नहीं है, ऐसी बात नहीं है । जिस डिविजन का इसमें जिक्र किया गया है; खास तौर से किया गया है बीकानेर डिविजन का । उस डिविजन में सरकार की ओर से ८४ अनाज की सस्ती दूकानें इस वक्त भी चल रही हैं । तो इस तरह से नाज की उपलब्धि नहीं है, यह प्रश्न नहीं है ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]
राजस्थान में सभी तरफ, चाहे कोई कमी वाला इलाका हो, चाहे दूसरा इलाका हो, सब में नाज की पूरी पूरी उपलब्धि है ।

दूसरी बात जो कही गई है कि अनाज नहीं मिलने से स्टार्वेशन डैथ्स हुई, इसके बारे में मैं समझता हूं कि लोकसभा के माननीय सदस्यों ने शायद कुछ अखबारों में जिस प्रकार से मौत के समाचार छपते हैं उसी आधार पर बातें कहीं हों । पर इस ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये समाचार कहां तक सही हैं, इसकी जांच सरकार ने वहां के पटवारियों, तहसीलदारों आदि से ही नहीं करवाई बल्कि रिलीफ कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर को भी जांच करने के लिए हमने आदेश दिया । हमने उनको ऑन दी स्पोट भेजा । वहां जाकर उन्होंने जो जांच की उस जांच का परिणाम यह आया कि जिस जगह जिसकी मृत्यु के लिए अखबारों में रिपोर्ट की गई थी वह व्यक्ति एक लम्बे समय तक बीमार रहा, लम्बे समय तक उसका इलाज किया गया, उसको ३०) रुपये फीस के भी दिये गये; इस तरह का रिटन स्टेटमेन्ट सरकार के पास मौजूद है । ३०) रु० फ़ीस के देने बाद और इलाज एक लम्बे अरसे तक कराने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई-बन्धुओं द्वारा मृत्यु भोज किया गया और उसमें तीन-चार सौ रुपया खर्च किया गया। यह सब उसके परिवार के द्वारा किया गया । इस तरह का रिटन स्टेटमेन्ट (लिखित वक्तव्य) सरकार के पास मौजूद है । उस परिवार में सबके सब जीवित थे तथा आसपास में सब जीवित थे । वह व्यक्ति बीमारी से मरा, वैद्य का इलाज रहा । तीस रुपया फ़ीस का दिया गया और इन सब चीजों को हम साबित कर सकते हैं इस तरह की मृत्यु तो मामूली समय में भी सम्भव है । अकाल की वजह से यह मृत्यु हुई, यह एक पूरी गैर जिम्मेवाराना चीज कही जा सकती है । इसको सरकार पर झूठा आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

दूसरी बातों के बारे में पूरी पूरी तौर से पता लगाया । वहां पर कोई भी मृत्यु इस प्रकार की नहीं हुई और मैं यह दावे के साथ, निश्चय पूर्वक कह सकता हूं । इस सदन के माननीय सदस्य और पार्लियामेन्ट के सदस्य अगर चाहें तो स्वयं वहां जाकर इसका पता लगा सकते हैं। यह समाचार केवल-मात्र सरकार को बदनाम करने के लिए हल्के दर्जे के तरीके हैं; इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है ।

उस इलाके में लोग घास और छिलके की रोटियां खा रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं और वहां भीषण अकाल व्याप्त है, इस तरह की बातें पार्लियामेन्ट के माननीय सदस्यों ने कहीं, जो बडे दुर्भाग्य की बात है । माननीय अध्यक्ष, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन सदस्यों ने राजस्थान के अकाल ग्रसित इलाके का दौरा करके पूरी और सही जानकारी तक प्राप्त नहीं की है । बल्कि वे इस इलाके के न होकर बाहर के रहने वाले हैं, दूर के इलाके के रहने वाले हैं । दूर के रहने वाले होकर बिना पूरी जानकारी प्राप्त किये केवल अखबारी आधार पर उन्होंने ये बातें सदन में जो कहीं, यह बड़ी दुखद बात है; खास कर तब जब कि पहले इस तरह के डिसकशन के बारे में कोई वास्तविकता नहीं जानी जावे और वहां पर इस तरह की बातें कही जावें ।

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

इस सदन में जब कभी राजस्थान की स्थिति के बारे में कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा गया है; पर इस बात का इस तरह का जिक्र इस फ़्लोर पर कभी किसी सदस्य द्वारा नहीं किया गया। उस इलाके से आये हुऐ प्रतिनिधियों ने भी इस बात का कभी कोई जिक्र इस सदन के इस फ़्लोर पर नहीं किया।

इसके विपरीत जो वहां के रहने वाले नहीं, जिन्होंने कभी उस इलाके का दौरा करके वास्तविक तथ्यों को जानने का कभी प्रयत्न नहीं किया उन व्यक्तियों ने इस बारे में केवल अखबारों के समाचारों के अधार पर संसद में जिक्र किया, जो कि बिलकुल गैर जिम्मेवाराना है। इस बात को मैं खास तौर से कहना चाहूंगा।

इसके साथ साथ उस सहायता का उल्लेख कर देना भी मैं उचित समझता हूं जो सरकार द्वारा उस वक्त की गई। इसके लिए अच्छा होगा कि सदस्यों को समझाने के लिए मैं उस का भी जिक्र कर दूं।

जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए राजस्थान में इस वर्ष और पिछले वर्षों भी जो कार्य सरकार द्वारा किया गया वह उचित ही ठहराया जावेगा।

सन् ५१ में जो वर्षा का अभाव हुआ उसके कारण फसल नहीं हुई। इसके कारण सरकार ने राहत के तौर पर ३०,६६,१९८) रुपये खर्च दिये।

इसके बाद सन् ५१ के वर्ष के बाद ही अप्रेल, मई और जून के महीने ज्यादा संकट के थे। तब ८४,८५,०००) रु० लेवी पर खर्च किये और ५४ लाख रुपये तकावी के तौर पर दिये।

सन् ५२ में दुर्भाग्य से फिर वर्षा का अभाव हुआ, टिड्डियों का आक्रमण हुआ, वर्षा अचानक टल गई। इन सबके कारण जो अकाल की स्थिति पैदा हुई उसकी वजह से नवम्बर से लेकर मार्च तक २०,२८,५००) रुपये सरकार द्वारा खर्च किये गये और इस वर्ष भी ६७,५०,०००) रुपये जिसमें तकावी भी शामिल है सरकार खर्च करने वाली है। यह रकम सरकार सड़कें, कए आदि बनाने में खर्च करेगी। इसके अतिरिक्त १९ लाख रुपये और हैं जो भारत सरकार द्वारा दिये गये हैं। यह व्यवस्था सारी स्थिति का मुकावला करने के लिये की गई है।

अलग अलग इलाकों में कई सडकें, पोखर, तालाव, जोड़ों आदि का काम सब तरफ चालू किया है।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह कह सकता हूं कि जहां इसमें भाखरा कैनाल के पीछे १ करोड रुपये खर्च होने वाले हैं पिछली साल ८० लाख का खर्च हुआ, वे आंकडे इसमें सम्मिलित नहीं किये गये हैं। तो सब सोचकर हमने यह प्रबन्ध किया है कि इन कामों के लिये बीकानेर के लोगों को बीकानेर में ही काम मिलता है और वहीं उन लोगों को बहुत से कामों में लगा रहे हैं। अलग अलग जगह रिलीफ के कैम्प्स खोले गये हैं जिनमें अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयत्न किया जाता है; उन लोगों को राहत देने के लिए।

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

कई जगह बहुत से ग्रामों में मिटटी खोदने, तालाब, कूए आदि का काम दिया जाता है और इस तरह उनको राहत पहूंचाई जाती है ।

इसके बाद में उस बात का जिक्र करूंगा जिसकी तरफ सदन के बहुत से मेरे साथियों ने ध्यान दिया होगा । वह है भारत सरकार के मन्त्री श्री पंजाबराव देशमुख का वह स्टेटमेन्ट जो उन्होंने संसद के अन्दर दिया है, जिसमें यह बात कही गई कि राजस्थान सरकार ने उनको यहां की अकाल की स्थिति से जानकारी नहीं दी, अवगत नहीं रखा । इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शायद यह बात उन्होंने इस तरह से कही होगी कि भारत सरकार राजस्थान सरकार की अधिक मदद करना चाहती है; परन्तु हमने उन्हें वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं कराया इस कारण वह मदद हमें नहीं मिली । मैं इस पर निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो फोर्टनाइटली प्रोफोर्मा होता है जिसको भेजने का प्रश्न हुआ था लेकिन उससे भी ज्यादा डिटेल के अन्दर यहां की स्थिति को बताते हुए, यहां की आवश्यकता को बताते हुए हमने भारत सरकार के सामने समय समय पर बराबर इस संबन्ध में बातचीत की है और रिप्रेजेन्टेशन्स भी दिये हैं । मैं सब से पहले इस सदन का ध्यान ७ जनवरी, १९५३ को स्टेट्स मिनिस्ट्री के अधीन भारत सरकार के सामने जब वहां के सेक्रेटरी एवं दूसरे व्यक्ति मौजूद थे और मैं स्वयं भी मौजूद था आर्थिक मदद के बारे में एप्रोच किया, उनसे यहां की स्थिति के बारे में बातचीत की गई, बतलाना चाहता हूं । बातचीत के परिणामस्वरूप वहां से जो मीटिंग के मिनिट्स भेजे गये उस रिपोर्ट में से एक पैरेग्राफ सदन की जानकारी के लिये रखना चाहता हूं जिससे पूरा यकीन हो जायगा कि राजस्थान सरकार इस संबन्ध में कतई उदासीन नहीं बल्कि समय समय पर पूरी तौर से यहां की स्थिति को उनके सम्मुख रखा है । उस पैरेग्राफ को माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं पढ़ना पसन्द करूंगा :

"The programme of the relief expenditure proposed to be incurred by the Rajasthan Government in connection with the failure of rains in 1952 in Jodhpur and Bikaner Divisions and as a result of the excessive and untimely rains in some parts of Udaipur Division was discussed. The immediate issue was the method of financing the works proposed to be taken up in the current financial year. Shri Sukhadia explained that having regard to the difficult ways and means position of the State Government, the entire amount required for carrying out the programme should be provided by the Centre."

यह उस मीटिंग की मिनिट्स का एक पार्ट है जो कि वहां हुई थी । उस बातचीत के बाद माननीय अध्यक्ष, हम आशा करते थे कि हमने जितनी भी मांग की थी उतनी मदद हमें दी जायगी लेकिन इसके बारे में भारत सरकार द्वारा यह तय किया गया कि ग्रेचुटस रिलीफ (gratuitous relief) दिया जायगा । उसमें भारत सरकार ५० प्रतिशत ग्रान्ट मदद देती है और अनप्रोडक्टिव काम किये जाते हैं उसपर ५० प्रतिशत लोन दिया जाता है । प्रोडक्टिव काम के लिये जैसे कि इरिगेशन, तालाब, सडकों का निर्माण आदि के लिए भारत सरकार कुछ भी नहीं देती । चाहे ग्रेचुटस रिलीफ हो या प्रोडक्टिव वर्कस हों उसमे पचास प्रतिशत राजस्थान सरकार को खर्च करना आवश्यक होता है । इसमें राजस्थान

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

की जैसी स्थिति है उसको प्रोडक्टिव वर्क के लिए वहां से कम मदद मिलती है। भारत सरकार से जो ग्रान्ट की तौर पर हमें मदद मिली, जिसको आपने देखा होगा, जो आंकडे मैंने पेश किये करीब करीब २ करोड़ रूपया आता है। जो फार्मूला भारत सरकार ने तय किया उसके अनुसार हमें ३ लाख ९२ हजार रूपया केवल ग्रान्ट की तौर पर मिला और लोन की तौर पर १२ लाख ९८ हजार रूपया मिला जिसमें पिछले एक्स्पेन्डिचर (व्यय) भी शामिल थे। ५३-५४ के एक्स्पेन्डीचर इसमें शरीक नहीं करते। २३ जनवरी १९५३ को रिलीफ कमिश्नर द्वारा जो रिप्रेजेन्टेशन ७ जनवरी को किया था उसके जरिये अमाउन्टस प्राप्त करने के लिये उन्हें भेजा। उसके बाद १० मार्च, ५३ को जोधपुर में जब श्री पंजाबराव देशमुख अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड (Underground Water Board) की मिटिंग में पधारे उस मौके पर हमने एक रिप्रेजेन्टेशन जिसमें हमारी डिमान्ड्स शामिल थीं उन्हें पेश किया और मांग की कि हमें इस संबन्ध में मदद दी जानी चाहिये। इसके बाद और बीच में हमने श्री रफीअहमद किदवई साहब, जो एग्रीकलचर और फूड मिनिस्टर हैं, के समक्ष भी राजस्थान की स्थिति रखी और उनसे निवेदन किया कि भारत सरकार ने जो फोरम्युला तय किया है उससे राजस्थान की जैसी परिस्थिति है उसको देखते हुए ज्यादा मदद नहीं मिलती है, अतः उसमें परिवर्तन करके ज्यादा मदद दी जानी चाहिये। १५ अप्रेल १९५३ को श्री काटजू साहब से भी विस्तार पूर्वक बातचीत की गई और उनके सामने भी सारी परिस्थिति रखी गई और उनसे मांग की गई कि वे हमें कम से कम ७१ लाख रूपया इस वर्ष के लिए जल्दी से जल्दी दिलवायें। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वे एक स्ट्रोंग नोट इस बारे में फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को लिखकर भेजेंगे और उसके बाद जल्दी से जल्दी निर्णय किया जायगा। मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने सदन के सामने रखी हैं उनसे स्पष्ट होजाता है कि समय समय पर भारत सरकार को इस सम्बन्ध में अवगत ही नहीं किया गया बल्कि राजस्थान में जो परिस्थिति पैदा हो गई है, अकाल के कारण, उसका बराबर विवरण भी भेजा गया। अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी सदस्य समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल घास की रोटी खाकर जिन्दा नहीं रह सकता। अगर इस तरह की परिस्थिति होती तो कई मृत्यु हो गई होतीं और यहां मृत्यु की बात कह कर न मालूम क्या करते। इन छोटी सी बातों को इतना बड़ा तूल देकर जो राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, और जो इन चीजों का प्रदर्शन कर सरकार को गलत समझने का प्रयत्न करते हैं उनके लिए मैंने जो वास्तविक स्थिति थी वह सदन के सामने रख दी है।

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या यह समझें कि बीकानेर डिवीजन के लिए अकाल का सामना करने के लिए जो रकम दी गई वह पर्याप्त है?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—वहां की सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने जितना रुपया अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मन्जूर किया है उसको लक्ष्य में रखते हुए सहायता की गई है। अब रहा सवाल कि वह पर्याप्त है या नहीं इसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं, जैसी कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए हमने अपनी तरफ से पूरी सहायता करने का प्रयत्न किया। हम भी इसको पर्याप्त नहीं समझते इसीलिये भारत सरकार से मांग की गई; इसलिये यह सहायता पर्याप्त है या नहीं यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता। किसी भी चीज को हम पर्याप्त नहीं समझ सकते लेकिन जैसी

Page No.32

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]
हमारी स्थिति है उसके जरिये हम जितना कर सकते हैं अधिकाधिक करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की है ।

श्री जसवन्तसिंह—तो क्या बीकानेर डिविजन के लिए जैसा कि माननीय मंत्री ने फरमाया कि राजस्थान सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं जिनके द्वारा वह पर्याप्त बन्दोबस्त कर सके तो क्या यह बात सही है कि राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेवारी से किनारा काट रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिम्मेवारी से किनारा काटने का प्रश्न ही नहीं है । यह अधिक से अधिक कर रहे हैं और अधिकाधिक करना चाहते हैं; अपनी स्थिति के अनुसार । हम चाहते हैं कि हमें भारत सरकार से भी मदद मिले: उसके लिए प्रयत्नशील हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या बीकानेर डिवीजन में लोग नियर स्टार्वेशन कन्डीशन (near starvation condition) में नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—"Near starvation" एक ऐसा टर्म है जिसके लिए अन्दाज लगाना मुश्किल है । केटोगेरिकली (categorically) तो मैंने कह दिया है कि वहां स्टार्वेशन नहीं है; पर कन्डीशन अच्छी नहीं है यह सदन को विदित है ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री, जिनको वे अपना विश्वासपात्र समझते हों मेरे साथ भेजने का कष्ट करेंगे, चाहे वे रिलीफ कमिश्नर हों? या कलेक्टर हों? हम उनको बीकानेर ले जाकर यह बतलावेंगे कि भूरट, जो एक तरह का काटा होता है, उसके बीज निकाल कर दूसरे धान के साथ मिलाकर वहां के आधे से ज्यादा लोग खाते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुछ इलाकों में इस तरह की बातें हुई हैं । मैं समझता हूं कि इस चीज़ का वहां के लोग समय समय पर उपयोग किया करते हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जाय कि अच्छे वक्त में भी भुरट को रोटी खाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कभी कभी ।

श्री जसवन्तसिंह—खेजड़ी के छिलके को कूट कर बाजरे के आटे में मिला कर डिवीजन में लोग खाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस तरह की घटनाओं की पूरी तौर से मुझे जानकारी नहीं है कि खेजडी के छिलके को भी काम में ला रहे हैं । जैसा कि आपने बताया वैसी कोई घटना अधिकृत रूप में मेरे सामने नहीं आई है ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री जी किसी भरोसे के आदमी को मेरे साथ भेजने का कष्ट करेंगे ताकि मैं उनको बता सकूं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--आपको भरोसा है तो मैं खुद आपके साथ चल सकता हूं।

श्री जसवन्तसिंह--क्या आपने बीकानेर डिवीजन से जो प्रतिनिधि आये हैं उनसे या वहां की जनता से मालूम किया है कि इस वक्त उनकी क्या हालत है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--समय समय पर बातचीत की जाती रही है बहुत पहले से। मुझे महीना तो ठीक याद नहीं किन्तु दिसम्बर या जनवरी में माननीय श्री जसवन्तसिंह जी को भी मालूम होगा कि उनसे भी इस तरह की बातचीत की गई थी। सड़कों का काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिये आपने फरमाया कि काम जो किया जाय वह पक्का किया जाय।

श्री जसवन्तसिंह--उसके बाद क्या आपने पक्का काम करवाया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--मैंने, कन्सल्ट करने का सवाल था, उस पर यह बात कही है।

श्री जसवन्तसिंह--मुझे जब कन्सल्ट किया गया और उस पर मैंने जो तजवीज रखी, क्या उस पर अमल किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--उस पर पूरा गौर किया गया। ज्यादातर पक्की सड़कें बीकानेर डिवीजन में बनाई जा रही हैं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--भारत सरकार को पन्द्रहवें रोज में जो स्टेटमेंट भेजा जाता था अथवा नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)--पन्द्रहवें रोज जो प्रोफ़ोर्मा भेजा जाने वाला था वह नहीं भेजा गया क्योंकि विस्तृत जानकारी भेजी जाने वाली थी, यह मैंने सदन को बताने की कोशिश की। उन्हें स्थिति से अवगत ही नहीं कराया गया बल्कि विस्तृत जानकारी दी गई थी और विस्तृत मांग की गई थी।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--क्या स्टेटमेंट नहीं भेजने का कोई विशेष कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)--विशेष कारण तो नहीं है, लेकिन चूंकि विस्तृत जानकारी भेजी जा रही थी इसलिये यह नहीं भेजे गये।

श्री मोतीचन्द खजान्ची--(अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)--मैंने तो आपसे अर्ज किया था कि सूचना दी गई है जिसको मैंने पढ़कर सुनाया है।

श्री मोतीचन्द खजांची--पेडों पर कटी हुई छाल मिली है, क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को स्पष्ट करना चाहता हूं। जिन छिलकों का जिक्र किया गया है वहां की पोजीशन यह है कि वह आसपास के छिलके नहीं लिये

Page No.34

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

गये हैं, बल्कि बस्ती से दूर के हैं। प्रचार के लिए भी ऐसा किया गया है, ऐसा अन्दाजा लगाया जा सकता है। खाने वाले दूर से नहीं लाते हैं पहले पास के लाते हैं। इसकी जांच की गई है और उस जांच से हीं में यह उत्तर दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—(कई सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिए खडे होने पर)

Order ! order !! The Hon'ble Minister has made a statement and that statement will be supplied to Members if they so like. They should study that statement and if necessary put another short notice question tomorrow. There will be no use putting hap-hazard questions in this way.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं थोडी सी बात इस संबंध में एक वक्तव्य के रूप में अर्ज करना चाहूंगा। अभी यह कहा गया है कि हिंदुस्तान टाइम्स में एक एडीटोरियल निकला है जिसमें राजस्व मंत्री ने जो बयान दिया है वह बयान मेरे वक्तव्य से खारिज हो जाता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि उसके शब्द यह हैं :–

"The rebuttal, however, stands discounted by the Rajasthan Chief Minister's promise to report to the Centre by Sunday morning on the food situation in the State."

इससे सदन में यह बताने की कोशिश की गई है कि भारत सरकार के ध्यान में वह कोई चीज नहीं ला रहे हैं इसलिए चीफ मिनिस्टर ने यह प्रोमिज किया है कि सन्डे की मोर्निंग को हम भारत सरकार को सारी स्थिति बता देंगे और अभी तक कुछ नहीं बताई गई है; इसलिये रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है वह गलत है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि यह प्रचार का एक अद्भुत तरीका है। स्थिति यह है कि जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी तो एग्रिकलचर मिनिस्टर ने इस बात का वायदा किया था कि एक अधिकारी को जयपुर भेजेंगे और वहां से अब तक की ओवर ऑल सिचुएशन क्या है उसका एक चित्र मंगवायेंगे। यह वायदा उन्होंने पार्लियामेंट में किया था। इसलिये जिस अफसर को, जो कि बडा अफसर सेक्रेटेरियेट का था उसको डेप्यूट किया गया। उसने मुझे टेलीफोन किया कि हम ओवर आल पिक्चर चाहते हैं इसलिये मैं आजाऊं और मुझे बाहर भी जाना है; इसलिये अगर आपको यह सुविधा हो तो उस दिन आजाऊं नहीं तो २७ तारीख तक आ जाऊं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि ओवर ऑल पिक्चर के लिये आने की जरूरत नहीं। वैसे और कोई बातचीत करना हो तो आ सकते हैं; हम सन्डे तक ऑवर ऑल पिक्चर दे सकते हैं, इस बात पर कोई डिसकशन करना हो तो आप आजायें। यह सूचना टेलीफोन पर दी थी। इसलिये उन्होंने जो सूचना मांगी वह मोरनिंग को देने का वायदा किया। इसको लेकर उन्होंने यह कहा कि रेवेन्यू मिनिस्टर ने सूचना नहीं दी थी इसलिये चीफ मिनिस्टर ने सूचना देने की बात कही है। यह बहुत ही गन्दे तरीके की पोलिटिक्स है। यह मैं आप को बताना चाहता हूं कि एडीटोरियल में पोलिटिक्स को डिसकस कर दिया है, वहां पोलिटिक्स का जिक्र कर दिया है। पोलिटिक्स के बेकग्राउन्ड पर फेमीन अथवा अकाल पर डिसकशन चलाना और फेमीन की टीका-टिप्पणी करना, यह गलत बात है।

[श्री जयनारायण व्यास]

एक अर्ज और में करना चाहता हूं श्री जसवन्तसिंहजी की सूचना के लिए। वह यह कि स्टेट्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं डा० काटजू साहब। उनको मैं, जो अकाल क्षेत्र हैं, उनमें ले गया था, तो मैंने उनको हालत दिखाई थी। कुछ बातें ऐसी हैं जो बाहर बड़ी अनकामन (uncommon) बताई जा सकती हैं। जैसा कि आपने कहा कि फोगडे के फूल भी बाजरी के साथ मिलाये जाते हैं।.

श्री जसवन्तसिंह—वह हमेशा काम म आता है।

श्री जयनारायण व्यास(मुख्य मंत्री)—(पूर्व भाषण जारी रखते हुए)आपके लिये वह नॉर्मल चीज है। फोगडे की लकडी जलाने के काम में लाई जाती है, लेकिन उसके जो फूल हैं वह घास की तरह पतले होते हैं। वह मामूली तौर पर काम में लाये जाते हैं। उस पतली घास का फोग का रायता बनाकर खाते हैं। बाजरी में पीस कर मिला देते हैं। मुरट घास नहीं है। वह एक रफ अन्न है। वह बीकानेर में बहुत पैदा होता है। उसको अन्डर ग्राउन्ड घास भी कहते हैं।....... .....

श्री सन्तोषसिंह—जोधपुर में क्यों नहीं खाते हैं?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—जोधपुर में भी खाते तो हैं, लेकिन यह एक रफ किस्म का अनाज है। इसके मायने यह नहीं कि मैं दुष्काल की स्थिति को कमजोर कर रहा हूं। दुष्काल खराब है। हम दुष्काल को मानते हैं। यह चीज दूसरे लोगों के लिये बहुत ही भयंकर मालूम होती है। फोग के फूल मिला देते हैं और दूब के बीज मिला देते हैं, मतीरे के बीज मिला देते हैं। वह स्केयर्सिटी में खास तौर से मिलाते हैं। बाकी दूर दूर की खेजडी को मिलायी जाने के लिये मैं कह दूं कि नजदीक की खेजडी मिलाई जाती है न कि दूर दूर की। दूर दूर की खेजडी का मिलाया जाना सिद्ध करना हमारे कुछ साथियों का काम है, और वे साथी उनकी मदद करने के लिए वहां जाते हैं। जब डॉक्टर काटजू वहां पर गये थे दुष्काल पीडित क्षेत्रों में तो हमारे कुछ साथी साम्यवादी थे वे मजदूरों में घूमते थे और कहते थे कि यहां पर खेजडी की छाल खाते हैं। इस प्रकार का वह काफी प्रचार करते थे। इस प्रकार का प्रचार करके वे इस स्थिति को ठीक करने में पूरी मदद नहीं पहुंचाते हैं। हम भारत सरकार पर जोर नहीं लगाना चाहते, बल्कि जिनके पास पैसा है उन पर जोर लगाना चाहते हैं। आपकी सूचना के लिए मैं यह बतलादूं कि हमने खानगी तौर से भी पैसा लेकर वहां पर कपड़ा और दूसरी चीजें बटवाने की कोशिश की है। ....

श्री सन्तोषसिंह—कपडे से भूख नहीं मिटती है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—कपड़ा भी जरूरी है। कपडे से भूख मिट सकती है। अगर किसी औरत के पास घाघरा नहीं हो तो वह काम पर नहीं जायगी और जो १० आने उसको मिलते हैं वह भी उसको नहीं मिल सकेगें। कपडे और भूख का संबंध ऐसा ही है।

श्री अध्यक्ष—Yes, now we come to the business of the day.

श्री सन्तोषसिंह—ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, शोर्ट नोटिस के लिए जो आपने फरमाया था तो कल तो असेम्बली का सेशन खत्म हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—Give it to-day. I will accept it for tomorrow.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—जो हम लोगों की तरफ से......................

श्री अध्यक्ष—Enquire it from the office.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—तो क्या वह कल के लिए एक्सेप्ट कर लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—No assurance can be given.

सदस्यों को अवकाश की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने लिखी हुई अवधि काल तक के लिए अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय :–

१. श्री भवानी सहाय	२३ अप्रेल से सेशन के अन्त तक।
२. श्री लक्ष्मणसिंह	२० अप्रेल से सेशन के अन्त तक।
३. श्री उम्मेदसिंह	२० अप्रेल से सेशन के अन्त तक।
४. श्री भीमसिंह (वि० सं० १२)	२१ अप्रेल से २७ अप्रेल तक।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(अनुमति सर्व सम्मत्ति से प्रदान की गई)

श्री भीमसिंह (डि० नं० १२)—मैंने कोई लीव पर रहने की आज्ञा नहीं मांगी है। या तो यह नाम गलत है या डिवीजन नम्बर गलत है।

श्री अध्यक्ष—डिवीजन नम्बर १२ श्री भैरूंसिंह का है, अतः यह समझा जावे कि आज्ञा उन्हें प्रदान हुई।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—We now come to the business of the day.

श्री जसवन्तसिंह—Before the work is started, can we have any idea about the Session ?

श्री अध्यक्ष—I have no business with me.

शाहपुरा से कोटपुतली हटाये गये निजामत के हैड क्वार्टर के सम्बन्ध में संकल्प

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"शाहपुरा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस सदन की राय है कि शाहपुरा से कोटपूतली निजामत का हेड क्वार्टर जो हटाया गया है उसे वापिस शाहपुरा में कायम किया जाय"।

माननीय अध्यक्ष, मैंने यह जो रिज्योल्युशन रखा है उसे मैंने वहां की सारी जनता की राय से रखा है। सन् १९४७ में भारत के स्वतन्त्र होने के बाद १९४९ में राजस्थान बना और राजस्थान बनने के कुछ दिन बाद ही शाहपुरा निजामत का हेड क्वार्टर बना और उसके साथ ही साथ मुन्सिफी का हेड क्वार्टर वहां पर कायम करने का ऑर्डर शाहपुरा की जनता के सामने राजस्थान गवर्नमेन्ट की तरफ से लाया गया। जब पुराना जयपुर स्टेट था तब बैराठ तहसील दो भागों में बंटी हुई थी। उसका कुछ हिस्सा आमेर में था और कुछ तोरावाटी में था। लेकिन राजस्थान बनने के बाद आमेर तहसील का हिस्सा और तोरावाटी का हिस्सा मिला कर शाहपुरा सब डिविजन कायम किया गया। इसके बाद पोलिटिकल पार्टीज के स्टंट के कारण शाहपुरा से मुन्सफी का हेड क्वार्टर उठाकर कोटपुतली ले जाया गया। और उस समय बैराठ की जनता को दुख का सामना करना पड़ा। बैराठ के एस. डी. ओ. का हेड क्वार्टर शाहपुरा में लगभग तीन साल से काम करता चला आ रहा है और श्री जयनारायण जी व्यास, जब से हाल ही में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने उसके कुछ दिन बाद यानी १ जनवरी, १९५३ से निजामत का हेड क्वार्टर शाहपुरा से हटा दिया गया और उसका कारण यह बतलाया गया कि वहां पर मकानों की कमी थी इसलिये वहां से हेड क्वार्टर हटाया गया है। बैराठ तहसील की डेढ़ लाख जनता की आवाज की कोई कदर नहीं की गई। मेरे द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि शाहपुरा से हेड क्वार्टर किन कारणों से हटाया गया है माननीय मन्त्रीजी ने यह बतलाया कि वहां मकानों की बहुत असुविधा थी। लेकिन जब डे साहब ने एक रिपोर्ट तैयार की थी उस वक्त कोटपुतली और बैराठ के कुछ लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी। उस समय भी जब लोगों के सामने यह कहा गया कि क्यों कि शाहपुरा में मकानों की कमी है इसलिये वहां हेड क्वार्टर रहना मुश्किल है तब लोगों ने कहा था कि यदि वहां मकानों की कमी है तो बैराट तहसील की जनता मकानों के लिये १ लाख से लगा कर ५ लाख रुपया तक लगा सकती है; और मकान की कमी के कारण जनता को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिये। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और बैराठ तहसील की जनता को दुख का सामना करना पड़ा। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने भी यह कहा कि शाहपुरा एक बहुत बड़ा ठिकाना है और मकान की कमी को ठिकाने की तरफ से पूरा कर सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेन्ट ने शाहपुरा ठिकाने को यह लिख कर दिया था कि हम ३००) रुपये माहवार मकानों का किराया देंगे। उस किराये पेटे भी अब तक तीन साल हो जाने पर भी कुछ नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी ठिकाने की यह सहानुभूति रही कि हम मकान देंगे और उन मकानों में कुछ कमी है तो उस खामी को पूरा करने के लिये रुपये भी लगायेंगे और जो खर्चा लगेगा उसको शाहपुरा ठिकाना, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जयपुर और जनता की तरफ से खर्च किया जायगा। लेकिन इस तीन साल में जनता के सामने यह रिपोर्ट

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

किसी भी अफ़सर ने जाकर नहीं बताई कि मकानों की कमी है और जो मकान की कमी है उस असुविधा के कारण आपके यहां से निजामत का हेड क्वार्टर हटाया जायगा। बगैर जनता को बताये हुए, बगैर किसी प्रकार का नोटिस दिये हुए निजामत को शाहपुरा से कोटपुतली ले जाया गया। जनता ने कई दरख्वास्तें भी कीं। जनता के कुछ नुमाइन्दे पहले जो दूसरे चीफ मिनिस्टर थे उनसे भी मिले और उनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर व्यासजी थे उनसे भी मिले। उनसे पहले जब शास्त्रीजी थे तब तो कोई बात इस तरह की नहीं चली थी पर उनके बाद जब वेंक्टाचारीजी चीफ मिनिस्टर थे तब उनसे भी मिले और उनको मौका भी दिखाया था। बाद में जब मैं उनसे मिला तब बताया कि शाहपुरा दिल्ली जाने वाले रास्ते पर सेन्ट्रल प्लेस है; वहां पर आवागमन के साधन भी ज्यादा है; इसलिये भी शाहपुरा में निजामत होनी चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास—क्या वेंक्टाचारी जी ने कहा था ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—इतना होने के बाद भी, सारी जनता की बात नहीं मानते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने यह हुक्म दे ही दिया। हमने यह कहा कि १० दिन में, १५ दिन में, ४ महीनों में या ६ महीनों में जैसा राजस्थान गवर्नमेन्ट बतलायेगी कि शाहपुरा से निजामत हेडक्वार्टर कायम रख दिया जायगा। शाहपुरा में कलेक्टर साहब और आई. जी. जेल्स जब आये थे तब उनसे कहा गया था कि जेल के लिये और जेल सुपरिनटेन्डेन्ट या जेलर के लिये और दूसरे लोगों के लिये मकानात बना दिये जायेंगे और इनमें कुल खर्चा १५ हजार रुपयों के लगभग होगा; चार नये क्वार्टर बना दिये जायेंगे और बाकी जेल के लिये जनाना महल बना हुआ है उसको ठीक कराने में ज्यादा से ज्यादा ३ हजार रुपये लगेंगे। कोटपुतली में भी आज इस तरह की कोई जेल नहीं बनी हुई है। कोटपुतली का रास्ता कच्चा है। वहां पर आवागमन के कोई साधन नहीं है। वहां पर एक मोटर जाती है और एक ही आती है। एक मोटर अभी और चालू कर दी गई है लेकिन बरसात में वह मोटर भी बन्द हो जायगी और लोगों को आने-जाने में बड़ी तकलीफ होगी। ६० मील दूर आमेर तहसील के लोग वहां आवें तो उनको तीन दिन आने-जाने में लगेंगे। शाहपुरा से उसी दिन आदमी अपने घर पहुंच जाता है और दूसरे दिन अपना काम शुरु कर सकता है।

शाहपुरा के अन्दर बैराठ तहसील के ८०० केसेज़ हैं और कोटपुतली के २०० केसेज हैं, ऐसी हालत को देखते हुए भी शाहपुरा से निजामत हटाई है। दूसरी बात यह है कि शाहपुरा की बैराठ तहसील में भोमिये हैं, वहां ४५ गांव भोमियों के हैं, बाकी खालसे के गांव हैं। खालसा होने के नाते भी शाहपुरा में सब-डिवीजन रखना चाहिये। वहां सब बातें हैं। वहां स्कूल हैं, होस्पिटल हैं। देखा जाय तो वहां ६० मोटरें एक दिन में आती हैं और जाती हैं। वैसे दिल्ली का रास्ता होने से काफी ट्रक आते हैं और दूसरी कारें वगैरह आवागमन का साधन बना हुआ है। इस सारी स्थिति को देखते हुए मैं सदन के सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि महज अपनी पार्टी के प्रश्न को ले कर राजस्थान सरकार वहां की डेढ़ लाख जनता के साथ एक तरह का अन्याय कर रही है और डेढ़ लाख जनता को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। पहले शाहपुरा से निजामत हटाने के बारे में प्रश्न किया गया था तो होम

Page No.39

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

मिनिस्टर साहब ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि शाहपुरा से कोटपुतली कैदी लाने-लेजाने में ८) रुपया फी कैदी के हिसाब से खर्चा आता है, परन्तु शाहपुरा उस कैदी को लाने-लेजाने में सिर्फ तीन रुपया २ आना खर्चा होता था। राजस्थान सरकार का बजट हमेशा इसी तरह का रहते हुए भी राजस्थान सरकार, पार्टी पोलिटिक्स के नाते, सिर्फ एक आदमी को खुश करने के लिये, डेढ़ लाख जनता के साथ कितना अन्याय कर रही है ? (विरोधी दल की ओर से "हियर हियर")

वहां पर जो ठिकाने के मकानात लिये गये हैं वे ठिकाने की बगैर इजाज़त के लिये गये हैं। हैडक्वार्टर मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ वगैरह ठिकाने के मकानों में ठिकाने की बगैर इजाजत के कब्जा किये हुए काम में ला रहे हैं। पर हमारे यहां ठिकाना अपने मकानात दे रहा था और ठिकाना हर तरह की दिलचस्पी ले रहा था, फिर भी वहां से निजामत को हटाया जाना कहां तक ठीक है ? वहां के काश्तकारों को चोरियों वगैरह की बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह का इलाका जो बैराठ तहसील के साथ लगा हुआ है उस इलाके में आज एक और ही तरह का वातावरण पैदा हो रहा है। शाहपुरा में बहुत बड़ा पुलिस का सेन्टर है। वहां हाई स्कूल है, पुलिस का दफ्तर है, एस. डी. ओ. का दफ्तर है, शिक्षा, एग्रीकल्चर और सप्लाई के भी दफ्तर यहां रखे गये थे। मकानों वगैरह की भी सब सुविधा थी। इन सब के होते हुए भी वहां से निजामत हटा कर उसे जगह लाया गया है जहां उपरोक्त सब कमियों के साथ साथ मकानात वगैरह की भी सुविधा नहीं है।

इसलिये मैं सदन के सदस्यों से अपील करूंगा कि यह जो महज़ पार्टी पोलिटिक्स के नाते डेढ़ लाख जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है उसकी ओर ध्यान देंगे और मैंने जो यह प्रस्ताव रखा है उसको सपोर्ट करेंगे।

श्री मानसिंह (रामगढ़)--माननीय अध्यक्ष, शाहपुरा से कोटपुतली निजामत हटाये जाने के प्रश्न को लेकर और उसको वापिस शाहपुरा में लाने के लिये जो मेरे मित्र श्री मुक्तिलाल जी मोदी ने सदन के सामने प्रस्ताव रखा है वह कई प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह मांग बहुत ही न्याय पूर्ण है। इसके न्याय पूर्ण होने के नाते ही मैं सदन के सदस्यों से अपील करूंगा कि उनको इसका समथर्न करना चाहिये। मैं सदन को बताऊं कि शाहपुरा से निजामत को हटाया गया, वह किस प्रकार से अन्याय है। मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी अपनी तरफ से यही कहेंगे कि यह तो बहुत ही वाजिब चीज थी, किन्तु मैं कह देना चाहता हूं कि, माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी अपनी छाती पर हाथ रख कर विचार करेंगे तो वे भी यह कहेंगे कि इस प्रश्न को इसलिये इतना जल्दी उठाया गया है कि उनकी पार्टी का एक आदमी कोटपुतली से अनसीटेड (unseated) होने वाला है और वह जानते हैं कि वह वहां बिलकुल अनपोपुलर (unpopular) है। यदि उस आदमी को जिताना है, उसके जिताने से उनके अखबार राष्ट्रदूत का प्रचार करना है और उनके विचारों की दुहाई दिलाना है तो यह उनके लिये आवश्यक हो जाता है कि उस आदमी को येन केन प्रकारेण सदन में रखा जाय और

[श्री मानसिंह महार]

इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यवाही की गई है कि शाहपुरा से हटा कर निजामत को कोटपुतली भेजा गया ।

इस बारे में मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान भर में कहीं पर भी निजामत की अदलाबदली नहीं हुई हैं । जब जब भी हमने यह तलाश किया कि क्या कहीं निजामतों को अदला बदली की जायगी, निजामतों को एक जगह से दूसरी जगह हटाया जायगा या निजामतों को तोड़ा जायगा तो यही जवाब दिया गया कि अभी यह मामला विचाराधीन है । विचाराधीन होते हुए भी राजस्थान में यह पहला मौका है कि महज चुनाव स्टंट के लिये निजामत को एक जगह से दूसरी जगह हटाया गया । सिवाय चुनाव के स्टंट के और कोई बात नहीं है । इस बात को स्पष्ट करने के बाद मैं सदन को बताऊंगा कि शाहपुरा कोटपुतली के मुकाबले में निजामत रखने के लिये कहां तक उपयुक्त है । कोटपुतली से आठ १० मील के फासले पर बहरोड़ की निजामत है । अगर कोटपुतली की जनता को दिक्कत होती थी तो कोटपुतली के गांवों को बहरोड़ में लगा सकते थे नहीं तो बहरोड़ से हटा कर कोटपुतली ला सकते थे । पर इन सब बातों को छोड़ कर सरकार ने वही पुराना रवैया अख्त्यार किया कि शाहपुरा की जनता को ऐसी घोर आपत्ति में फंसा कर और अपनी मंशा को, एक छोटी सी बात को पूरा करने के लिये शाहपुरा से निजामत को हटाया । मैं इस बात से भली-भांति इसलिये वाकिफ हूं कि निजामत शाहपुरा के जो गांव हैं वे मेरे गांव से एक मील की दूरी पर हैं । तो मैं जानता हूं और उन गांवों की जनता रोज आ आ कर यह शिकायत करती है, उदाहरणत: मैं उनके नाम बता देता हूं । वे यह हैं : धवलीं, महार खुर्द, आमलोदा, नवाबास, छेपटावाली ।

इस प्रकार के सैकड़ों गांव हैं जहां की जनता, काश्तकार यह कहते हैं कि जब शाहपुरा में निजामत थी तो हम जल्दी उठ कर चले जाते थे और जब तारीख हो जाती थी तो शाम को वापिस अपने घर आकर दूसरे दिन अपने खेती के काम में लग जाते थे । परन्तु जब से सरकार ने निजामत को शाहपुरा से हटा कर कोटपुतली बना दिया है उस दिन से वहां के गांवों की पब्लिक को आने जाने में १०), १५) रुपये खर्च करने पड़ते हैं । इसके अलावा उनको वहां आने जाने में दो-तीन दिन लग जाते हैं । इस सरकार का क्या ? किसी भी सरकार का जो अपने आपको प्रोग्रेसिव सरकार कहती है यह उद्देश्य होता है कि उसकी जनता को अच्छा न्याय मिले और सस्ता न्याय मिले और जल्दी मिले । किन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर इस प्रोग्रेसिव कहलाने वाली सरकार ने पब्लिक को सस्ता और जल्दी न्याय देने के बजाय ऐसा प्रबन्ध किया है कि जिससे पब्लिक को यह देखने में आया है कि उसे इतना मंहगा न्याय हो गया जिससे जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है । मुझे ऐसे ऐसे मुकद्दमोंकी जानकारी है जिसमें गरीब किसान लोग कोटपुतली नहीं पहुंच सके और उनके वहां नहीं जाने की वजह से उनका मुकद्दमा खारिज हो गया । यदि कोई दूसरी चीज हो तो चीफ मिनिस्टर साहब बतलायेंगे । इसलिये मैं यह कहता हूं कि निजामत को कोटपुतली से वापिस शाहपुरा लाया जाना चाहिये । यदि इसको बदलने में सरकार ने कोई गलती भी कर दी है तो उस गलती को सुधारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये ।

[श्री मानसिंह महार]

तीसरी बात मेरी यह है कि कोटपुतली के आदमी जो निजामत में आते हैं उनकी संख्या ५० या ६० हजार से ज्यादा नहीं है और जो लोग कोटपुतली से शाहपुरा जाते हैं उनकी संख्या कम से कम डेढ़ लाख है। मैं यह समझता हूं कि ५०-६० हजार के तबके को सहूलियत देने के खातिर (घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और चाहता हूं? १।। लाख के तबके को दुख देना कोई न्यायोचित चीज नहीं है। इसके अलावा अगर सरकार यह कहे कि शाहपुरा तो एक ठिकाने का गांव है तो मैं यह कहूंगा कि कोटपुतली भी एक ठिकाने का ही गांव है। इसलिये सरकार की यह दलील भी चलने वाली नहीं।

इसके अलावा शाहपुरा निजामत में ८ संस्कृत पाठशालायें हैं। बैराठ में ८ संस्कृत पाठशालायें, दो हाई स्कूलें, ११ मिडिल स्कूलें और ४० प्राइमरी स्कूलें हैं। इसके विपरीत कोटपुतली में कोई संस्कृत पाठशाला नहीं है, केवल एक ही हाई स्कूल है, दो मिडिल स्कूलें और एक प्राइमरी स्कूल है। इस तरह से पांच स्कूलें हैं। इससे भी यह मालूम हो सकता है कि शाहपुरा का कोटपुतली के मुकाबले में कितना महत्व है? इसके अलावा बैराठ में १० आयुर्वेदिक औषधालय, और ३ एलोपेथिक औषधालय हैं। इस प्रकार १३ चिकित्सालय हैं और कोटपुतली में केवल २ आयुर्वेदिक औषधालय और एक एलोपथिक औषधालय है। इससे भी यह साबित होता है कि यह परगना कितना महत्वपूर्ण और वह कितने कम महत्व का है। मैं जानता हूं कि ये सब बातें हमारे चीफ मिनिस्टर को मालूम होते हुए भी, चूंकि इसकी जड़ में वही बाइ इलेक्शन की बात है, वे इसको बदलना चाहते हुए भी नहीं बदल सकते। पहले जो नोमिनेशन पेपर अन्य किसी कारणों से रद्द हुए थे पुनः........(घंटी, पुनः घंटी)

एक बार वे कोटपुतली से शाहपुरा निजामत में ले आवें। हम मान लेंगे कि चीफ मिनिस्टर की मरजी.. (घंटी) यह चन्द बातें कह कर मैं चीफ मिनिस्टर और उस तरफ बैठने वाले सदस्यों से अपील करूंगा कि इस मामले में अपना सहयोग दें और पब्लिक की भलाई को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को जो मेरे मित्र श्री मुक्तिलाल ने रखा है सर्व सम्मति से पास करें और चीफ मिनिस्टर अपनी न्यायप्रियता प्रकट करके अपना सहयोग दें। (घंटी, पुनः घंटी) यह दो शब्द कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा और कोटपूतली के प्रश्न को लेकर कई बार सदन में प्रश्न उपस्थित हुए हैं और उनका जवाब मैं दे चुका हूं लेकिन वही पुराना राग अलापा जा रहा है और लोगों को अपने नजरों से देखा जा रहा है और अपनी तर्ज में समझा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय अगर दूसरों को अपने रंग में देखेंगे तो बहुत कम लोग उनको अपनी तरह के नजर आवेंगे और समर्थक अपनी तर्ज से दूसरों को समझेंगे तो वह तर्ज भी दूसरे लोगों में कम मिलेगी। ऐसी हालत में वस्तु स्थिति और सच्चाई की कसोटी से किसी चीज को देखना और सोचना चाहिये। मैं प्रस्तावक और समर्थक को यही कहूंगा।

कहा जाता है कि यह मामला पार्टी फीलिंग की वजह से किया जा रहा है। पार्टी में कोटपुतली के एक सदस्य की तरफ इशारा किया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि प्रस्तावक महोदय भी पार्टी के एक

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)]

सदस्य थे और जिस प्रकार की वे बातें कहते हैं वास्तव में वे सही नहीं है। काँग्रेस ने जितनी मदद कोटपुतली के उम्मीदवार को दी उससे कितनी ही ज्यादा मदद शाहपुरा के उम्मीदवार को दी थी। इस बात को पार्टी के रुपया आना पाई के हिसाब से आंका जा सकता है। मगर जिसके एक रंगीन चश्मा चढ़ जाता है वह उसी रंग से दूसरी चीज को देखते हैं और सच्चाई से देखने की कोशिश नहीं करते हैं और अपनी आंखें सच्चाई से बन्द कर लेते हैं; जिस प्रकार एक खरगोश अपनी आंखे शिकारी को देख कर बन्द कर लेता है। यह कहा जाता है कि पार्टी की वजह से ऐसा किया गया। मैं प्रस्तावक महोदय और समर्थक महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह प्रश्न आज का नहीं है, बहुत पहले का है। पहले जब राजस्थान बना उस समय निजामतें बनाई गई शुरु में जब बनाई जाती हैं तो उसमें सुविधा-असुविधा हुआ ही करती हैं। इसकी जांच की गई कि कहां कहां असुविधा है और कहां कहां किस चीज की कमी है। यह जांच १९५१ में मेरे चीफ मिनिस्टर होने से बहुत पहले शुरु हुई थी और उसके बाद २०-८-१९५१ में जांच करने वाले ऑफिसर मिस्टर डे ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का थोड़ा सा हिस्सा मुझे पढ़ कर सुनाना पड़ेगा। वह यह है :—

"शाहपुरा के सब-डिवीजन का इस समय का मकान ठिकाने के पुराने............ (अश्रव्य)

स्थानीय प्रतिनिधियों के कहने पर भी कई मकानात देखे, लेकिन कोई मकानात अदालत के लायक नहीं पाया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि शाहपुरा ठिकाने के "शवस" जगह में अदालत कायम की जायं। इस काम को बेजा हित समझा।"

यह श्री डे की रिपोर्ट है जो २० अगस्त, सन् १९५१ को दी गई थी। दूसरी बातें छोड़ दी जायं जिनका बाद का सवाल है।

श्री **मानसिंह (जमवा रामगढ)**—ऑन ए पोइन्ट आफ इन्फॉर्मेशन, सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि डे साहब ने शाहपुरा के लिये तो यह रिपोर्ट दी किन्तु दूसरी जगहों के लिये क्या दी?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—इस समय शाहपुरा से सम्बन्धित रिपोर्ट का ही सवाल है।

श्री **मानसिंह (जमवा रामगढ़)**—मैं सदस्यों की इत्तला के लिये पूछना चाहता हूं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—उन्होंने बहुत रिपोर्टे दी थीं। कइयों पर अमल किया गया और आगे किया जावेगा।

तो उसके बाद सितम्बर सन् १९५१ में इस रिपोर्ट पर विचार किया गया। इससे पहले कई अफसरों ने; जैसे कमिश्नर, कलेक्टर, इन्जीनियर, आदि सब लोगों ने, विचार करके डे साहब के फैसले को मन्जूर किया

[श्री जयनारायणव्यास (मुख्य मंत्री)]

उसके बाद सितम्बर सन् १६५१ में मन्त्रीमण्डल ने भी श्री डे की रिपोर्ट का, जिसका दूसरे अफ़सरों द्वारा समर्थन किया गया था, समर्थन करके सितम्बर सन् १६५१ में यह तय किया कि शाहपुरा सब डिवीजन को हटा दिया जाना चाहिये और कोटपुतली को सब डिविजन कर दिया जाना चाहिये। उसके बाद चूंकि बीच में चुनाव आ गये थे और चुनावों के बीच में इस प्रकार की रद्दोबदली नहीं हो सकती थी इसलियये यह रद्दोबदली नहीं हुई और फरवरी सन् १६५२ में इसके बारे में हुक्म निकला किन्तु बदकिस्मति से उस हुक्म की तामील नहीं हुई। लेकिन यह कहना कि बाइ इलेक्शन में अपनी, पार्टी के एक आदमी को जिताना था, तो मैं यह कहूंगा कि इस पुराने इतिहास को जानते हुए भी इसको बढ़ावा दिया गया और मेरा ऐसा खयाल है कि यह भयंकर पोलिटिकल स्टंट नहीं हो सकता। यह भी कहा गया कि पोलिटिकल स्टंट के लिये ही शाहपुरा से सब डिविजन को हटाया गया तो मेरे खयाल से शाहपुरा के लिये जो बातचीत की जा रही है वह भी पोलिटिकल है।

यह भी कहा गया कि शाहपुरा उपयुक्त है क्योंकि वहां ८ संस्कृत पाठशालायें हैं, स्कूलें हैं और दूसरी चीजें भी हैं। मैं मिस्टर महार से पूछना चाहूंगा कि संस्कृत पाठशालाओं में क्या जुर्म करने की शिक्षा दी जाती है? संस्कृत पाठशालायें हो जायंगी तो क्या जुर्म करने वाले ज्यादा हो जावेंगे?

श्री **मानसिंह (जमुआ रामगढ)**—ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फोर्मेशन, सर, मिस्टर महार से क्या मतलब लिया जाय?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—महार कोमन जेन्डर है। जब तक दूसरी तरह से तय न हो, मेरा मतलब महार ठाकुर साहब से है।

श्री **मानसिंह (जमुआं रामगढ)**–ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फोर्मेशन, असर, सुविधायें बतलाने का मेरा मतलब केवल यह था कि बैराठ, जहां पर शाहपुरा की निजामत थी कोटपूतली के मुकाबले में डेवलप्ड एरिया है और उसके साथ इसलिये अन्याय किया जा रहा है।

श्री **अध्यक्ष**—I think the Hon'ble Member has not received his education in a Sanskrit Pathshala.

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—मैं आपको बताऊं कि जो सब-डिवीजनल हेड-क्वार्टर्स कायम किये जाते हैं वे स्कूल और अस्पतालों के हिसाब से ही कायम नहीं किये जाते हैं और अगर स्कूल और अस्पतालों के हिसाब से भी लिया जाय तो कोटपुतली और शाहपुरा में शायद कोट-पुतली का नम्बर ऊंचा आयगा। कोटपुतली में अस्पताल ही नहीं बेड्स भी हैं जहां मरीज रह सकते हैं। इसके अलावा वहां मेटरनिटी होम भी है। मेरे खयाल से शाहपुरा में यह भी नहीं होगा और वहां बेड्स भी हैं या नहीं, यह आपको मालूम होगा। कोटपुतली में जो बेड्स हैं उनकी लम्बाई ८X६ है। मेरा

Page No.44

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)]

खयाल है कि तफरी के लिये अगर प्रस्तावक और समर्थक महोदय वहां एक दिन के लिये रहना पसन्द करें तो वहां अवश्य जावें। मामलों को इस तरह आंख से ओझल नहीं करना चाहिये।

इसके अलावा और कई बातें कही गई हैं जिनका मैं जवाब देना पसन्द नहीं करूंगा। यह कहा गया है कि वहां कोई अफसर नहीं गया, कोई जांच नहीं की। मैं आपसे कहूंगा कि श्री डे वहां गये और अन्य अफसर भी वहां गये थे तथा श्री डे ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी।

दूसरी बात यह कही गई है कि कोटपुतली कैदी जाते हैं इससे खर्चा अधिक होता है। कैदियों को सोंपने के लिये ज्युडिशियल लोकअप होते हैं, पुलिस लोकअप नहीं। यह खर्चा टेम्परेरी है। शाहपुरा में पांच लाख रुपया इस काम के लगाने के लिये मेरी वृति नहीं है और हो सकता है कि वह पांच लाख रुपया उस फेमिन एरिया, जिसकी चर्चा अभी अभी हाउस में हुई है और जिसकी शिकायत माननीय जसवन्तसिंह जी और अन्य सदस्यों ने की है, में लगाए जायं। शाहपुरा में सब-जेल बनी हुई है और उस सब जेल को जेल में परिवर्तित करना उचित नहीं है। जयपुर भेजना या कोटपुतली भेजना इस प्रकार का हिसाब किताब अब टूटने वाला है। कैदियों के आने-जाने का जो अभी तरीका है वह केवल टेम्परेरी है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कोर्ट आफ वार्ड्स तीन सौ रुपया माहवार देने के लिये तैयार है और यह भी कहा गया है कि गांव वालों ने दरख्वास्त भी दी है। मेरे ध्यान में तो वह दरख्वास्त नहीं आई। कोर्ट आफ वार्डस् तीन सौ रुपया माहवार किराया बर्दाश्त कर सकता है, यह कोई आदमी समझ नहीं सकता और इसके लिये मुझे नोटिस लेना भी ठीक नहीं मालूम पडता। यह भी कहा गया कि वेंक्टाचार साहब ने कहा था कि शाहपुरा में रहना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि क्या कहा था उन्होंने? वेन्क्टाचार साहब को भी लिख कर भेजने के लिये कहा जाय तो यह हो सकता है। जब ऐसा कहा गया है कि वहां कोई अफसर नहीं भेजा गया और वास्तव में वहां अफसर भेजे गये थे, और उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसी तरह से वेंक्टाचार ने कहा, नेहरूजी ने कहा, डाक्टर काटजू ने कहा या अल्ला मियां ने कहा, कह दिया जाय मैं समझता हूं कि मैं उस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हो सकता और जिस तरह से पहले गलत बातें कही गई हैं उसी तरह से ये बातें भी गलत हो सकती हैं। जो चीज है उसको सत्य रूप में समझने के लिये मुझे डोक्युमेंटरी प्रूफ की आवश्यकता है। इस तरह से बहुत सारी बातें कही गई हैं। भोमियों और खालसे के हिसाब से भी सब-डिविजन को नहीं बदलने की बात कही गई है। सब-डिविजन चाहे जहां भूमियें हों या खालसा हो तब भी बन सकता है और स्कूलें हों, अस्पताल हों तब भी बन सकता है और मैं इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझता।

अभिलेख और अदालत की बातें कही गई थीं। उनके बारे में मुझे अफसोस होता है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सोचें कि नोमिनेशन कब हुए और कब नहीं हुए। अगस्त सन् १९५१ में नोमिनेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता और इस तरह से अन्याय का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। यह भी कहा गया कि अगस्त से पहले ही नोमिनेशन के खारिज कराने के लिये तय हो गया था, फलां आदमी खड़ा होने वाला था वह रोक दिया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का मामला दब गया। मुझे अफसोस

Page No.45

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)]

होता है कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रकार की बातें कहीं जांय। विधान सभा के सदस्य, अदालतों में जो मामले विचाराधीन हैं उनके बारे में भी अपना फैसला दे देते हैं। हमारे सदन के थोडे से प्रिविलेज हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातें कही जांय। इससे हमारे सदन का अपमान होता है। मैं इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातों का जवाब देने में अपना अपमान समझता हूं। इसका महार साहब की कोर्ट में फैसला होने वाला नहीं है।

(हंसी)

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)–That is very kind of you to have read the mind of the Judge and that is very kind of the Judge to have.....................

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—All I wanted to say was that it is perhaps a fantastic idea.

श्री जसवन्तसिंह—Who is this Mahar ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Thakur of Mahar and as long as the Thikana is there let me identify him as 'Thakur of Mahar' otherwise we will call Thakur Man Singhji.

तो ऐसी चीज में यह ठीक है। सबसे बडी दलील मुझे पसन्द आई कि मेरे मकान से, मेरे गांव से नजदीक पडता है शाहपुरा। यह ठोस दलील मालूम पडती है। पर यह दूसरों के घर से भी नजदीक पड़ सकती है।

श्री मानसिंह महार—आन ए पोइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन सर, मेरे फैक्ट को ट्विस्ट (तोडा मोडा) गया है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मेरे मकान से नजदीक पडता है, बल्कि यह कहा था कि जिस गांव से वह नजदीक पडता है वह गांव मेरे गांव से एक मील की दूरी पर है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह एक मील की दूरी तो नजदीक में ही आ जाती है। एक मील दूर है यह मैं मान लेता हूं।

I amend my statement to this extent.

तो इस नजदीक का खयाल रख कर शाहपुरा को नहीं बदला जा सकता है।

अब मैं बताऊं कि वहां न मकान हैं, न ट्रेजरी के लिये जगह है, न कैदियों के लिये जगह है। यह ठीक है कि मोटरों बसों की वहां अच्छी व्यवस्था है। मैं वैलकम करूंगा कि ३००) रु० माहवार का मकान

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)]
देने वाले हैं और जो चार-पांच लाख रुपये के मकानात बनाने वाले हैं, वे अपना आफर दें। इसके बाद गवर्नमेंट विचार करेगी। उस आफर के आने के पूर्व में विचार करने को तैयार नहीं हूं। इसमें न सिर्फ शासन की असुविधा है बल्कि कैदियों को भी असुविधा है और शासन के अन्य कामों में भी असुविधा है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री **मुक्तिलाल मोदी**—मैं इसका जवाब देना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—There is nothing........................

श्री **मानसिंह मद्दार**-पिछली बार श्री एच. के. व्यास को राइट आफ रिप्लाई आप ही ने दिया था।

श्री **अध्यक्ष**—I just read out the relevant rule 105:-"Except in the exercise of a right of reply or as otherwise provided by the rules, no member shall speak more than once to any motion, except with the permission of the Speaker for the purpose of making a personal explanation but in that case no debatable matter may be brought forward.

(2) A Member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion was moved by a private member, the Minister to whose department the matter relates shall have the right of speaking whether he has previously spoken or not in the debate, after the mover has replied:

Provided that nothing in this paragraph shall be deemed to give any right of reply on an amendment except in the case of amendments proposed to bills and in the case of motions relating to supplies."

Any how you can reply.

श्री **मुक्तिलाल मोदी**-माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया कि साबला से १ मील दूरी पर जो कि ठिकाने के मकान हैं वे इस तरह के बने हुए हैं कि जो न ट्रेजरी के और न जेल के लायक हैं।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—मैंने मिस्टर डे की रिपोर्ट पढी थी इसके बारे में।

श्री **मुक्तिलाल मोदी**-पर डे साहब ने जो रिपोर्ट दी वह करीब शाम के ६ बजे आये और शाम के ७ बजे वहां से वापिस आ गये। न जनता को बुलाकर पूछा गया, न हम लोगों को बुला कर पूछा गया और न किसी तरह का कोई नोटिस ही चिपकाया गया कि डे साहब इस काम के लिये वहां पधारेंगे और इसलिये जनता को उनके सामने उपस्थित होना चाहिये और इसके बारे में कोई जांच की जायगी।

श्री **जयनारायण व्यास**—उस वक्त कोई कोटपुतली से तो उम्मीदवार नहीं खडा था?

श्री मुक्तिलाल मोदी—उम्मीदवार का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। उम्मीदवार का प्रश्न तो अब है।

(हियर, हियर)

दूसरी बात जो डे साहब ने कही अपनी रिपोर्ट में कि सारे राजस्थान में जहां जहां के एस. डी. ओ. हैं, निजामतें हैं, तहसीलें हैं, कलेक्टरी हैं, उनकी सबकी रिपोर्ट मिलाकर डे साहब ने रिपोर्ट राजस्थान सरकार के सामने पेश की। परन्तु उन डे साहब ने भी यह रिपोर्ट में नहीं बताया कि बैराठ तहसील को कोटपुतली सब डिविजन बना दिया जावे। अगर यह डे साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हो तो चीफ मिनिस्टर साहब यह बतायें। यह उस रिपोर्ट में बात है तो मैं सदन में इसे स्वीकार कर लूंगा। पर डे साहब ने यह लिखा था कि बैराठ तहसील की जनता को तकलीफ न हो। मकानों की, जेल की कमी है। जेल के लिये मकान बनाने के लिये जनता को पूछा नहीं और रुपये के लिये कहा नहीं। आज के चार साल पहले का वाकया है जब कि मैंने उन्हें जनता की राय बताई कि जो हमारे यहां के कोर्ट्स आफ वार्ड्स की आमदनी को इन मकानों को देखते हुए हमने इस रुपये का जिक्र डे साहब के सामने किया था।

परन्तु डे साहब ने आमेर निजामत के लिये जो रिपोर्ट पेश की वह आमेर निजामत में मिलाने के लिये तहसील बैराठ को उस रिपोर्ट में लिखा गया कि तहसील बैराठ को आमेर निजामत बना दी जावे जिससे कि जयपुर में जो निजामतें और दूसरी जो कोर्ट्स हैं मुन्सफी, सब जजी या हाई कोर्ट वहां आने वालों मुकद्दमों को लोगों की सुविधा के लिये आराम मिल सके। इस रिपोर्ट में इस तरह का लिखा है न कि शाहपुरा से कोटपुतली ले जाने का लिखा है और इससे जनता को आज तकलीफ होती है। उनको तकलीफ का सामना करना पड रहा है। उस तकलीफ की तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

दूसरी बात जो आज बताई गई कि उस वक्त शाहपुरा निजामत रोकी गई। श्रीमान् व्यासजी के पहले पालीवाल जी साहब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने जिस वक्त जनता की आवाज को सुनते हुए उस निजामत को रोका उस वक्त उन फाइलों के ऊपर इसी तरह का नोट लिखा गया है कि सारे राजस्थान के एस.डी. ओ. का तबादला किया जावे या डे की रिपोर्ट को राजस्थान में फोलो किया जावे तो शाहपुरा सब डिविजन हटाया जावे।

श्री जयनारायण व्यास—यह फाइल के नोट की बात सरासर गलत है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—गलत होगी, मैंने तो ऐसा सुना था। सुनी हुई बात कहता हूं।

(हंसी)

जब निजामत रोकी गई उस वक्त उस फाइल पर कुछ तो लिखा होगा। माननीय प्रधान मन्त्री आज राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं इसलिये वे बतावें इस सदन के सामने कि किस स्थिति को देखते हुए उस निजामत को उस वक्त रोका गया था जब कि इलेक्शन हो गया और इलेक्शन होने के बावजूद

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

उस निज़ामत को रोका गया। इसको पहले आपने रोका और फिर बाद में पालीवाल जी ने रोक दिया। उस फाइल में क्या लिखा गया है यह सदन में बताने की कृपा करें।

परन्तु आज जो श्री डे की बात कही जाती है उन श्री डे की रिपोर्ट में राजस्थान में सिर्फ सब डिविजन शाहपुरा के अलावा दूसरी जगह उसी तरह की तहसील है सिर्फ एक राजगढ़ की, अगर हटाई गई है और इसके अलावा एक शाहपुरा की डेढ़ लाख जनता, एक तहसील की डेढ़ लाख जनता और आज राजस्थान में ऐसी बहुत कम तहसीलें होंगी जिनकी आबादी आज डेढ़ लाख जनता हो सकती है और उसके अन्दर इतने आवागमन के साधन और मकानों की सुविधायें हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के कई अधिकारी वहां गये और उनकी जांच करने के बावजूद यह नहीं पता चला कि उस चीज में क्या लिखा गया है। उस जांच की रिपोर्ट को देखा जाय और फिर मुझ से यह कहें कि वहां मकानों की कमी है तो उन्होंने जितने रुपये का एस्टीमेट लिख दिया है कि एक जेल का मकान चाहिये और उस मकान को देखते हुए आज मकान बनाया जावे तो करीब ५० हजार रुपये की लागत का वह मकान है जिसको जेल के लिए शाहपुरा ठिकाना देने को तैयार है। सरकारी अधिकारी इसकी जांच करने भी आये थे। वहां पर बुलाया गया था सारी जनता को, मुझ को भी बुलाया गया था। उस जनता से उन अधिकारियों ने बराबर पूछा था और निजामत के लिए जो मकान ऑलरेडी मौजूद है उनके लिए भी पूछा गया था परन्तु उन अधिकारियों ने सिर्फ यह बताया कि नये ४ क्वार्टर्स बनाने पर २० हजार रुपया कुल खर्चा होगा और मैं आज इस सदन के सामने यह विश्वास दिलाता हूँ कि आज चीफ मिनिस्टर साहब यह कहें कि अगर वह जेल के क्वार्टर्स कम्पलीट बना दिये जावेंगे तो निजामत हम उस वक्त लाने को तैयार हैं तो मैं २० हजार के बनिस्पत २५ हजार का वायदा करता हूं इस सदन के सामने। अगर कोई नहीं देगा तो मेरा मकान बेचकर वह रुपये मैं दूंगा।

(हियर, हियर)

लेकिन आज जो जनता के प्रतिनिधि बनकर आये हैं वे देखना नहीं चाहते कि वहां की जनता के साथ कितना अन्याय हुआ है। लेकिन मैं उनको बता दूं कि आज वहां की जनता मेरे बनिस्वत कई ज्यादा तादाद में रुपया देने के लिए तैयार है ताकि उनको जो असुविधा है वह दूर हो। लेकिन माननीय मंत्री ने एक चीज को लेकर यह बताया कि वहां कोटपुतली में ज्यादा मकान हैं इसलिये शाहपुरा से हटाकर निजामत कोटपुतली लाया गया है। एक दफा जब हम वहां माननीय मंत्री जी के साथ दौरे में गये थे तो बताया था कि पावटा से कोटपुतली तक रास्ता खराब है, मैं भी उनके साथ दौरे में गया था। आपने कहा कि कोटपुतली से पावटा तक रास्ता बहुत खराब है, आने-जाने वालों को बहुत तकलीफ होती होगी कुछ लोगों ने माननीय मंत्री के दबाव से या जनता की आवाज को न सुनते हुए उसकी परवाह नहीं की। मैं भी इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं यदि चीफ मिनिस्टर साहब यह कह दें कि श्री डे की रिपोर्ट में यह राय दी थी कि शाहपुरा से कोटपुतली निजामत ले जाई जाय तो मैं भी यह मानने के लिये तैयार हूं। श्री डे ने यह लिखा था कि इसको आमेर निजामत में मिला दिया जाय; मुन्सफी, सब जजी जो सारे महकमें हैं, उनसे बैराठ तहसील वालों को सुविधा हो सकती है। लेकिन

[श्री मुक्तिलाल मोदी]
आज जनता के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है वह जनता कभी चैन से बैठने वाली नहीं है। जनता वहां निजामत आज नहीं तो दो वर्ष में, चार वर्ष में जरूर लाकर छोड़ेगी।

श्री जयनारायण व्यास—मुझे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है सिवाय इसके कि श्री डे की रिपोर्ट में शाहपुरा से कोटपुतली को ज्यादा उपयुक्त स्थान समझा गया। दूसरा, जब आप तशरीफ ले गये थे उस वक्त वहां मैंने कहा था कि शाहपुरा के मकानात ठीक मालूम नहीं होते कोटपुतली के मकानात इससे ज्यादा ठीक हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं अब यह प्रस्ताव सदन के सामने वोट के लिये प्रस्तुत करता हूं।

"शाहपुरा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस सदन की राय है कि शाहपुरा से कोटपुतली निजामत का हैडक्वार्टर, जो हटाया गया है, शाहपुरा में कायम किया जाय।"

(मतदान के पश्चात्)

श्री मुक्तिलाल मोदी—'हां' पक्ष जीता,

श्री अध्यक्ष—जो 'हां' पक्ष में हों वे खडे होजायं।

(पक्ष में १५ मत आये)

श्री अध्यक्ष—ना पक्ष जीता। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

भोज-प्रतिबन्ध उठाने सम्बन्धी संकल्प

श्री शंभुसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा रिजोल्यूशन इस प्रकार है:—

इस सदन की सम्मति है कि विवाह एवं मृत्यु इत्यादि के अवसरों पर किये जाने वाले जीमण, भोज इत्यादि पर लगी हुई रोक तुरन्त हटाली जावे और सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज जिस प्रसंग पर बोल रहा हूं वह किसी वर्ग विशेष के लिये नहीं किन्तु जिसका सम्बन्ध समस्त राजस्थान से है, इस विषय का सम्बन्ध डेढ़ करोड़ जनता से है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान जमाने में जीमण पर व होने वाले भोजों पर जो पाबन्दियां लगाई गई है उससे जनता को बड़ी कठिनाई हो रही है। हम जब इसका अनुमान करते हैं तो हमारे दुःख की सीमा नहीं रहती। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रतिबन्ध को लगाने के वास्ते यह कहा जाता है कि यह जनता के हित के लिये लगाया गया है। हम जब इस बात पर विचार करते हैं तो हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। जिस जनता के हित के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया है या लगाया जाना कहा जाता है उस जनता की राय लें तो हमें केवल खेद करके ही रह जाना पड़ता है और न मालूम क्या क्या सोचना पड़ता है? अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि यह प्रतिबन्ध जनता के

[श्री शम्भूसिंह]

हित के वास्ते लगाया गया है लेकिन जो वर्ग इसको एक धार्मिक क्रिया समझ कर करता है, जिनके यहां यह धार्मिक रिवाज की तरह प्रचलित है उनका यह होता है कि वे लोग जो सामग्री बनाते हैं उस सामग्री को सरकार छीनकर जबरदस्ती ले जाती है। इस तरह हजारों रुपयों का माल पड़ा पड़ा सड़ा करता है और फिर कोडियों के भाव बिकता है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, सहाड़ा तहसील से, वहां पर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। वहां की निरीह जनता ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है और मुझे इस बात पर प्रेरित किया है कि मैं उनकी बातों को सरकार के सामने रखूं और इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे जीमण और किरियावर भोले-भाले किसानों को तीन-तीन बार या इससे भी ज्यादा करने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कार्य करने के वास्ते उनको वाजिब व्यय करना पड़ता है। इसके लिये नावाजिब तौर से, भ्रष्टाचार की तौर पर कई रुपया लगाना पड़ता है।

पहले पहल उनको कुछ रुपया उन गुण्डों को देना पड़ता है जो इस ताक में रहते हैं कि अगर कोई किरियावर या जीमण करता है तो उसकी शिकायत पुलिस के अधिकारियों तक न करे। उसके उपरान्त भी जब शिकायत हो जाती है तो वहां के [सहने] को, उसके बाद वहां के पटवारी को रुपया देना पड़ता है। अगर यह सिलसिला यहां खत्म नहीं होता है तो फिर पुलिस की बारी आती है। पुलिस के जमादार का किरयावर करने के बाद थानेदार साहब का किरयावर होता है। उसके किरयावर होने के बाद सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। अगर किसी तरह मुश्किल से यहां शान्त हो जाता है तो ठीक और अगर यहां शान्त नहीं होता है और मजिस्ट्रेसी में चालान हो गया तो फिर कोर्ट के सामने भी उस व्यक्ति को उम्मेदवारी करनी पड़ती है। अपने पूर्वजों का किरयावर वह इस प्रकार करता है। अपने पूर्वजों का किरयावर करने के वास्ते उसको कितने अफसरों का किरयावर करना पड़ता है। और जिस किफायत के वास्ते, जिस हित के वास्ते यह लाग लगाई थी वह पूरी नहीं होकर उससे कई गुना ज्यादा अपव्यय हो जाय, तो मैं समझता हूं कि यह हित के वास्ते नहीं हुआ, अहित के वास्ते ही हुआ।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रतिबन्ध के कारण जो दुखद घटनाएं हुई हैं उनकी संख्या कम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको भली भांति मालूम होगा कि करोली में जो इसी विषय को लेकर दुखद घटना हुई और उसमें कई व्यक्ति मौत के घाट उतारे गये तो वह केवल इसी अनहोने प्रतिबन्ध के फलस्वरूप ही हो पाया। इसके अलावा मैं नहीं समझ पाया कि सरकार की ऐसे अव्यवहारिक और इम्प्रेक्टिकेबल प्रतिबन्ध लगाने की मन्शा क्या है? सरकार की मन्शा इससे बिल्कुल हल नहीं हो पाई है। सरकार की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। सरकार के नियमों की अनियन्त्रित रूप से अवहेलना हो रही है, फिर भी ऐसे नियन्त्रण को बिदा करने के विषय में सरकार नहीं सोच रही है।

अध्यक्ष महोदय, यदि हम इसके दूसरे पहलू को देखेंगे तो ऐसे जो किरयावर या जीमन होते हैं उनके भी लाभ किसान समझते हैं। किसान मृत्यु पर्यन्त कमाई करते हैं और किफायत से रहते हैं तो उसकी यह चाह होती है कि वह अपने संबंधियों को निमन्त्रित करे, भोज के रूप में या ऐसा कुछ करे जिससे उसको सन्तोष हो जाय। यदि उसका यह अनुमान हो कि ऐसे कार्यों पर प्रतिबन्ध रखा गया

[श्री शम्भूसिंह]

है तो किसान के कमाई करने का जो उत्साह है वह उत्साह भंग हो जायगा। किसान यह कहता है कि हम कमाई करते हैं तो अच्छे कार्यों में उसको लगावें। अध्यक्ष महोदय, शहर में आदमी बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, रोजमर्रा वह अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, परन्तु गांव में तो कभी-कभाक ही ऐसे कार्य होते हैं जिनमें उनको ऐसा खाना खानेका अवसर प्राप्त होता है और वह अपव्यय नहीं होता है। जो लोग मातमपुरसी के लिये आते हैं उन लोगों के वास्ते किसान का कर्तव्य हो जाता है कि जीमने का प्रबन्ध करे, और वैसे उस जीमन से उनके घरों में बचत हो जाती है। मान लिया कि एक हजार आदमी वहां इकट्ठे हुए तो १ हजार व्यक्तियों के जीमन की बचत उनके घरों में हो जायगी। मैं नहीं समझ सका कि यह अपव्यय कैसे हुआ ?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बात यह है कि ऐसे अवसरों पर उन मनुष्यों का इकट्ठा होना अपव्यय के वास्ते नहीं होता है, बल्कि यदि कहीं मृत्यु हो जाती है तो वे मातमपुरसी के इरादे से आते हैं। उन लोगों का खाना जरूरी हो जाता है। साल भर तक भी लोगों का तांता लगा रहता है। साल भर में एक दिन नहीं आकर कई दिनों तक वे आयेंगे तो किसान को वह व्यय तो करना ही पड़ेगा। इसलिये ऐसे लोगों का सम्मेलन न्यायोचित और कानून संगत मान लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, ऐसे सम्मेलनों में किसानों को आपस में विचार-विमर्श करने का, अपने अनुभव आदान-प्रदान करने का अवसर तथा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे सम्मेलन में किसान अपने लड़के लड़कियों के विवाह शादी के निस्बत बातचीत करते हैं, कई सगाइयां तय कर पाते हैं। कई अपने अनुभव सुनाते हैं कृषि वगैरह के। कई अनुभव की बातें सुनाते हैं और उन अनुभवों का लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं। एक जगह का किसान जब दूसरी जगह जाता है और वहां के अनुभव को काम में लाता है तो दूसरी जगह के कृषि-कार्य में उन्नति होती है।

अध्यक्ष महोदय, पहिले यह कहा जाता था कि अन्न की कमी होने की वजह से ऐसा किया जाता है, परन्तु इस वर्ष तो ईश्वर की कृपा से बरसात अच्छी हुई और अन्न की विशेष कमी नहीं है। गेहूं का भाव काफी गिर चुका है, एक रुपये के बदले आठ आने हो गया है। ऐसी अवस्था में ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जाना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है; लेकिन यदि हम एक मत होकर इस प्रस्ताव को पास कर दें और केन्द्रीय सरकार के सम्मुख उसे रखें तो केन्द्रीय सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी। हमारा काम इस प्रस्ताव को पास कर देने और यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकार के सम्मुख भी रख देना है। अतएव जनता के प्रतिनिधि, जो इतने सदस्य इस हाउस में एकत्रित हैं उन सबसे आशा करता हूं कि इसको किसी पार्टी विशेष का विषय न बता कर जनता की कठिनाइयों को हल करने का प्रश्न मान लिया जाय, और जनता के प्रतिनिधि होने की हैसियत से सब सदस्य इसको एकमत से स्वीकार करें। मुझे संबंधित मंत्री महोदय से न्यायोचित रवैये पर भी विश्वास है कि वे भी इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे। पहिले भी सरकारी वर्ग की ओर से कई दफा ऐसा आश्वासन दिया गया है, अभी किसानों का एक सम्मेलन हुआ था उसमें सरकार की ओर से ऐसा आश्वासन दिया गया था। उस आश्वासन के फलस्वरूप ऐसे कार्य किये गये, लेकिन उस आश्वासन को भंग करके पुलिस वहां जा पड़ी और लोगों के माल को उठा लाई। कल्पना कीजिये

[श्री शम्भूसिंह]

कि एक आदमी का रिश्तेदार मरता है लोग उसके यहां मातमपुरसी के लिये आते हैं, लेकिन पुलिस उनके बने बनाये माल को लूट ले जाती है और हजारों रुपयों का माल कोड़ियों के भाव बेच देती है तो उस आदमी के अपने महमानों को खिलाने के लिये उतना ही माल फिर बनाना पड़ता है और उनको जिमाना पड़ता है। अब आप खयाल फरमायें कि यह कितना ज्यादा अपव्यय हुआ। अध्यक्ष महोदय, शहर में ऐसा प्रश्न आता नहीं है । शहर में यदि ऐसा होता है तो ऐसे कानून के होते हुए भी बहुत से अफसर ऐसी चीजों में सम्मिलित होते हैं, तो फिर गांव के लोगों ने ऐसा क्या अपराध किया है कि उनके बने बनाये माल को पुलिस उठा ले जाय और उनको अपने अनुभव के आदान प्रदान का और ऐसे होने वाले लाभों से वंचित होना पड़े ?

(श्री हिम्मतसिंह,सभापति पदासीन)

चेयरमेन महोदय, आज फिर मैं आपकी मार्फत तमाम हाउस से अपील करूंगा कि मेरे इस निवेदन को उदारतापूर्वक ठंडे दिल से सोचें और न्याय करें। मैं अपील करूंगा कि आप मेरी इस योजना को सोचें और गौर फरमावें कि सरकार को इससे कोई लाभ तो नहीं होने वाला है और दूसरी ओर इसके रहने से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। किसानों में इसके प्रति असंतोष बढ़ रहा है और यदि उनके असन्तोष को शान्त नहीं किया गया तो यह दबी हुई आग दबी न रहकर विस्फोट के रूप में न मालूम कब भड़क जावे ! इसलिये जब इसको रखने में सरकार को कोई लाभ नहीं है और किसानों को नुकसान हो रहा है तब क्यों नहीं सरकार ऐसे प्रतिबन्ध को हटा देती । मैं आशा करता हूं कि मेरे रिजोल्युशन को पास किया जायगा । मैं इतना ही कहकर बैठता हूं।

श्री खेतसिंह--चेयरमेन महोदय, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि विवाह तथा मृत्यु भोज आदि जीमणों पर से रोक तुरन्त हटा ली जावे। इन्सान की जिन्दगी में विवाह सबसे बड़ा त्योहार है और यदि विवाह के त्योहार पर कोई इन्सान अपने रिश्तेदारों, भाइयों और सगे-संबंधियों को न बुलावे तो फिर उनको किस मौके पर बुलावेगा ? ऐसे मौके पर ही वह अपने रिश्तेदारों को खिला-पिला सकता है ? आप रोजमर्रा देखते हैं और एसेम्बली में भी कई पार्टियां हुई हैं जिनमें ५००-५००० तक आदमी शरीक हुए हैं और मिठाइयें खाई हैं और क्या नहीं किया है ?

श्री हिम्मतसिंह--(चेयरमेन) "क्या नहीं किया" का क्या मतलब है ?

(हंसी)

श्री खेतसिंह--मेरा खयाल है कि आप समझ गये होंगे।

इसलिये मैं यह कह रहा था कि क्या कारण है कि गांव के अनपढ़ किसानों को इससे महरूम रखा जा रहा है। कोई समय था जब गल्ले की खास कमी थी, इसलिये इस ऑर्डिनेन्स को लागू किया गया था; लेकिन आज तो स्वयं मंत्री महोदय यह महसूस कर रहे हैं कि गल्ले की कमी नहीं है और जगह जगह गल्ला सड़ रहा है। तो फिर अब क्यों ऐसा प्रतिबन्ध रखा गया जाता है ? सरकार ने इससे कोई

[श्री खेतसिंह]

फायदा नहीं उठाया है। सिर्फ यह हुआ है कि पुलिस के कुछ कर्मचारियों को और सप्लाई के अहलमदों को रिश्वत मिलनी शुरू हो गई है। काम तो चलता ही रहता है। पिछले तीन वर्षों में विवाह बन्द नहीं हुए हैं, मृत्युएं भी हुई हैं। विवाह के समय प्रीति-भोज भी होते ही हैं तथा लोगों को रिश्वत देकर जीमण करते हैं। रिश्तेदारों को रात को बुलाकर जिमा कर (भोजन करवा कर) सुबह रवाना कर देते हैं। हमारी तरफ ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा जहां पर ऐसे अवसरों पर रात को रिश्तेदारों को खिला पिलाकर सुबह रवाना नहीं कर देते हों। आप जान-बूझ कर इस तरह के उल्टे कार्य करने की शिक्षा दे रहे हैं। आप जान-बूझ कर इस तरह के छोटे छोटे कार्यों में उनकी इस तरह की आदत डाल रहे हैं जिसका नतीजा यह होगा कि आगे चल कर वे बड़े कानून मानने से इन्कार कर देंगे। इसलिये मैं अपील करूंगा कि जब फसल अच्छी हो रही है तो इन प्रतिबन्धों को हटा दिया जाय और हर इन्सान को स्वतंत्रता दी जाय कि वह जितने सगे-संबंधियों को बुलाना चाहे उतनों को बुलावें। आखिर वे अपनी हैसियत के माफिक ही लोगों को बुलावेंगे। आपने जो ५० व्यक्तियों का बंधन रखा है उससे जनता कतई सैटिसफाइड (संतुष्ट) नहीं है। जनता पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे प्रतिबन्धों को हटा कर दूसरे जो कई प्रकार के सामाजिक काम करने को पड़े हैं उन्हें करें ताकि आपका जनता में विश्वास हो।

इसके अलावा मृत्यु भोज के लिये आपने जो अपने प्रस्ताव में कहा है उसमें भी अपने हिन्दू लॉ के अनुसार पिंड दान करना जरूरी है। यदि अपने पिता और दादा की मृत्यु पर कोई इन्सान ब्राह्मणों को भोजन नहीं करावे तो अपने यहां यह माना जाता है कि उसका पिता या दादा स्वर्ग में नहीं जाता और बीच में ही नर्क के दरवाजे खटखटाता रहता है। जब तक अपने राजस्थान के लोग इतने एडवांस नहीं हो जावें कि इन बातों को व्यर्थ समझने लगें तब तक के लिये यदि इस प्रकार के प्रतिबन्ध हटा लिये जायेंगे तो उत्तम रहेगा। मैं इतना ही कहकर अपना आसन गृहण करता हूं।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे मित्र हिन्दू महासभा के सदस्य श्री शंभूसिंहजी ने जो रिजोल्युशन फीस्टिंग कंट्रोल आर्डर (भोज-नियन्त्रण आज्ञा) को हटाने के लिये रखा है उसके लिये मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं क्यों कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिससे राजस्थान की ग्रामीण जनता की सच्चे तरीके से सेवा की गई है। उन्होंने इस चीज को सदन में रखकर ग्रामीण जनता का जो भला किया है वह शायद ही यह शहरी लोग या इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग जानते होंगे। यह मैं जानता हूं क्योंकि इन शहरों में तो आये दिन बड़े बड़े प्रीति-भोज होते हैं। यह मैं सदन के इस ओर बैठने वाले प्रत्येक भाई की ओर खासकर फूड मिनिस्टर (खाद्य मंत्री) साहब को चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि मैंने अपनी आंखों से एसेम्बली से जाते हुए देखा है कि आगे आगे मिनिस्टरों की गाड़ियें गई हैं और......

श्री हरदेव जोशी--आप उनमें शरीक भी हुए हैं क्या ?

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--अवश्य मैं शरीक होता हूं। यदि सरकार कोई गलत कानून बनाती है तो मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं। मैं इस प्रकार का जानवर नहीं हूं जो नाक में नथ डालकर नचाया जा सके। मैं जिस चीज को उचित समझता हूं उसको करता हूं

श्री बी. एन. जोशी—What are the conse uences you know ?

श्री मानसिंह—यदि इन बेंचों पर बैठने वाले हजारों आदमी जिमाते हैं और जिमाने के अलावा टोकरे भरकर सर पर रखकर लेजाते हैं तो मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं सर पर लेकर नहीं जाता हूं, यह मैं बता देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और मेरे भाई जो ग्रामीण हैं उनकी तरफ से इस सदन में आया है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि गांवों की जनता के लिये यह कानून बड़ा ही अन्यायपूर्ण कानून है क्योंकि शहर के लोग तो बड़े २ आफिसरों या मिनिस्टरों के पास सिफारिश ले जाकर पुलिस को रोक देते हैं लेकिन हमारे गांवों में जो भोले-भाले ग्रामीण होते हैं उनको पुलिस तंग करती है। पुलिस से पिण्ड छुड़ाने के लिये उनके पास शहरी लोगों जैसा हथियार न होने के कारण तथा और कोई उपाय न होने के कारण उनको पुलिस वालों का भी नुकता करना पड़ता है। यदि कोई आदमी नुक्ते में ५००) रू. खर्च करता है तो पुलिस से निश्चिन्त होने के लिये उनको नुक्ते के रूप में १००) रू. देने पड़ते हैं और इ के अलावा कांग्रेस भाइयों को भी नुक्ते के १००) रु० देने पड़ते हैं। यह कोई बनावटी बात नहीं है। राजस्थान के भूतपूर्व आई जी. पुलिस मि० बिन्द्रा ने इस प्रकार की कार्यवाही पकड़ी है। मैं जो चीज कहता हूं वह प्रमाण के साथ कहता हूं। जीमण बन्द करने के लिये फीस्टिंग कन्ट्रोल आर्डर लाया जाता है। उसका मतलब यह है कि भोजन की रक्षा की जाय। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि यदि मैं कोई नुक्ता करता हूं और ५०० आदमियों को जिमाता हूं तो वे अपने घर पर नहीं जीमते अर्थात् उन ५००आदमियों के घर का भोजन बच जाता है। इस प्रकार जीमण करने में अन्न नष्ट कैसे हुआ, यह मेरे समझ में नहीं आया? यदि मंत्रीजी इस बात का स्पष्टीकरण करके समझा सकेंगे तो मैं मान लूंगा कि उनकी बात सही है।

इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि अगर वे खाद्यान्नों के विचार से कहते हैं कि हमारे देश में खाद्यान्नों की बड़ी गड़बड़ी की स्तिथि है तो उसको मैं एक तरह से अलग कर रहा हूं।

दूसरी तरफ मैं यह कहूंगा कि नुक्तों में और शादियों में ज्यादा लोगों को खिलाने के मैं खिलाफ हूं। पर अगर आपको समाज का सुधार करना है तो कानून को समाज सुधार में मत लाइये। समाज को आप शिक्षित कीजिये ताकि वह खुदबखुद अपना सुधार करे। समाज सुधार के कामों में अगर कानून को लाते हैं तो इसका नतीजा यह होता है कि समाज के जो ईमानदार आदमी हैं उनको भी बेईमानी के लिये वाध्य होना पड़ता है। अगर वे सोशियल रिफोर्म के लिये रखना चाहते हैं तो वह भी गलत है।

आपके फीस्टिंग कंट्रोल ऑर्डर की राजस्थान के गांव गांव में, राजस्थान के कोने कोने में अवहेलना हो रही है और जिस सरकार के कानून कायदों की अवहेलना होती हो उसके लिये हमें वाध्य होकर कहना पड़ता है कि वह सरकार सरकार नहीं है और उसे हमें सरकार मानने से अलग होना पड़ता है। अगर सरकार अपने कानून-कायदों को अच्छी तरह से अमल में नहीं ला सकती तो सरकार को अपनी इज्जत रखने के लिये उन कानून-कायदों को वापिस लेना चाहिये जिनका कि वह अमल नहीं करा सकती अन्यथा वह सरकार सरकार कहलाने की हकदार नहीं।

[श्री मानसिंह महार]

मैं माननीय फुड मिनिस्टर महोदय से, सरकार की इज्जत रखने के लिये अपील करूंगा कि वे इस कानून को वापिस ले लें।

यह कानून अगर आपको रखना ही है तो महरबानी करके कम से कम बोनाफाइड जनता को दिखाने के लिये यह तो कर दीजिये कि आपके तहसील की कांग्रेस कमेटियों के जो सदस्य हैं उनसे तो कहिये कि वे इस प्रकार के आदर्श पेश करें। यहां जो मंत्री हैं उन्होंने भी बीकानेर-उदयपुर आदि में नुक्ते किये होंगे। यदि नहीं तो विवाह शादियों में तो जाते ही होंगे, जहां ऐसे कानून की अवहेलना होती है। गांवों में देखा है कि तहसील कमेटियों के सदस्य, जिनको आप कर्मठ सदस्य कहते हैं और कहते हैं कि उनपर कई पाबन्दियां लगा रखी हैं उनको तो कहिये कि वे फीस्टिंग कन्ट्रोल ऑर्डर की अवहेलना करेंगे तो उनको हम कांग्रेस का सदस्य नहीं रखेंगे। आप अगर इस बात को मानने को तैयार नहीं है तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार अपने ऐसे एजेन्टों को, जोकि तहसीलों और गांवों में छोड़े हुए हैं उनके भरण पोषण के लिये और अपनी पुलिस के कम वेतन पाने वाले सिपाहियों के भरण-पोषण के लिये ही यह कानून जारी रख रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकारी पक्ष की ओर बैठे हुए दोस्तों से अपील करूंगा कि मेरे मित्र ने जो यह प्रस्ताव रखा है वह बड़ा ही उचित है। यह हम गांव वालों के दुख-दर्द का प्रस्ताव है। आप गांव वालों के वोटों से आये हैं, आप शहर वालों की बातों में मत आइये, ग्रामीण लोग जो इधर बैठे हैं वे तो इसका समर्थन करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि अगर वह यह ख्याल करते हों कि इस प्रस्ताव को पास करने से सेन्ट्रल गवर्नमेंट नाराज होगी तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि आपके अकाल के आंकडे नहीं देने से सेन्टर के सदस्य यह कह देते हैं कि राजस्थान की सरकार को कह देना कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट उससे सख्त नाराज है तो इस चीज को तो आपको बर्दाश्त करना चाहिये। अकाल सहायता जैसी महत्वपूर्ण बातों के लिये गलत आंकडे सदन में पेश करते हैं ....

श्री बी. एन. जोशी—On a point of order, Sir, how does it relate to the subject under discussion?

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—Thank you very much. I know what I want to say.

श्री विश्वम्भर नाथ—I want a ruling of the chair.

श्री मानसिंह—तो इस बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को गलत बात बताई जाती है तो इस उचित मामले में तो बहादुरी के साथ सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कह देना चाहिये कि फीस्टिंग कन्ट्रोल आर्डर अन्याय पूर्ण चीज है; इसको हम नहीं रख सकते, आप नाराज होंगे तो थोडी नाराजी हम बर्दाश्त करेंगे। आप मिसाल दे सकते हैं कि इस फीस्टिंग कन्ट्रोल ओर्डर ने गुर्जी में एक तहसीलदार, एक डी. वाई. एस. पी., दो तीन थानेदार और कई सिपाहियों को खतम करवा दिया है और हमारी पुलिस के कई निहत्थे अफसरों को गांवों में पिटवा दिया है।

Page No.56

[श्री मानसिंह महार]

ऐसी हालत देखते हुए फीस्टिंग कन्ट्रोल आर्डर को वापिस लेना चाहिये। यदि नहीं लिया जाता है तो मैं तो यही कहूंगा कि यह इस सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है कि जयपुर में सरकार की छाती पर नुक्ते होते हैं और शादियों में हजारों आदमियों को जिमाया जाता है।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यही कहूंगा कि सद्भावना दिखा कर इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास करें।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ)—माननीय उपाध्यक्ष जी, बडे अफसोस के साथ आज मुझे निवेदन करना पड़ता है कि मेरे पक्ष के सदस्य की ओर से रखे हुए प्रस्ताव का विरोध करने के लिये मुझे बोलना पड रहा है। जिन्होंने इसे सदन में रखा और जिन मित्र ने अच्छे शब्दों से इसका समर्थन किया उन दोनों से मुझे इत्तफाक नहीं है। ऐसी सूरत में मैं चाहूंगा कि सदन अपना निर्णय दे इसके पहले मैं अपनी विरोधी विचार-धारा बता दूं। इसका समर्थन करते हुए मेरे मित्र ने जो दलीलें दी हैं उन पर भी मैं कहूंगा।

मेरे एक मित्र ने बताया कि इस प्रकार का खर्चा नहीं करना हिन्दू धर्म की दृष्टि से खराब है। यदि वे हिन्दू शास्त्र देखते तो उनको मालूम हो जाता कि हिन्दू शास्त्रों के अनुसार कहीं भी इस तरह का खर्चा करना जायज नहीं माना गया है। किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो उसके बारह दिन के अन्दर और बारह दिन के बाद १२ ब्राह्मणों को जिमाया जाय तो ठीक है। अपने धर्म के अनुसार यह ठीक है और कानून में भी इस प्रकार की इजाजत दे दी गई है। धार्मिक दृष्टि से आपका कहना कि नुक्ता नहीं करना बुरा है, बिल्कुल बेबुनियाद है।

दूसरी बात अभी माननीय मित्र ने कही कि आजकल इस कानून की अवहेलना खुले रूप से की जाती है। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जब बाजार में जाते हैं तो सड़क की छतों पर लोग जीमते हुए मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह नजारा उनके सामने भी आया है। मैं यह कहूंगा कि हाउस के एक सदस्य के नाते यदि उन्हें इस प्रकार कानून की अवहेलना उनकी दृष्टि के सामने होती नजर आए तो उनका फर्ज हो जाता है कि उसकी रिपोर्ट पुलिस में करें या किसी दूसरे अधिकारी को इसकी इत्तला दें।

श्री मानसिंह—ओन ए पोइन्ट आफ इन्फॉर्मेशन, सर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसको उचित नहीं मानता हूं और अन्यायपूर्ण समझता हूं।

श्री भैंरूसिंह—यह हमारे लिये एक दुख की चीज है कि राजस्थान सरकार द्वारा इस माने हुए कानून की खुले आम अवहेलना की जा रही है और इस प्रकार की अवहेलना करने की लोगों की आदत हो गई है और वे लोग इस कानून की अवहेलना करने के आदी हैं। यह निवेदन करूंगा मैं कि इस प्रकार की बातें कह कर वे गलत परम्पराएं कायम करने जा रहे हैं।

[श्री भैरोंसिंह (दांतारामगढ़)]

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि खर्च होता है और पुलिस अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है। मगर मैं यह कहूंगा कि कानून के जो सिद्धान्त हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कानून की मंशा तो साफ ही है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जब कोई व्यक्ति २५० आदमियों को भोजन कराता है तो उन २५० व्यक्तियों के यहां का खाना तो बच जाता है। मगर मैं यह कहूंगा कि यदि वे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि ग्रामीण लोगों को जान-बूझकर जबरन भोज करने के लिये मजबूर किया जाता है। यदि ग्रामीण जनता की हालत को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनकी हालत इसी एक आधार पर ज्यादा बिगड़ी है। जिस वक्त ग्रामीण जनता का कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको मजबूरन भोज करना पड़ता है। इसके लिये उसको जेवर वगैरह गिरवी रखकर भोज करना पडता है और उन लोगों को जिमाना पडता है। जिनको जिमाना वाजिब नहीं। लेकिन यह कुरीति है और इस कुरीति के कारण गरीब आदमी को मजबूर होकर ऐसा करना पडता है। म एक चीज आपको बतला दूं। २५ वर्ष पहले खाचरिया वासी ठाकुर साहब कल्याणसिंह जी ने, जो जयपुर के चीफ कोर्ट के जज थे उन्होंने इस बात का घोर विरोध किया और कहा कि इसके करने के बाद लोगों को बहुत मुसीबतें उठानी पडती हैं। गरीब के पास इस भोज के बाद निम्नलिखित चीजें बचती हैं :—

(१) कर्जा (२) कोए (३) कढ़ाई (४) कोयले और (५) कुत्ता।

ये पांचों चीजें उस जीमन के बाद रहती हैं। ये पांचों चीजें उस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर प्रभाव डालती हैं। लोग-बाग जीम कर निकलते समय नई नई नुक्ता चीनी करते जाते हैं और कहते हैं कि फलां चीज में मीठा कम रहा, फलां चीज अच्छी नहीं रही। इस प्रकार की कहा-सुनी करके वे लोग चले जाते हैं और उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता। वह कर्जदार हो जाता है और बोहरे लोग जल्दी से जल्दी अपनी रकम वसूल करने के लिये उसके खिलाफ डिगरी करा लेते हैं और इसकी वजह से उसका आर्थिक ढांचा खराब हो जाता है और इससे मैं यह समझता हूं कि सारा का सारा .....

श्री शंभूसिंह—उदयपुर में लागू नहीं (अश्रव्य)

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। कानून में कभी भी discrimination नहीं होता। वह गरीब और अमीरों पर बराबर लागू होता है। गरीब पर इसका बहुत बुरा असर पडता है। अमीर के पास पैसा होता है तो वह उसे खर्च कर सकता है। यदि लोग अपने ऊपर गरीबी लेकर देखें तो मालूम हो कि गरीब कितना सुखी हो गया है। अभी माननीय मित्र ने कहा और उसका समर्थन खास बात से किया कि कांग्रेस के सदस्य इसमें सहयोग देते हैं और अपने सर पर टोकरी ले जाते हैं और सारे काम हो जाते हैं। पहले जागीरदारों के जब बोलबाला थे उस समय बड़े बड़ कांसे आ जाया करते थे, मगर अब वह समय नहीं रहा (घंटी)

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—क्या अब यह समझें कि अब कांसे जागीरदारों के बजाय कांग्रेसवालों के जावेंगे।

श्री भैरू सिंह—इससे आपको शंका हुई मालूम पड़ती है। इस प्रकार समाज की इन कुरीतियों को नहीं रोका गया तो आज (घंटी) (घंटी) इस प्रगतिशील युग में जनता का बहुत अहित होगा। मैं अब सदन का ज्यादा समय न लेकर यही कहूंगा कि इस प्रस्ताव का विरोध किया जाय।

श्री भैरू सिंह केलवा—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस पर सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमें हमारे देश की हालत को देखना चाहिये। हमारा देश हमेशा धर्मपरायण रहा है और धर्म पर चिपका रहा है। हमारे यहां पर हजारों साल तक मुसलमानों और अंग्रेजों ने राज्य किया है मगर फिर भी लोग अपने धर्म पर चिपके रहे और उसी के कारण आज तक हमारा धर्म सर्वाइव (Survive) करता रहा है। इसमें भलाइयें और बुराइयें दोनों ही हैं। इसके अलावा कुछ कस्टम्स भी होते हैं जो ऐसे हो जाते हैं कि उन पर लोग मरने तक के लिये तैयार हो जाते हैं। हमारे यहां के रहने वालों की बड़ी कन्जरवेटिव हेबिट्स हैं। मैंने काश्तकारों से कहा कि आप लोग हेट (टोप) क्यों नहीं लगाते, यह अंग्रेजों की चीज नहीं; यह चीन की चीज है। मगर उन्होंने हेट (hat) लगाना पसन्द नहीं किया। वे तो उसी साफे में रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि हेट धूप से बचाता है, मगर उन्होंने अपने फेंटे को नहीं छोड़ा। इसी तरह से वे अपनी पुरानी रूढ़ियों को एक दम नहीं छोड़ते, यह एक ध्यान में रखने की चीज है। जिस चीज में उन लोगों का विश्वास है उसको एक दम नहीं हटाया जा सकता, चाहे वे इसमें कितने ही कर्जदार क्यों न हो जायं। मैं इस तरफ न जाकर यह कहूंगा कि हम और दूसरी पार्टी वाले काश्तकारों को नहीं समझा सके कि मृत-भोज बन्द करना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि जहां तक कांग्रेस के सदस्यों का प्रश्न है उन्होंने तो किसानों को यह आश्वासन दिया कि इसमें वे लोग उनको मदद करेंगे। मेरे पास अभी पेम्फलेट नहीं है वरना मैं यह दिखाता कि पेम्फलेटों के जरिये उनको यह बताया गया था कि भोज में उनको मदद दी जावेगी। इस पर मैं ज्यादा जोर न देकर यही कहूंगा कि जब मिनिस्टर लोग गांवों में जाते है तो काफी भोजन होता है और जब लोग-बाग देखते हैं कि मिनिस्टर साहब खुद जो कानून बनाते हैं इतना भोजन करते हैं तो फिर हमें क्यों रोकते हैं ?

"Example is better than precept"

इस विषय में मैं माननीय मंत्रीजी से मिला और उन्होने कहा कि यह सेन्टर का आदेश है और ३ साल की सजा रखी है, हम तो इसको रिलेक्स करने के लिये तैयार हैं और यह चाहते भी हैं तथा पुलिस के बजाय इसका अधिकार पंचायत बोर्ड तथा तहसील को भी नहीं दे सकते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस सम्बन्ध में सेन्टर में लिख दें कि इस प्रकार की हिदायत पंचायत बोर्ड या तहसील को कर दें और उनको अधिकार दे दिये जावें। इससे यदि किसी को भोज की जरूरत हो तो १०० या दो सौ आदमियो के लिये पंचायत या तहसील से आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। गांवों में बहुत सी जगह ऐसी है जहां पूरे के पूरे गांव एक ग्रांड फादर की औलाद हैं, जहां ४०,५० मेम्बर हैं। मगर वहां पर भी पुलिस जब कभी भोजन होता है तो उनको जा कर तंग करती है हालांकि यह गवर्नमेन्ट की इच्छा नहीं है कि उनको तंग किया जावे। यदि गवर्नमेंट यह चाहे तो पुलिस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर (कड़ा आदेश) दे सकती है और पुलिस स्ट्रिक्टनेस करे तो यह बन्द हो सकता है। मालूम

Page No.59

[श्री भैरोंसिंह केलवा]
ऐसा होता है कि पुलिस इसको बन्द भी करना नहीं चाहती क्योंकि इससे पुलिस को पैसे आते हैं और इससे जनता को बुरी तरह से तंग किया जाता है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

अगर यह नहीं होता है तो उसमें काफी टाइम हो जाता है। आदमी जो मरता है उसकी सूचना आ जाती है और भोजन बनाने में काफी समय और बर्तनों की आवश्यकता होती है। कई कई जगह तो जहां जीमन होते हैं पुलिस द्वारा आदमी छोड़ दिये जाते हैं और कहीं कहीं पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले सामान को पकड ले जाते हैं। इसलिये इस समय जो इसकी स्थिति हो रही है वह इस प्रकार की है कि वह न जिन्दा रहने में और न मरने में ही।

(घंटी)

अगर इसको स्ट्रिक्टली बन्द कर दिया जाता है तो अच्छा है और अगर रिलेक्सेशन देते हैं तो पूरी तरह से रिलेक्सेशन दिया जाना चाहिये। अतः मैं यही अर्ज करूंगा कि अगर इसको बन्द ही करना है तो इस प्रकार स्ट्रिक्टली बन्द करना चाहिये कि कानून का पूरा पालन हो और उसमें कोई रिलेक्सेशन नहीं होना चाहिये जिससे बीच के आदमी तंग न करें और अगर स्ट्रिक्टली नहीं करना चाहते हैं तो इसको हटा ही दिया जाना चाहिये।

श्री भीमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शंभूसिंह जी ने जो संकल्प रखा है उसके कुछ अंशों का मैं विरोध करता हूं। उन्होंने शादी और मृत्यु दोनों को एक ही डंडे से हांक दिया है। कुछ मित्रों ने यह फरमाया है कि ये धार्मिक कृत्य हैं और ऐसी परम्पराएं हैं। इस प्रकार की परम्पराओं को और धार्मिक कृत्यों का रोका जाना एक प्रकार से ज्यादती की बात है। मैं खास तौर से मृत्यु-भोज के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मृत्यु-भोज को धार्मिक कृत्य कहना, मैं समझता हूं कि नावाजिब चीज है। अगर शास्त्रों का प्रमाण हम देते हैं तो कम से कम यह तो जानना चाहिये कि किस खर्चे के लिये कौनसा संस्कृत शब्द है? यदि वह धार्मिक कृत्य के लिये ही आता है तो अवश्य ही कोई संस्कृत शब्द होना चाहिये। "नुक्ता" शब्द उर्दू का है और "खर्चा" हमारे गांवों की बोलचाल की भाषा का शब्द है। इसी बात को ध्यान में रख कर हम खर्चा कहते हैं।

श्री शंभूसिंह--मैं माननीय सदस्य को सूचना के लिये कह दूं कि इसका संस्कृत शब्द 'क्रियावर' है। क्रिया का अर्थ है 'कार्य' और 'वर' का अर्थ है . . . . .

श्री भीमसिंह--क्रिया तो वह होती है कि जब किसी आदमी की मृत्यु होती है और कपाल को फोडा जाता है तो वह जो क्रिया होती है उसको क्रिया कहते हैं। अगर उस शब्द को इस तरह से काम में लिया जाय तो यह नावाजिब है। अपने यहां शास्त्रों में ब्रह्मभोज का उल्लेख आता है। उसमें १२ ब्राह्मणों का प्रसंग आता है। इसके साथ में यह भी रोक लगाई गई है कि ब्राह्मण सुयोग्य ब्राह्मण

[श्री मानसिंह महार]

हों और अगर दूसरे ब्राह्मणों को जिमाया जाता है तो पाप होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे कानून में २५ आदमियों के लिये छूट रखी हुई है। अगर १२ ब्राह्मण हों तो यह वाजिब भी है। मुझे इस शब्द पर एतराज है। जब आदमी मरता है तो चिट्ठियां फाडी जाती हैं, कबीले वाले आते हैं और इस प्रकार आते हैं कि जैसे कोई खुशी हुई हो और शादी की खु ी में आते हैं उ। प्रकार आते हैं। जब वह आदमी जिन्दा होता है तो कोई उसको मदद नहीं करता है, चाहे उसकी जमीन नीलाम हो रही हो और चाहे वह कितना ही दुखी हो किन्तु जब वह मरता है तो लोग हलवा खाने के लिये आ जाते हैं। यह तो एक ज्यादती की चीज है और इसको खुला करना नावाजिब है।

मैंने, शादी के टाइम पर भोज का विरोध नहीं किया है। शादी का टाइम तो खुशी का होता है और खर्चा भी किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के टाइम पर जीमनवार होती है, कबीले वाले इकट्ठे होते हैं। मरे हुए आदमी के पीछे उसके छोटे बाल बच्चे रह जाते हैं, उसके पीछे विधवा रह जाती है, अड़ौस पड़ोस वाले आते हैं और उसके बच्चों को कहते हैं कि तेरे बाप-दादा ने इतना किया है, यह किया है वह किया है तो तू भी यह क्यों नहीं करेगा, तुझको जरूर करना पड़ेगा, अगर तेरे पास रुपया नहीं, कुछ नहीं है फिर भी तुझको करना ही पडेगा, जो तेरे पास जमीन है उसको गिरवी रख दे, तेरे पास खेती की जमीन है उसको गिरवी रखदे किन्तु तुझे भोज अवश्य ही करना पडेगा। विवाह के वक्त में देते हैं कोई इस प्रकार कहने के लिये तैयार नहीं होता। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि उस विधवा को और कर्जदार बना दिया जाता है। भोज होती हैं, सिर्फ एक दिन के लिये और लोग जीम कर चले जाते हैं किन्तु इस मृत्यु-भोज द्वारा विधवा को हमेशा के लिये कर्जदार बना कर छोड दिया जाता है।

मैं यह महसूस करता हूं कि इसको उठा देने से यह पुलिस वालों के खिलाफ पड़ता है, बीच के लोग जो फायदा उठाते हैं उनके खिलाफ पड़ता है किन्तु यह तो आप मान कर चलिये कि कोई भी मिनिस्टर चाहे जब भी इस अव्यवस्था को एक दम हटा नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि इस व्यवस्था के कारण कानून ही हटा दिया जाय। चूंकि चोरियां होती ही हैं, पुलिस के थानेदार लोग चोरों को पकड नहीं पाते किन्तु इसका मतलब यह तो नहीं है कि पीनल कोड को हटा कर फेंक दिया जाय और चोरियां करना जायद करार दे।

अतः मैं श्री शंभूसिहजी से अर्ज करूंगा कि वे इस प्रस्ताव में से मृत्यु शब्द को हटा दें। "विवाह" का ही शब्द रहता तो मैं उसका अवश्य समर्थन करता अन्यथा मुझे इसके लिये अफसोस है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—आज मुझे इस सदन में कुछ जिमक्कड लोगों के प्रभाव में आकर समझदार लोगों ने जो प्रस्ताव रखा और इस विषय पर जोर दिया है उसके बारे में कुछ कहना है। मैं हिन्दू धर्म के शास्त्रों के अनुसार जो बातें बताई गई उनके संबंध में अपने विचार आपको बताना चाहूंगा। कुछ महाशयों ने, कुछ माननीय सदस्यों ने यह बताया कि मृत्यु भोज हिन्दू धर्म के शास्त्रों के

Page No.61

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

अनुसार करना वाजिब है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने हिन्दू धर्म के शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। अगर वे अध्ययन करते तो उन्हें मालूम होता कि वैदिक धर्म के अनुसार १६ संस्कार होते हैं। उनमें लिखा है कि "भस्मान्त शरीरम्" अर्थात् शरीर का अन्त होने के बाद कोई भी संस्कार बाकी नहीं रहता। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग, जिमक्कड लोग पेट को मोटा बढाने वाले लोग, देश का नुकसान चाहते हैं, देश को दरिद्र बना देना चाहते हैं और तीन करोड विधवाओं के अन्दर और विधवाएं जुड जांय इसलिये उसका समर्थन करना चाहते हैं। आज राजस्थान विधान सभा में और लोक सभा में जब यह सवाल उठा है कि राजस्थान के अन्दर लोग पेडों की छाल खाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो ऐसे समय इस प्रकार के प्रस्ताव को लाकर कि नुक्ते करने की छट दे दी जाय, मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो बिरादरी के लोग उस विधवा को मजबूर करते हैं कि तुझको नुक्ता करना ही पडेगा, जरूर करना पडेगा। विधवा कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, किन्तु बिरादरी के वे लोग कहते हैं कि यह पंचों का कानून है, तुम्हारे पति ने दूसरे लोगों का खाया है और अब तुम्हारा पति मर गया है इसलिये तुमको भी नुक्ता जरूर करना पडेगा। वह कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, इस पर वे लोग कहते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि तू अपना जेवर, मकान, हवेली जमीन गिरवी रख कर या बेच कर भी नुक्ता कर। कहती है कि मालपुआ कर लिये जांय किन्तु लोग उसको मजबूर करते हैं कि मालपुआ नहीं तुझको लड्डू करने पडेंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं और वह यह है कि बिरादरी के लोग उस विधवा को मजबूर करते हैं कि एक आदमी को ही निमन्त्रण नहीं देना होगा किन्तु सारी बिरादरी के स्त्री, पुरुषों को बुलाना पडेगा। आप खुद ही विचार कीजिये कि उस विधवा को कितना दुख होता है जबकि नौजवान अवस्था में उसका पति मर जाता है और छोटे २ बच्चों का पालन पोषण उसको करना है, किन्तु पंच लोग चाहते हैं कि उनको लड्डू खाने के लिये मिल जायं। उपाध्यक्ष महोदय, वह विधवा मजबूर होकर नुक्ता करती है। हलवाई लोग भट्टी खोदते हैं और रात भर लड्डू बनाये जाते हैं और खाने वाले लोग देखते हैं कि कल हमको लड्डू मिलेंगे। पर इसका नतीजा यह होता है कि उस विधवा के मकान, जेवर और जमीन सब बिक जाते हैं या गिरवी रख दिये जाते हैं और दुख के साथ यह कहना पडता है कि इस अवस्था के कारण ही आज जयपुर और अन्य शहरों में इतनी वेश्याएं देखने को मिलती हैं? अगर हमारे अन्दर यह बुरी आदत जीमने की नहीं होती और यह प्रथा नहीं होती तो आज देश के अन्दर जो तीन करोड़ विधवाएं हमारी छाती पर मूंग दल रही हैं वे नहीं दलतीं।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव जो लाया जा रहा है बिल्कुल गलत है और साथ ही यह भी बता देना चाहता हूं कि इससे गरीब लोगों की बडी दुर्दशा होती है। एक गरीब आदमी जिसके पास कि पैसा नहीं होता है तपेदिक की बिमारी से बच्चा मर जाता है, तमाम रुपया उसकी बिमारी के लिये डाक्टर-वैद्य को दे देता है पर समाज के डर से कि उसका मृत्यु भोज नहीं करूंगा तो बड़ी बुरी बात होगी इसलिये वह किसी सेठ साहूकार से हजार रुपया कर्ज लाता है, और मृत्युभोज करता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह बिचारा इस कर्ज को चुकाने के लिये रोजी की तलाश में दूसरे प्रान्त में

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

चला जाता है। उसको वहां भी रोजी धंधा नहीं मिलता है और वह बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। इस तरह इस गरीब के लिये तो यह भोज बडी दुर्गति का कारण बन जाता है।

इसलिये नुक्ता करने की जो प्रथा है वह बड़ी खराब है। इससे समाज का बड़ा भारी नुकसान होता है। यह एक सामाजिक कुप्रथा है। इसे तो अवश्य बन्द किया जाना चाहिये।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि देहातों में जो लोग नुक्ता करते हैं उन पर बड़ी कड़ी पाबन्दी लगा दी जावे। मैं देखता हूं कि आज उनका कोर्ट में चालान किया जाता है तो १०), २०) रुपया ही फाइन करके उनको छोड दिया जाता है, इससे यह बीमारी बन्द नहीं होती। इसलिये इस पर बड़ा कड़ा प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। उनको इस अपराध के लिये कम से कम ६ महीने की सजा अवश्य देनी चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव--मैं इस पर क्लोजर मूव करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्राइवेट बिजनैस काफी बाकी पड़ा है और इसके लिये केवल दो दिन हमें दिये गये हैं। इस हिसाब से एक प्रस्ताव पर घंटे आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिये, यह आपको नियत करना है। अगर आप यह नियत करते हैं कि एक प्रस्ताव पर चाहे जितने आदमी बोलें तो दस दिन और इस अधिवेशन को बढ़ाना पडेगा और अगर दो दिन में खतम करना है तो एक-दो आदमी इधर से बोल लीजिये, तथा एक दो आदमी उधर से बोल लें और फिर सरकार का जवाब ले लिया जाय बस। ज्यादा इधर की स्पीचों से उधर कोई असर नहीं पड़ने वाला है न उधर की स्पीचों से इधर कोई असर पडने वाला है। आधा घंटा में खतम करिये; इससे ज्यादा तो हरगिज टाइम न लगाइये।

श्री उपाध्यक्ष--आप बोलना चाहते हैं या बन्द करना चाहते हैं, हाउस का सेंस क्या है। (कुछ सदस्यों के बोलने के लिये खडे होने पर) कुछ लोग बोलना चाहते हैं ? अच्छी बात है।

श्री ईश्वरीसिंह--यह नुक्ता कानून आप बन्द कर दें। अगर इसको रोकना है तो किताबें बांट दें धर्म के बारे में और इससे लोग अपने आप समझ कर रोक दें तो अच्छा है।

इस कानून से अगर आप यह कहें कि खर्चा कम होगा, ऐसी बात नहीं है। इससे खर्चा बहुत आवेगा। पुलिस को इसमें खाने का बड़ा मौका मिल जाता है।

मैं एक बात आपको बताऊं कि १५ रोज के भीतर भीतर मेरे गांव में दो काण्ड इस तरह के हो गये हैं। पन्द्रह आदमी पुलिस के दिन को ही जाकर बैठ गये। गांव ने तो कोई रिपोर्ट नहीं की कि फलां के यहां नुक्ता है पर पुलिस ने रिपोर्ट कर दी। वहां से एस. पी. के पास रिपोर्ट गई। पुलिस के आदमियों की वह रिपोर्ट थी।

अगर उन लोगों ने कुछ दे-दिवाकर उनको राजी कर दिया होता तब तो ठीक था; नहीं तो वे उनका सामान लारी में लेकर चले गये। लोगों का चालान कर दिया और तंग करना शुरू कर दिया।

[श्री ईश्वरी सिंह

दूसरा एक पलथाना गांव है। वहां तीन दिन पुलिस के २२ आदमी बैठे रहे। तो बात कितने शर्म की है कि अगर कोई ४००) दे दे तब तो नुक्ता कर लो नहीं तो पुलिस उन्हें हैरान करती है। देने वाले के लिये तो कोई रोक टोक नहीं। तो इस तरह से जो खर्चा करना चाहे उसको ज्यादा खर्चा करना पडता है। अगर सरकार को रोकना है तो पहले अपनी पुलिस को रोके।

मेरी राय यह है कि यह कानून कतई उठा दो। धर्म के बारे में किताबें बंटवा दो कि भाई नुक्ता में खर्च करना पाप है और पाप को भी कौन माने? यह चीज देखी अपने जमाने में कि एक लम्बी खाई खुदाई और उसमें दाल बाटी, खिचड़ी बनाई और नुक्ता हुआ। यह मेरे सुनने में आई बातें हैं। पीछे जमाना आया १५०-१५० मन खांड एक एक आदमी ने गाल ली और खिलाया तो पाप कतई नहीं है। जो कुछ अपने हाथ से खिलवा पिलवा लिया उसकी मर्जी है। दुनिया में जो खिलाता-पिलाता है यह पाप किस तरह से हो सकता है?

इस कानून के होने से पुलिस वाले तंग किये वगैर नहीं रह सकते। इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। सरकार अगर जनता की भलाई वाकई चाहती है तो यह कानून उठा दे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मैं पोइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं कि जो मैंने क्लोजर मूव किया है उस पर श्रीमान को पहले फैसला देना जरूरी है क्योंकि जब तक आप उस पर फैसला नहीं देते आगे कार्यवाही नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष—I disallow your closure, continue the debate.

श्री गोपीलाल यादव—I again move the closure.

श्री उपाध्यक्ष—I disallow.

श्री केसरीसिंह (बूंदी)—माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार द्वारा जो प्रतिबन्ध भोजों पर लगाया गया है उसका कारण यह था कि नाज की कमी के कारण खाना बरबाद न हो। मैं यह समझ नहीं पाया कि खाना बरबाद किस प्रकार होता है। जहां तीन सौ व्यक्तियों का खाना होता है और जो जीमने के लिये आते हैं उनके घर पर उनका खाना बच जाता है। यदि वे वहां जीमने नहीं भी जाते ह तो खाना तो वे घर पर भी खाते। इससे खाने की बचत तो होने वाली नहीं। होता क्या है कि पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और सारा खाना बरबाद कर देते हैं। मुकद्दमा चलाया जाता है। आखिर होता क्या है कि वह खाना जो पकड लेते हैं कुत्तों को डालना पड़ता है।

भोज पर प्रतिबन्ध न हो कर आदमियों के जीमने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। ५० या २५ आदमियों से ज्यादा को न खिलावें। बिना कन्ट्रोल का स मान हो तो उसको कितने ही आदमी खा सकते हैं। नोन-सीरियल चीजों का यदि जीमन हो तो ५०० आदमी भी खा सकते हैं, उनको कोई छीन नहीं सकता। इसका क्या कारण? उसमें भी भोज करने वाले का नुकसान होता है। सरकार तो

[श्री केसरीसिंह (बूंदी)]
फायदा करना चाहती है, किन्तु उसके विपरीत आदमियों को नुकसान होता है, उनको कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता है। मेरी समझ में यह समझदारी की बात नहीं है।

इतने सालों से यह कानून लागू है, किन्तु इसमें सरकार को कितनी कामयाबी हुई है ? मैं तो यह मानता हूं कि सरकार को इसमें बिल्कुल कामयाबी नहीं हुई है। जहां कहीं भी पुलिस गई इस काम को रोकने के लिये वहां की जनता ने पुलिस वालों को पीटा और मारा और जनता पुलिस के विरुद्ध हुई। ऐसा कानून लागू करने में मुझे तो कोई अक्लमन्दी की बात नजर नहीं आती। बेहतर यह है कि इस चीज को खुला कर दिया जाय। जो भोज या जीमन करना चाहें करे; ज्यादा प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है क्योंकि यह प्रतिबन्ध लागू होने पर भी रुकने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ में श्री शंभूसिंहजी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवदानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्री शंभूसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में सदन के सामने में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि कई सिद्धान्त तो अच्छे होते हैं किन्तु व्यवहार में वे ठीक नहीं जंचते। जैसे यदि किसी प्रकार की बीमारी हो और उसको धीरे धीरे दूर किया जाय तो वह दूर भी हो सकती है। इसलिये हमारे यहां यह भोज की प्रथा न रहे इसके लिए धीरे धीरे कदम उठाना चाहिये ताकि सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। यह जरूर हम महसूस करते हैं कि इस प्रकार के भोज में वैधानिक कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद भी, इस जरूरत को अनुभव करते हुए इस प्रकार के काम में हमें विश्वास करना चाहिये। हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मदद लेकर इस प्रकार की जो दर्दनाक चीजें हैं उनकी बुराइयों को रोकने के लिये थोडी इस चीज की बुराई को भी चलने देना चाहिये।

इसके अलावा भी यह चीजें जो देखने में आती हैं कि देहात के लोगों को आपस में मिलने का यही अवसर आता है और दूसरा कोई ऐसा अवसर नहीं आता है जिसमें वे एक दूसरे के नजदीक आ सकें। इन भोजों से उनमें आपस में प्रेम भावना की वृद्धि होती है।

हम इसको मानते हैं कि यह कानून जयपुर राज्य के वक्त से चला आ रहा है लेकिन यह रिवाज हमारे यहां कुछ दिनों से नहीं बल्कि सैंकडों वर्षों से चला आ रहा है। धर्म के लिये यह कार्य किया जाता है। धर्म का मतलब है "धारयति सो धर्मः"। लाखों लोगों ने जिसको धारण कर लिया वही धर्म है। वही धर्म बन चुका है भोज करना भी, एक प्रकार से धर्म माना गया है।

इसके अलावा इस चीज से ग्रामीणों को बडा लाभ होता है। वह लाभ यह है कि उस समय उनको जितनी सामाजिक कठिनाइयां होती हैं उन सामाजिक कठिनाइयों का वे हल करते हैं नहीं तो वे उचित समय तक हल नहीं हो पातीं। इसके अलावा उनको ऐसे अवसर पर रिक्रिएशन मिलता है क्योंकि इतने आदमी इकट्ठे होते हैं, उनका सम्मेलन होता है। इस प्रकार नाना प्रकार के अच्छे कार्य उस वक्त में वे कर लेते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस बात पर दुबारा सोचकर अपना निर्णय दे। इन शब्दों के साथ में श्री शंभूसिंहजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री घीसीसिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भोज पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिये जो प्रस्ताव हमारे सामने लाया गया वह न तो धार्मिक है और न वैधानिक ही है और न वह सांसारिक परम्परा से ही संबंध रखता है। यह तो भोजन-भट्टों की चलाई हुई प्रथा है। यह भोजन-भट्टों की प्रथा है जो उनके द्वारा चालू की गई है। उनको तो सिर्फ भोजन करना है, वे दूसरे किसी की परवाह नहीं करते हैं। यह भी कहा गया है कि यह प्रथा पंचों के द्वारा चलाई गई है। यह ठीक नहीं है। यह तो भोजन भट्टों की प्रथा है। अगर यह नाम कमाने की चीजें हैं तो उन आदमियों को चाहिये कि वे उनके नाम से कोई पाठशाला बनवा दें ताकि उनका नाम अमर हो सकता है। इसलिये भोज न तो नाम करने की ही चीज है, न धार्मिक चीज है। न इससे पुण्य होता है और न धर्म। यह तो एक प्रकार से बुरी प्रथा है। इस पर प्रतिबन्ध अवश्य होना चाहिये।

किसी सज्जन ने यह कहा कि इस प्रकार के जीमन में यदि ५०० आदमी भोजन करते हैं तो उनके यहां, पांच सौ आदमियों के यहां भोजन बच जाता है। ५०० के घर भोजन बचता तो है लेकिन बेचारे एक आदमी के यहां ५०० दिन का भोजन कर लिया तो उसका क्या हाल होगा, यह कभी किसी ने सोचा है? मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के प्रतिबन्ध को कतई न हटाया जाय। जो कानून में शिथिलता आ गई है जो भोज भट्टों की प्रथा को रिश्वतें लेकर या पंचों से मिलकर यह प्रथा कर देते हैं हैं उस पर सरकार को सतर्क होना चाहिये और इस विषय में कड़ी पाबन्दियां लगानी चाहिय ताकि न तो यह कार्य रिश्वतें लेकर हो सके और न यह कार्य पंचों से मिलकर कोई कर सके। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मोटाराम--अध्यक्ष महोदय, यह कुप्रथा है। जब अमीर आदमी भोज करते हैं और गरीब आदमी नहीं करते हैं तो उन सबको कहते हैं कि "थारो बडेरा तो हाल धूल में लोटरिया है" तो गरीबों की हालत सुधारने के लिये सरकार ने जो कानून की पाबन्दी लगाई है वह उचित है। इसलिये सरकार ने उनको ऊंचा उठाने के लिये कानून बनाया है वह उचित है। वह किसानों को फायदा पहुंचाने की चीज है। मारवाड़ में किसान आज मौसर के कारण बरबाद हो रहे हैं। होना तो यह चाहिये कि किसानों के पास यदि आज ठीक आमदनी हुई है तो वह उनके घरों में रहे और समय समय पर काम आती रहें। किन्तु होता इसके बिल्कुल विपरीत है। राजस्थान में आज मारवाड सबसे पहले नम्बर में किसानों की मौसर की वजह से बहुत खराब हालत में है। सरकार को यही प्रयत्न करना है कि इस मौसर के प्रतिबन्ध के लिये ऐसा कानून बनाए कि कोई भी मौसर नहीं कर सके। यह मौसर कराने वाले ज्यादा करके गांवों में मुखिया लोग होते हैं। उन पर सरकार का कडा प्रतिबन्ध होना चाहिये। गांव के जो मुखिया लोग होते हैं वे सारे धनी होते हैं। उनकी सबसे ज्यादा हरकतें मारवाड के किसानों को डुबाने के लिये हैं जो सरकार का यह कानून बहुत अच्छी चीज है। यह किसानों को फायदा और गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है। जो जो मालदार आदमी हैं वे इस बात का प्रस्ताव लाकर यह चाहते हैं कि गरीब आदमी उसी तरह गरीब बना रहे और गरीबों की उन्नति नहीं हो सके। इसी वजह से उनका यह ख्याल

Page No.66

[मोटाराम]

है कि यह कानून रद्द कर दिया जाय तो राजस्थान के जो गरीब आदमी हैं वे उन्नति नहीं कर सकेंगे। इस वास्ते अपने मतलब से यह प्रस्ताव रखा है। मैं चाहता हूं कि सरकार को उन पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाना चाहिये ताकि गरीब आदमियों को ऊंचा उठाने का रास्ता खुल जाय। सरकार को यह प्रयत्न करना है कि कोई भी गरीब आदमी नहीं रहे; बल्कि जोरदार कानून बनाना चाहिये, और पुलिस मौके पर जाती है और अगर यह मालूम हो जाय कि किसी मुन्शी ने या पुलिस के बडे अफसर ने ढिलाई की तो उस पर सख्त कार्यवाही करना चाहिये। मृत्यु भोज का सुबूत होने के बाद मृत्यु भोज नहीं होना चाहिये। यह किसानों के लिये बहुत ही लाभकारी चीज है और उनको बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली चीज है तथा गरीबों को ऊंचा उठाने वाली चीज है। इससे गरीब आदमियों को फायदा मिलता है।

श्री मोतीराम—अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्तों ने २-४ बातें ऐसी डालदीं और धर्म की आड़ ले ली इसलिये मुझे कहना पड़ता है कि थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिये मेरे साथियों को। रामावतार के अन्दर कई सेनाऐं मारी गईं, लेकिन रामायण में कहीं यह लिखा नहीं पाया है कि अगर मौसर किया जायगा तो वे स्वर्ग में जायेंगे, यह रामायण के अन्दर लिखा नहीं मिलता है। कृष्णावतार में कई सेनाऐं खतम हुई किन्तु महाभारत में कहीं ऐसा लिखा नहीं आया कि इन महारथियों का मौसर किया और वे स्वर्ग चले गये और जिनका नहीं किया वे नरक में चले गये। धर्म की आड़ लेना बिल्कुल गलत है। यह परम्पराएं डाली गई थीं। वे थोड़े से स्वार्थी लोगों द्वारा डाली गई थीं। किसी जमाने के अन्दर मनुष्य की उम्र १२० साल की होती थी। इन १२० साल के अन्दर उसके बेटे-पोते मिलाकर १०० आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। १०० आदमी होते थे और उनके पास गाएं होती थीं, गोचर भूमि होती थी, बिरखा होती थी, घी दूध की नदियां बहती थीं, इस देश के अन्दर १२० साल बाद वह मरता था तो मरने वाले के पीछे एक शुगल होता था जिसमें नातियां व कन्यायें परनाई जाती थीं, लडकियों का ब्याह करते थे। उसके मौसर के दिनों में शादियां करते थे तो वह एक किस्म का यज्ञ होता था। जिसमें लडकियों की शादियाँ की जाती थीं। नुक्ता खायें, यह कोई धर्म की चीज नहीं है। वह प्रथा इस वक्त क्या है। आदमी की उम्र २०-२५ साल की है। यह प्रथा इतनी बिगडी कि १५ साल की उम्र का लडका है उस को सीढी बनाकर ले गये तो उसका भी मौसर करना लाजमी हो गया। यह इतना कडा कानून बन गया था कि एक १५ साल की उम्र के लडके को भी जिसको सीढी पर चढाकर लेगये उसका भी मौसर करना पडेगा। यह कोई कानून या धर्म की चीज नहीं है। यह स्वार्थी लोगों के पंजे में पड़कर इस स्थिति तक पहुंच गई कि मजबूरन लोगों को यह करना पडता है; चाहे सब कुछ खो जाय। एक चमार को मैंने देखा है। वह मेरे पडौसी एक सेठ के यहां (२) रु. के अन्दर यानी १२) के सूद के अन्दर नौकर रहना पड़ा और सूद के अन्दर जीवन बिता दिया। यह प्रथा इतनी निकम्मी प्रथा है कि यह देश को गड्ढे में ले जाने वाली प्रथा है। ऐसा कानून बना दिया जाय कि यह एक दम बन्द हो जाय। अगर देश के अन्दर कोई हल्चर पड जाता है तो सरकार को समझाना चाहिये कि यह प्रथा अच्छी नहीं है यह किसी धर्म या शास्त्र के अन्दर नहीं है तथा यह किसी ढंग से ठीक नहीं बैठती है, किसी विचार के साथ ठीक नहीं बैठती है। उसके हटाने के लिये कडी कार्यवाही की जाय। उसको हमेशा हमारे बुजुर्ग हटाते आये हैं। जो जो प्रथायें निकम्मी पड़ीं उनको हटाते आये। इन निकम्मी प्रथाओं को हटाने

[श्री मोतीराम]
में हमारे अच्छे अच्छे आदमियों ने जो देश की समस्याओं को समझते थे कानून बनाये हैं। उस कानून की अवहेलना करने वाले को स्वतन्त्रता देना ठीक नहीं है। जिनको पुलिस जाकर पकड़ती है और सजा मिलती है तो वे लोग चिल्लाते हैं। यह उनकी अच्छाई नहीं है, लायकी की बात नहीं है कि देश में निकम्मी चीज को पैदा करने के लिये इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। अच्छे कानून जो बने हैं यदि देश को ऊंचा उठाने के लिये हैं तो वे लोग इस देश को नीचा गिराने के लिये सोचते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है कि वे ऐसे निकम्मे प्रस्ताव रखते हैं। कृपया वे इनको वापिस ले लें।

श्री जगतसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं राव साहब ज्ञानगढ़ के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हम जहां से आये हैं वहां के लोगों की आवाज आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज हो जाता है। मिनिस्टर महोदय मेरे साथ चलें तो उनको मालूम होगा कि हरेक गांव का व्यक्ति इस कानून का विरोध करता है। वे कहते हैं कि इस कानून को जल्दी से जल्दी हटा दिया जाय। हमारे यहां से १३ तहसीलों के व्यक्ति मिनिस्टर साहब से इस कार्य के लिये मिलने के लिये आये और मिनिस्टर साहब से अर्ज किया तो उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं और इसके लिए छूट दिलादी जायगी। मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां ता. २२-२-५३ के दिन रादमी में श्रीमान सुखाडियाजी साहब ने पब्लिक मीटिंग में एलान किया है कि हमने भारत सरकार को लिख दिया है और यह पाबन्दी उठ गई है और आप लोग किरयावर या जीमन खुशी से कर सकेंगे। इसलिये उपाध्यक्षजी, राजस्थान सरकार लोगों को प्रसन्न करने के लिये है। यदि लोगों को प्रसन्न किया जाय तो अधिकतर वे कानून हों जो लोगों को पसन्द हों। उन लोगों को सुधारने के नाम पर लोगों के साथ जो यह चीज लागू करेंगे, और किरयावर मृत्युभोज आदि सब चीजें बन्द करेंगे तो यह फायदे की बात नहीं होगी। अगर आप लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस कानून की पाबन्दी नहीं करायें। क्योंकि जो एक दिन में किरयावर नहीं करते हैं वह एक साल के अन्दर पूरा करते हैं। वह ४-५ या १० आदमियों को मिलाकर पूरा करते हैं तो फिर किरयावर की क्या पाबन्दी हुई? आपके कानून की क्या पाबन्दी हुई? क्षमा करिये मैं यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रकार की राजस्थान सरकार की नीति राजस्थान सरकार के लिये भारी होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं मंत्रीजी का भी ऐसा ख्याल है और वे सेन्टर से इस बारे में लिखापढ़ी कर रहे हैं और इस आर्डर को उठाना चाहते हैं। यदि कोई आदमी क्रिया-धर्म के समय या विवाह के समय में किसी को जिमाना चाहता है तो यह जुर्म नहीं है। उसका यह स्वतन्त्र अधिकार है, और अधिकारों का उपयोग करना उसका फर्ज है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस आर्डर को उठालें और इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास करें। मुमकिन है उधर के लोग व्हिप (whip) के कारण नहीं बोलें लेकिन मैं आशा करता हूं कि उदयपुर डिविजन से आनेवाले कांग्रेसी भाई भी इसका जरूर समर्थन करेंगे।.....

श्री रोशनलाल—नहीं साहब, नहीं।

श्री जगतसिंह—क्योंकि लोगों को राजी करने के लिये इलेक्शन के समय उन्होंने लोगों को कहा था कि वहां जाने के बाद इस आर्डिनेन्स के खिलाफ आप ही आवाज बुलन्द करेंगे और इस सरकार

[श्री जगतसिंह]

को हटवा लेंगे। इस बारे में पुलिस की बहुत ज्यादती है। पुलिस हजारों की तादाद में लोगों को तंग करती है और उनसे हजारों रुपये लेकर उनके साथ अन्याय करती है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो बातें आपकी समझ में हैं उनको समझते हुए आप उनका विरोध नहीं करते और सुधारवाद का नाम लेते हैं यह अच्छी चीज नहीं है। ग्रामीण लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ न्याय करें। इसलिये मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि बड़े आदमियों के लिये कानून बनाकर छोटे आदमियों को उसमें फांसना न्याय संगत नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह—On a point of order, Sir, the time is short and the closure has already been moved.

श्री धर्मपाल—मैं इस मोशन पर कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की राय क्या है? क्या इस बहस को जारी रखा जाय या बन्द किया जाय?

श्री गोपीलाल यादव—The question may now be put.

श्री उपाध्यक्ष—I want to know the sense of the House.

श्री धर्मपाल—उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि कई लोग .....

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, हाउस की सेन्स जानने के लिये न तो कोई डिविजन किया गया और न कोई बात पूछी गई। बहुत से लोग चाहते हैं कि इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्योंकि इस पर बहस काफी हो गई है और शायद वे ही दलीलें वापिस देने का नम्बर आ रहा है। यदि इसी पर बोला जायगा तो दूसरे लोगों के प्रस्ताव रह जायेंगे। इसलिये जो क्लोजर मोशन के पक्ष में हों वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें। यानी जो डिबेट बन्द करना चाहते हैं वे हां कहें और जो डिबेट चालू रखना चाहते हैं वे 'ना' कहें।

(मतदान के पश्चात्)

हाउस की सेन्स यह है कि क्लोजर नहीं होना चाहिये, डिबेट जारी रहना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव—डिबेट जारी रह गई है इसलिये मैं अपना भाषण देना चाहता हूं?

श्री धर्मपाल—पहले मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ था, इसलिये मुझे बोलने की इजाजत मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—बोलिये।

श्री धर्मपाल--उपाध्यक्ष महोदय, जिस समाज में ऐसी दुर्बलता आ जाती है कि उसमें कुछ वर्ग के लोग इस ताक में रहते हैं कि किसी की मृत्यु हो और उसका माल खाने को मिले उस समाज के पतन का क्या ठिकाना है ? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताक में रहते हैं कि कोई अच्छा धनवान मरे और उनको अच्छा माल खाने को मिले। हमारे बीकानेर में बाराधाडी मशहूर है। यह ऐसी भयंकर प्रथा है जो तबाह कर देती है। बडों को देख कर छोटों को भी यह काम करना पड़ता है। हाल ही का जोधपुर का एक किस्सा है कि बडेरों का जो धन-संचय किया हुआ था वह एक दिन के मृतक भोज में समाप्त होगया। आप इस खर्चे का अन्दाजा लगा सकते हैं जिसमें १०० पीपा घी एक ही दिन के जीमण में खर्च कर दिया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कैसी भयंकर प्रथा है। दूसरी भयंकर चीज इसमें यह है कि जिसके पास पैसा है केवल वही इस तरह का खर्च नहीं करता है बल्कि दूसरे लोगों के बहकाने से कर्जा लेकर भी जीमण किया जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि ताजिन्दगी कर्जदार उसे बना रहना पड़ता है और जो कमाई आती है वह सूद में ही पूरी हो जाती है। कई विधवायें ऐसी होती हैं जिनके पीछे कोई कमानेवाला नहीं होता और उनके पति की जो कमाई संचय की हुई होती है वह क्रिया-कांड में खर्च कर दी जाती है और पीछे जन्म भर वे विधवायें रोटी के मोहताज बनी फिरती हैं। इसलिये ऐसी प्रथा का नाश ही करना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका दो शब्दों में विरोध करने के लिये खडा हुआ हूं। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। पर इसका धार्मिक मामलों से संबंध नहीं है। यह प्योरली इकोनोमिक (पूर्णतः आर्थिक) मामला है। हमारे यहां के लोग मूर्ख हैं वे अपने धन को यों ही फिजूल कार्यों में खर्च कर देते हैं। गवर्नमेंट वही कर रही है जो एक समझदार हैड आफ फेमिली (परिवार का मुखिया) करता है। यह जो २५ मनुष्यों का प्रतिबन्ध है वह संख्या भी ज्यादा है। क्रिया-कार्य के मामले में तो एक भी आदमी को जिमाने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। इसे तो बिल्कुल ही बन्द कर देना चाहिये। अलबत्ता शादियों के मौके पर २५ आदमियों को एक दिन के लिये खाने को इजाजत दी जाय तो कोई हर्ज नहीं। इसमें जो पुलिस के बारे में शिकायत है वह विचार करने लायक है। इस ओफेन्स को बेलेबल ओफेन्स (जमानत योग्य अपराध) बना दिया जाय तो अच्छा हो। नोन बेलेबल ओफेन्स होने के कारण ही पुलिस मौके पर पहुंच कर लोगों को तंग करके रिश्वत ले सकती है। आशा है मंत्रीजी इस बारे में सोचेंगे।

यह बाद की सोचने की बात है कि सुधारकों द्वारा सुधार किया जाय। इस वक्त मैं मेरे मित्र से यही चाहता हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापिस लेलें, वरना हाउस इसे ना पास कर देगा।

श्री जवानसिंह--माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्री शंभूसिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

सभी अपने सामाजिक सुधार के लिये बराबर कहते आये हैं। अगर हमें समाज का सुधार करना है तो वह जनता के प्रतिनिधियों एवं समाज-सुधारकों के द्वारा ही कराना चाहिये। जहां तक संभव हो

[श्री जेठानसिंह]
सरकार समाज-सुधार के लिये कोई कानून न बनाये तो बहतर होगा। ऐसे कानूनों के बजाय समाज-सुधारक ही इन सुधारों के लिये अग्रसर हों और इस कार्य को अपने हाथ में लेलें तो मेरा ख्याल है कि भी सफलता मिल सकती है।

अगर समाज के प्रतिनिधियों द्वारा समाज सुधार के ख्याल पर गौर किया जाता है और इस प्रस्ताव पर भी साथ साथ गौर करते हैं तो हमें कुछ ऐसा ख्याल आता है कि ऐसे कुछ ही मौके आते हैं जहां अपने भाई और बन्धु एवं दूसरे अपनी जाति वाले एक साथ एक जगह उपस्थित, हुआ करते हैं।

मैं किसी धर्म के मामले से या और किसी कारण से इस प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह चीज जो हमारे सामने हो रही है इसके गुण और दोषों को देखने के बाद में हमें किसी निश्चय पर पहुंचना है, बाद में निर्णय करना है।

हम लोग यह नहीं देखते कि एक पुराने समय से एक पुरानी परम्परा चली आ रही है और चलती जा रही है। तो हमें अवश्य सोचना चाहिये कि इसमें भी कोई न कोई गुण अवश्य होना चाहिये जिससे समाज ने इसे अख्तयार किया और इसे आज भी चला रही है ; बावजूद कानूनी प्रतिबन्ध के अब भी इसे चला रही है।

मेरे कुछ भाइयों ने जो चाहे समाजवाद या आर्यसमाज के हों, उन्होंने इसे धर्म के विरूद्ध बताया है। मेरा नम्र निवेदन है कि आर्यसमाज तो अपने धर्म के आधार पर ही इसे धर्म विरूद्ध बताता है, यह तो दलील बैठी नहीं।

इसमें गुण भी देखें तो मौजूद हैं। इसमें जो जबर्दस्त गुण मैंने खुद पाया है वह यह है कि जब शादी विवाह होता है तो उस मौके पर, हमारे समाज में कुप्रथायें बढ़ रही हैं उन कुप्रथाओं को देखने के लिये उन पर विचार विनिमय करने के लिये एक जगह बैठ कर सोच सकते हैं। ऐसे मौके जब हमारी जिंदगी में हमारे सामने आते हैं तो हम एक जगह एक साथ बैठ कर विचार-विनिमय करते हैं कि ऐसी कौनसी प्रथायें हमारे समाज में आ घुसी हैं जिनको निकालना है। ऐसे मौके एक तरह से जाति के कोड से बन जाते हैं जहां बहुत से मुकद्दमें, जाति के कम्युनिटी के जो स्ट्राइफ्स (Strifes) होते हैं, वह निबटाये जाते हैं।

मैं उन विरोध करने वाले भाइयों से यह प्रश्न पूछता हूं कि यदि ऐसे मौकों को बिल्कुल हटा देना चाहते हैं तो कौनसा मौका आप समाज के सामने रखना चाहते हैं कि जहां सभी जाति-भाई, जाति बंधु वाले मिलकर, एक साथ बैठ कर अपने उत्थान की बातें सोच सकें। ऐसी हालत में जब कि आप ऐसे मौके समाज में बनाने के लिये तैयार नहीं हैं और न ऐसे मौके आप बना रहे हैं तो क्या मैं आपसे यह अनुचित अनुरोध तो नहीं करता कि जो मौजूदा तरीके हैं उनको तो रहने दीजियें। हां, साथ ही साथ यह भी कहता हूं कि जो उनमें खराबियां हों, बुरी चीजें हों उनको आप छोड़ दीजिए और ऐसे मौकों को ऐसे उपयोग के लिये आप रखिये कि समाज के प्रतिनिधि, समाज के सुधारक बिना किसी कानन की सहायता के जाति व समाज का उत्थान कर सकें।

श्री रूपनारायण शास्त्री--अनेक वक्ताओं ने इस संबंध में कई दृष्टिकोण रखे और अपने अपने विचार रखे, इस प्रथा के गुण और दोषों के बारे में तथा इससे लाभ है या नहीं इस संबंध में बहुत से वक्ताओं ने विभिन्न विचार रखे हैं। मैं भी अपना दृष्टिकोण रखने के लिये आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं।

किसी वक्ता ने यह बताया कि यह भोजन भट्टों की प्रथा है। वे कितने बुद्धिमान हैं यह तो उनके कथन से ही प्रकट होता है। भोजन भट्ट किसी प्रथा को जन्म दें और करोडों भारतवासी उन भोजन-भट्टों का कहना मान कर हजारों-लाखों आदमियों को खाना खिलायें, यह बात कहां तक मानने में आ सकती है। तो इस तरह भोजन-भट्टों की चलाई हुई यह प्रथा है, यह बात मान्य नहीं।

एक मित्र ने यह कहा कि धर्मशास्त्रों को उन्होंने देखा है उनमें कहीं भी शादी में और मृतक के पीछे आदमियों को भोजन कराने का उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी कि "भष्मान्तं शरीरम"। शरीर तभी तक है जब तक कि उसकी राख नहीं हो जाती है, उसकी राख हो जाने के बाद संस्कारादि कराना व्यर्थ है।

आप यह नहीं समझें कि मैं लड्डुओं के पक्ष में हूं, परन्तु जो शास्त्र के ज्ञान की दुहाई देकर इस विषय को सिद्ध करना चाहते हैं और कहते हैं कि एक आदमी को भी जिमाना पाप है, इस संबंध में मैं अपने विचार रखता हूं।

हमारे धर्म-शास्त्रों में १६ संस्कार बताये गये हैं। वे संस्कार गर्भाधान से लेकर मरने के बाद और १२ महीने बाद तक होते हैं। उन संस्कारों को षोडश संस्कार कहते हैं। जिन मित्र ने धर्म शास्त्रों की दुहाई दी है, मैं तो कहता हूं शायद वे इन सोलह संस्कारों के नाम भी नहीं बता सकते। अगर वे बता सकते हों तो बतावें कि 'सीमन्त' संस्कार किसे कहते हैं और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं? कुछ पता तो है नहीं, कुछ जानते-बूझते तो हैं नहीं, केवल लम्बी वक्तता दे देना, अन्ड-बन्ड बोल देना कहां तक ठीक है?

अगर इस आशय में लेते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि धार्मिकता क्या चीज है? उसके संबंध में मैं मानता हूं कि धर्म की जो व्याख्या, जो परिभाषा दी है वह यह है "'निज कर्म करना यही धर्म है"। अपने यहां अलग अलग आचार्य और महाऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने त्याग से महान् शक्तियों को प्राप्त किया। उन महाऋषियों द्वारा जो कर्तव्य हमें बतलाये गये हैं वे कर्म हैं।

अब हमें यह देखना है कि धर्म के रूप में चीज यह आती है या नहीं। यह हो सकता है कि धर्म में सबसे पहले यह बात उठाई गई है कि मरने के बाद तुम पिता का अंतिम संस्कार करो और कम से कम इतने आदमियों को जिमाओ जितनों को तुम जिमा सको। एक एक कौम में एक एक आदमी होना चाहिये। हमारे यहां यह बताया गया है कि एक एक आदमी को जिमाना भी पर्याप्त है। एक जगह यह लिखा है कि यदि पुत्र को अपना कर्तव्य पालन करना है तो यथाशक्ति लोगों को जिमावे। धर्म तो यही कहता है कि जितनी जिस व्यक्ति की शक्ति हो उतने ही आदमियों को जिमावे। गरीब आदमी हों तो कम लोगों को जिमावे और धनवान हो तो ज्यादा से ज्यादा आदमियों को जिमावे। यह तो धर्म में कहीं

Page No.72

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

पर बन्धन नहीं होता कि इतने आदमियों को जिमाना चाहिये। अगर मुझे कोई ऐसा प्रमाण बतला दें तो मैं उसका चेला बन सकता हूं। जब धर्म में शक्ति के अनुसार कहा गया है तो शक्ति के बाहर किसी को काम नहीं करना चाहिये। मैं यह कह सकता हूं और जो लोग यह कहते हैं कि इतने आदमियों को जिमाना पड़ेगा, यह बात गलत है। हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति छोटी उम्र में मर जाता है तो उसके पीछे जिमाते हैं तो कोई आदमी शर्म के मारे खाने के लिये नहीं जाते और कभी नहीं जीमते (घंटी)

मुझे थोड़ा समय और दिया जाय।

श्री भैंरूसिंह (जमुआ रामगढ़)--यह तो लड्डू का सवाल है।

श्री रूपनारायण शास्त्री--आपके दिनों में तो लड्डू होते थे इसलिये आपको लड्डू ही नजर आते हैं।

अपनी शक्ति के अनुसार काम कराना बुरा नहीं है। मगर सरकार का प्रतिबन्ध इस पर नहीं होना चाहिये। हमारे यहां जब शक्कर पर कन्ट्रोल था उस समय तीन रुपया सेर चीनी काले बाजार से मिलती थी। मगर जब कन्ट्रोल उठाया तो क्या हुआ कि १३ आने में बढ़िया शक्कर बाजार में मिल सकती है। इसी तरह अनाज की बात हुई। पहले एक सेर एक आना का खरीदा था मगर जब कन्ट्रोल रिलेक्स हुआ तो २॥ सेर और तीन सेर का मिलने लग गया है। कन्ट्रोल के हटने से कितना परिवर्तन हुआ है। प्रतिबन्ध लगाने से कठोरता बढ़ती जाती है इसलिये प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये। अभी जो कन्ट्रोल है वह गरीब पर है और शक्तिवान के साथ वह भी समाप्त हो जाता है। यह चीज जरूरी बुरी है। कोई कानून लागू हो तो सब के साथ बराबर लागू होना चाहिये। जो सम्पदा की भावना मृतक भोज में होती है उतनी ही दूसरी बातों में भी हो सकती है। हमारा तो उद्देश्य होना चाहिये कि मानव मात्र को उपदेश किया जावे कि शक्ति के अनुसार भोज करे और पुरानी परम्पराओं को मानोगे तो कल्याण होगा। पहले कांग्रेस सरकार की पार्टी बाजी थी और लोग किसानों से यह कहते थे कि राजपूतों को हासल मत दो। (घंटी) किसानों के पास पैसे बचे और दो पैसे नुक्तों में लगाये क्योंकि वे मुफ्त में आये हुए थे। इसलिये उन्होंने भोज आदि करने शुरू किये और सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया। अब यह कहा जाता है कि अनाज की कमी है सो इस पर कानून लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि बड़े दुःख का विषय है कि जिस भारतवर्ष में दूध-घी की नदियें बहा करती थी और जिस समय सिकन्दर अपने देश में वापिस जाता है तो वहां के लोग सिकन्दर से पूछते हैं कि भारत कैसा देश है तो वह कहता है, "क्या बताऊं भारतवर्ष वह देश है जिसका वर्णन नहीं कर सकता, यहां पर जिस घर में जाकर पानी मांगता था तो लोग यह कहते कि तुम हमारे अतिथि हो पहले भोजन करो। इसलिये जल पीने से पहले भोजन कराते हैं वहां। मैं भोजन कहां तक करता, प्रत्येक घर में भोजन नहीं कर सकता। तो लोग कहते कि आप कम से कम दूध तो पीजिए और इस कारण मैं जल नहीं पी सका।" इतना अतिथि सत्कार हमारे भारतवर्ष में होता था। आज हमारे यहां ......

(घंटी)

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

आज कोई महाशय आ जावें तो हम उसको धक्के देकर निकाल देते हैं और धक्के देना क्या अतिथि-सत्कार होगा ? इसलिये मैं यह कहूंगा कि ऐसी प्रथा बुरी है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रतिबन्ध का कानून नहीं बनना चाहिये । इतना कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की खाद्य स्थिति इस समय कुछ सुधरी है । रबी की फसल भी कुछ अच्छी हुई है । इससे,सारे राजस्थान में कन्ट्रोल के भाव से सस्ता और अच्छा अनाज मिलता है । खाद्य स्थिति की कुछ असुविधाओं का ध्यान रखा है और राजस्थान सरकार ने इस विषय में काफी समय पहले उचित कार्यवाही चालू की है । इसकी चर्चा समय समय पर होती भी रही है और उस निर्णय से सदन को यथा समय अवगत कराया जावेगा । यह तो राजस्थान सरकार ने आज तक जो विचार किया और कार्यवाही की है वह मैंने आप लोगों को बतलाई है ।

अभी बहुत से माननीय मित्रों द्वारा भाषण दिये गए । किसी ने मृत्यु भोज को बेजा बताया और किसी ने धार्मिक रूप से ठीक बताया । कई मित्रों ने जो फिजूल खर्चा होता है उसको बताने की कोशिश की । यदि इन बातों को देखा जाय तो कोई नई बात नहीं कही गई है । यह कहा गया कि मृत्यु भोज का जो खर्चा है उस संबंध में यदि कोई सभ्य संसार सुनेगा तो हमारी हंसी करेगा । अभी अभी मेरे एक विद्वान मित्र ने न मालूम क्या क्या बातें कहीं । धर्म के संबंध में अपना ज्ञान बताया और उन्होंने १६ संस्कार बताए ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—ओन ए पोइन्ट ऑफ ओर्डर सर, क्या माननीय मंत्री महोदय समझ नहीं सके हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—मैं खूब समझता हूं । आपकी कृपा से मैंने संस्कृत पढी है और इन विषयों को जानता भी हूं । आपने सपिंड शास्त्र में शरीर छोड़ने पर १२ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये, इस विषय पर कहा था । मैं आपको अब बताऊं कि सरकार इसको जानती है और सरकार इस विषय में पहले ही एक्शन ले चुकी है । आपने जो बातें कहीं उनका सारांश यही हुआ कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया ।"

दूसरी बात आपने बताई कि कहीं किसानों को इकट्ठा कर लिया और सरकार ने केम्युनिटी बेसिस पर इजाजत दे दी । मैं आपको बताऊं कि सरकार इजाजत देती रही है किन्तु समाज-सुधार के कार्य करने पर किसी को रोका कहीं नहीं है । समाज के सामने चाहे इधर का हो चाहे उधर का व्यक्ति हो सच्ची बातें नहीं रखी जातीं । लोग चाहते हैं कि मृत्यु-भोज होना चाहिये तो वे उनकी हां में हां मिला देते हैं ।

मैं आपको विश्वास पूर्वक यह कह सकता हूं कि दोनों तरफ के व्यक्तियों ने मुझे यह कहा है कि चूंकि लोग मानते नहीं हैं इसलिये कुछ न कुछ कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि इस विषय में आप

[श्री भोगीलाल पंड्या]
सबकी कमजोरी है और मेरी भी कमजोरी है। व्यक्तिगत हित के लिये आप फिजूल खर्चों को सहयोग दे रहे हैं।

जहां तक खाद्यान्न का संबंध है मैंने आपको सरकार की नीति को साफ तौर पर बता दिया है। किन्तु धर्म के नाम पर और व्यवहार के नाम पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं। कुछ सज्जनों ने यह भी बातें रखी हैं कि कांग्रेस वालों को खाने में हिस्सा होता है। मैं आपको विश्वास दिला कर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों ने सबसे पहले कहा कि लोग नहीं मानते हैं इसलिये सुधार करना पडेगा। उन्होंने अपनी कमजोरी बताई है और चाहा है कि इसमें सुधार किया जाय। विपक्ष के लोगों ने भी मुझे कहा है। अतः मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि इस बारे में सरकार द्वारा जो भी निर्णय हो जायगा वह आपको सुना दिया जावेगा। खाद्य स्थिति के बारे में तो आपको मैं कह ही चुका हूं कि खाद्य स्थिति सुधर रही है।

श्री **उपाध्यक्ष** --(श्री शंभूसिंह को संबोधित करते हुए) Do you want to reply ?

(श्री शंभूसिंह द्वारा खडे होने पर)

Yes, You can.

श्री **शम्भुसिंह**--माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि हमारे राजस्थान में खाद्य स्थिति में सुधार हो रहा है और खाद्य वस्तुओं का प्राचुर्य है। इससे मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी भी कुछ मित्रों के लिहाज से और इकोनोमी के लिहाज से मृत्युभोज पर प्रतिबन्ध नहीं रखना चाहते। लेकिन दबे हुए शब्दों में आपने फरमाया और स्पष्ट रूप से उस पाबन्दी को हटाने व न हटाने के बारे में नहीं फरमाया। आपके सामने क्या मजबूरियां हैं उनको स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये था। आपने फरमाया कि अगर प्रतिबन्ध को उठा लिया जाय तो सभ्य संसार के सामने जरूर बदनामी होगी। मैं ऐसा नहीं समझता। यह स्वराज्य का युग है, डेमोक्रेसी का युग है, प्रत्येक व्यक्ति को फ्री विल एक्सरसाइज करने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं पर रोडे अटकाने का किसी तरह अधिकार नहीं है। दूसरे सभ्य देशों के विपरीत भारतवर्ष में यहां के नागरिकों को फ्री विल एक्सरसाइज करने का अधिकार नहीं है।

इसके अलावा खाद्य स्थिति और १२ ब्राह्मण का उदाहरण आपने फरमाया। हमारे शास्त्रीजी महाराज ने कहा कि संख्या निर्धारित नहीं है। १२ ब्राह्मणों का कहां से हवाला दे दिया गया, मेरी समझ में नहीं आया। धार्मिक दृष्टि से तो मैं यह समझता हूं कि क्रिया १२ दिन के अन्दर हो। ऐसी बात नहीं है, उत्तम षोडषी होने के बराबर होता रहता है। एक विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि शरीर की क्रिया होने के बाद कोई क्रिया बाकी नहीं रह जाती है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने किस आधार पर फरमाया? प्रतिपक्ष में तो फिर नियमित रूप से शुद्ध क्रिया करने का शास्त्रों में विधान है। शरीर के साथ ही क्रिया करने की बात आपने खास बतायी। परन्तु धार्मिक दृष्टि

[श्री शम्भुसिंह]

से तो मृत्यु के पश्चात पिंडदान, श्राद्ध, ब्रह्मभोज इत्यादि करने का शास्त्रों में विधान है। धार्मिक दृष्टि के अतिरिक्त आप इसको आर्थिक और प्रजातन्त्र की भावना से भी देखिए। जब आर्थिक दृष्टि से देखते हैं और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि खाद्यान्न की स्थिति सुधर रही है तो ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि शहरों के लोग तो नुक्ता करें और उसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हों किन्तु हम गांव के लोगों को क्यों रोका जाय और ऐसे मौकों पर सौभाग्य से विचार विनिमय करने का अवसर मिलता है उससे हमें वंचित रखा जाये ? इस प्रकार के अवसरों पर सामाजिक समस्यायें हल की जाती हैं। समस्याएं हल की जाती हैं और कई अन्य प्रकार की समस्याएं हल की जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस काम में शिथिलता दिखला रही है। आज भी पुलिस पहुंचती है, माल को जब्त कर लिया जाता है और भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार को देखते हुए हमारा चरित्र गिर रहा है। सरकार की शान को रखने के लिये इस प्रकार के इम्प्रेक्टिकेबल ओर्डर्स क्यों नहीं हटा दिए जाते ? क्या सरकार यह चाहती है कि सरकार की आज्ञाओं की अवहेलना होती रहे। मैं समझता हूं कि इससे जनता का कोई हित नहीं होने वाला है। इस प्रकार के प्रतिबन्ध को हटा दिया जाना चाहिये और मैंने जो यह रिजोल्युशन पेश किया है उसको मंजूर कर लिया जाना चाहिये। अन्त में मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय सहृदयता से विचार करेंगे और उदारता पूर्वक इस प्रतिबन्ध को हटा देने का कष्ट करेंगे।

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)—जहां तक सरकार की ओर से की जाने वाली कार्यवाही का ताल्लुक है वह इस प्रस्ताव के आने से काफी समय पहले ही हो रही है और उस पर मैं प्रकाश डाल चुका हूं। माननीय मित्र ने और बातें बताईं; जैसे पिन्ड इत्यादि के विषय में माननीय शास्त्रीजी ने जो कुछ बताया उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है और उसके लिये शास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं दिया। मैंने उसका भी जवाब दे दिया था। माननीय मित्र ने सिर्फ उसको तोडने मरोडने की कोशिश की है। दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि आप भोज कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। मैं समझता हूं कि किसी भी मेरे मित्र ने ऐसा नहीं कहा है। तीसरी बात आपने कही कि सरकार डरती है। मैं आपसे कहूंगा कि इसमें डरने का कोई सवाल ही नहीं है। विधिवत् जो कार्यवाही करनी है वह सरकार कर रही है।

गवर्नमेंट की पोलिसी बता चुका था। मृत्यु भोज की चर्चा चल चुकी थी। इसके लिये कहूंगा तो दुनिया में आपकी बदनामी होगी। यह अलग विषय था जिस पर चर्चा चली थी।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे अगर एक आदमी ५०० आदमियों को खाना खिलाता है तो इससे तो उन ५०० आदमियों का खाना बच जाता है तो फिर कैसे यह अनाज का नाश कहलाता है ?

श्री भोगीलाल पंडया (खाद्यमंत्री)—भोज में प्राय: बहुत फिजूल खर्ची होती है, खाना बचा रहता है, जूठ में चला जाता है और इस तरह बहुत सारा अनाज खराब होता है । इसके साथ यह भी है कि एक ही आदमी के यहां खाने वाले ५०० आदमी खा जाते हैं ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ) —"कन्ट्रोल" का अर्थ यह है कि गल्ले की बचत की जावे । मंत्री महोदय के कहने से यह साफ है कि नाज की बचत का कोई सवाल नहीं है ।

श्री भोगीलाल पंडया (खाद्य मन्त्री)—मैं बता चुका हूं कि जूठन में ज्यादा जाता है । इस से नाज ही तो ज्यादा खराब होता है ।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ)—ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर, यह बताया गया है कि माननीय मंत्री महोदय ने एक जगह किसानों में भाषण दिया था कि कन्ट्रोल हटा दिया जावेगा ।

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)—मैं पहले बता चुका हूं कि यह झूठ है और बिल्कुल झूठ है ।

श्री छीतर लाल—यह बिल्कुल सही है । इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य इस आश्वासन पर इसे विथड्रा करने को तैयार हैं ?

श्री शंभूसिंह—माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में पुलिस द्वारा ढाये गये जाने वाले जुल्म नहीं ढाये जावेंगे । इस वास्ते मंत्रीजी के इस आश्वासन पर जरूर इसे विथड्रा (withdraw) करने के विषय में सोच सकता हूं और अगर ये जुल्म बन्द नहीं होते हैं तो फिर इस सदन में और तरह से भी हाजिर हो सकते हैं । इस आश्वासन पर इस प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Shambhu Singh to withdraw his resulution.

(आज्ञा प्रदान हुई)

Yes, you can

श्री शंभूसिंह—सदन की आज्ञा से मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं ।

राजस्थान विशेष सिंचाई भार विधेयक, १९५३

श्री उपाध्यक्ष—सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की सूची है वह पहिले अनाउन्स (घोषित) कर रहा । वह सूची राजस्थान लेंड्स स्पेशल इरिगेशन चार्जेज बिल, १९५३, के संबंध में है:—

(१) मिनिस्टर-इन-चार्ज (२) श्री गुरूदयाल सिंह
(३) श्री रामचन्द्र चौधरी (४) श्री श्यामलाल
(५) श्री कंवरलाल जेलिया (६) श्री सोहनलाल,

Page No.77

[श्री उपाध्यक्ष]

(७) श्री नाथूराम मिर्धा (८) डाक्टर मंगलसिंह
(९) श्री रामजीलाल यादव (१०) श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
(११) श्री भानुप्रतापसिंह (१२) श्री अबनीकुमार मुकर्जी
(१३) श्री भैंरूसिंह केलवा (१४) श्री कानसिंह
(१५) श्री तेजराजसिंह (१६) श्री सज्जनसिंह
(१७) श्री माधोसिंह आफ भेंसवाडा एंड (१८) श्री लालसिंह शक्तावत ।

हाउस की कार्यवाही कल सवा आठ बजे प्रातः काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(सदन की कार्यवाही १२.४५ मध्यान्हकाल तारीख २८-४-५३ के ८.१५ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, २७ अप्रेल, १९५३ ।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि संबंधित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की संबंधित मंत्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न संख्या १०१७

श्री धर्मचन्द—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सपोटरा थाने की नवीन बिल्डिंग पर छत और दरवाजे कब लगाये जावेंगे ?

उत्तर—

इस कार्य को नई मांगों की सूची में शामिल कर लिया है जो राजस्थान सरकार के विचाराधीन है। धन की स्वीकृति पर यह काम किया जा सकेगा।

प्रश्न संख्या १०३५

श्री छतरसिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सोजत तहसील के पुलिस थानों में अभी कितने ऐसे सब-इन्सपेक्टर हैं जो रियासतों के वक्त में डिग्रेड किये गये थे और राजस्थान होने के बाद उनको वापस सब-इन्सपेक्टर बना दिया गया है ?

(२) उनके नाम क्या हैं और वे किन २ थानों में हैं ?

(३) सरकार इन लोगों का अब शुद्ध आचरण बनाये रखने के संबंध में ध्यान रखती है या नहीं ?

उत्तर—

(१) जी, एक भी नहीं ।

(२) उत्पन्न नहीं होता ।

(३) सरकार अपने सब कर्मचारियों का शुद्ध आचरण रखने का ध्यान रखती है ।

परिशिष्ट २

(वे अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गए)

श्री एच. के. व्यास (हि नं०१६०)--- Will the Minister for Home be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that fixation for new pay scales is being done in the Police Department ?

(*b*) It is a fact that fixation has meant a considerable reduction in the actual real emoluments of Sipahi, constables, head-constables and even S. Is ?

(*c*) Is it a fact that various allowances *viz.*, camel allowance, horse allowance, city allowance etc., have been discontinued under the new arrangements ?

(*d*) How many employees of the Police Department have been affected adversely by this kind of fixation ?

(*e*) Is it a fact that the fixation is being implemented with a retrospective effect from 1-4-50 ?

(*f*) Is it a fact that the excess over the present total emoluments drawn by the employees during these three years are being recovered from them ?

(*g*) Is the Government aware that this recovery is beyond the capacity of the poor employees to pay, as it amounts to hundereds from each employee ?

(*h*) Is it a fact that in 1950, the Police Staff was asked to opt between the old pay and allowances and the new pay and D.A. ?

(*i*) Is it a fact that in fixing the staff, that option is being ignored and all the employees are being fixed in the new pay scales ?

(*j*) Is it a fact that recovery of even those allowances is being made which were paid for the use of State purposes ?

(*k*) When the conveyance allowances are being stopped, what has the Government done for alternative arrangements for the conveyance ?

(*l*) What does the Government propose to relieve the Police Staff from this burden in these hard times ?

उत्तर—

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं। सिर्फ कुछ अलाउन्स बन्द किये गये हैं जैसे कि सिटी व ड्यूटी अलाउन्स। कुछ अलाउन्स जारी हैं जैसे कि घोड़ा या ऊंट अलाउन्स। कुछ नये अलाउन्स देने का विचार है जो कि विचाराधीन हैं।

(४) अंत में किसी भी मुलाजिम के खिलाफ इस फिक्सेशन से कोई बुरा असर नहीं पडता।

(५) जी हां।

(६) जी हां।

(७) ऐसे बहुत ही कम केसेज हैं जिनसे कि वसूली की जा रही है।

(८) जी हां।

(९) जी नहीं।

(१०) जी हां, किन्तु मामला विचाराधीन है।

(११) सवारी अलाउन्स बन्द नहीं किया गया किन्तु उसे पर्याप्त रकम देने का विचार किया जा रहा है।

(१२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि सरकार की राय में नये अलाउन्सेज़ के लागू हो जाने पर पुलिस अधिकारियों को काफी लाभ होगा।